प्रहरी

शासनादेश संग्रह भाग-2

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड

SIEMAT

व्रतेषु जागृहि

(SIEMAT)
STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT & TRAINING
Nanoorkhetha Tapovan Enclave Dehradoon Phone No 0135-2114181 Fax- 0135-2782942
E-mail:uksiemat@gmail.com

निदेशक की कलम से...

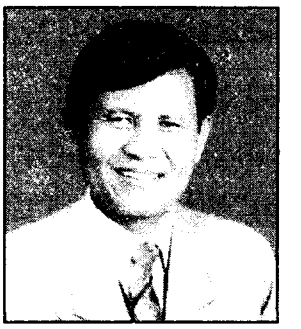

किसी भी राष्ट्र की प्रगति में ''शिक्षा'' महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वस्तुत: शिक्षा ही किसी राष्ट्र की प्रगति की निर्धारक है। विद्यालयी शिक्षा को सर्वसुलभ एवं गुणवत्तायुक्त बनाए रखने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विद्यालयी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण, विस्तार व इसे और उन्नत करने हेतु निदेशालय अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण अंग के रूप में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) अपनी अवस्थापना के उपरांत से ही प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध हैं, साथ ही इसके सकारात्मक एवं उत्साहजनक परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। किसी भी संगठन के सुचारू रूप में कार्यरत रहने एवं बेहतर परिणाम देने हेतु उसके कार्यक्षेत्रों से संबंधित विभिन्न शासन के निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न शासनादेश जहां एक ओर मार्गदर्शक का कार्य करते हैं वहीं दूसरी ओर कार्यदायित्वों के संदर्भ में स्वयं को उद्यतनीकृत (Update) रखने हेतु विभिन्न शासनादेशों की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। अभी तक शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, वैयक्तिक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आदि से संबंधित महत्वपूर्ण शासनादेश एक साथ संकलित रूप में विद्यमान नहीं थे। सीमैट द्वारा प्रथम बार यह सार्थक प्रयास किया गया है कि उक्त शासनादेशों को दो भागों में एक साथ संकलित कर प्रकाशित किया जाए जिससे विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी, अभिकर्मी अपने-अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारीपूर्वक कर सकें, साथ ही अपेक्षा है कि उक्त शासनादेश इस क्षेत्र में रूचि रखने वाले सुधी/जिज्ञासु पाठकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

मैं उक्त शासनादेशों के संकलन करने एवं इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने हेतु सीमैट टीम, संकलनकर्ताओं एवं प्रकाशक का आभार व्यक्त करता हूँ। भविष्य में इसे और प्रभावी बनाने हेतु सम्मानित पाठकगणों के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं।

शुभकामनाओं सहित

(सी0एस0ग्वाल)
निदेशक
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण

NUEPA DC

D14962

370.26
RAJ-2-UT

संपादकीय

समय-समय पर निर्गत एवं परिशोधित शासनादेश किसी भी संस्था के सफल संचालन हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विभिन्न राजकीय कार्य शासकीय नियमों, आदेशों के क्रम में संचालित किए जाते हैं व इसकी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा भी होती है। यह पाया गया है कि अभी तक विभिन्न शासनादेशों के संकलित रूप में न होने के फलस्वरूप अधिकारी, अभिकर्मी अपने कार्यदायित्वों के निर्वहन में कठिनाई का अनुभव करते है। इस अपेक्षा की पूर्ति हेतु सीमैट द्वारा अभिनव प्रयास के रूप में विभिन्न शासनादेशों को संकलित कर दो भागों में उनका प्रकाशन किया गया है जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। उक्त शासनादेश शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। आशा है उक्त शासनादेश सम्मानित अधिकारियों, अभिकर्मियों एवं इस दिशा में रूचि रखने वाले सुधी पाठकगणों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यद्यपि उक्त शासनादेशों के संकलन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि त्रुटि संभाव्य है। उक्त शासनादेशों के संवर्धन के संदर्भ में आगामी संस्करणों हेतु आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव सीमैट को प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14962
Date : 04-08-2016
Documentation Centre

संरक्षक -	निधि पाण्डेय, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
निर्देशन एवं प्रेरणा-	श्री चन्द्र सिंह ग्वाल, निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण।
सम्पादन-	1- श्री कुलदीप गैरोला, विभागाध्यक्ष (शोध एवं मूल्यांकन) सीमैट उत्तराखण्ड। 2- श्री सी0एन0काला, विभागाध्यक्ष (नीति, योजना एवं प्रबन्ध) सीमैट उत्तराखण्ड। 3- श्री सुनील कुमार रतूड़ी वित्त अधिकारी, कार्यालय अपर निदेशक कुमायूँ मण्डल।
सम्पादन सहयोग-	1. डॉ0 डी0पी0रतूड़ी प्रोफेशनल (शोध एवं मूल्यांकन) 2. डॉ0 जे0एस0 बिष्ट, प्रोफेशनल (नीति, योजना एवं प्रबन्ध) 3. डॉ0 एम0एम0 उनियाल, जूनियर प्रोफेशनल (नीति, योजना एवं प्रबन्ध) 4. डॉ0 विजय सिंह रावत, जूनियर प्रोफेशनल (शोध एवं मूल्याकन)
डिजाइनिंग-	श्री किशोर सिंह पंवार कला अध्यापक (रा0इ0का0 किशनपुर देहरादून)
संकलन	राजेन्द्र पाल, लेखाकार, सीमैट
एवं सहयोग	श्री चतर सिंह नेगी, पुस्तकालयाध्यक्ष, सीमैट श्री विनीत त्रिपाठी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सीमैट श्री सुनील पुरोहित, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सीमैट श्रीमती वैशाली अधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सीमैट
टिप्पणी :	प्रस्तुत शासनादेशों के संग्रह/मुद्रण में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि मानवीय त्रुटि संभाव्य है। कृपया इन शासनादेशों का संदर्भ लेते समय मूल शासनादेशों का संज्ञान ले लिया जाए।

विषय सूची

क्र. सं0	शासना देश का विषय	पृष्ठ
1.	राज्य कर्मचारियों 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में	1
2.	प्रदेश में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति के सम्बन्ध में	34
3.	वेतन समिति 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों के सम्बन्ध में	39
4.	सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	43
5.	मकान किराया भत्ता की दरों के संशोधन के सम्बन्ध में	45
6	पर्वतीय विकास भत्ता की दरों के संशोधन के सम्बन्ध में	48
7	प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों के संशोधन के सम्बन्ध में	51
8.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में	53
9.	मासिक विशेष भत्ते के सम्बन्ध में	55
10.	राजकीय कर्मचारियों के 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के सम्बन्ध में	57
11.	वेतन बैंड के निर्धारण के सम्बन्ध में	60
12.	मकान किराये भत्ते की दरों में संशोधन का शुद्धिपत्र	63
13.	ए.सी.पी. लागू किये जाने के सम्बन्ध में	65
14.	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों के रिप्लेसमेंट स्केल का उच्चीकरण	70
15.	यात्रा भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	75
16	मकान किराये भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में	80
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान की विंसगति के सम्बन्ध में	82
18.	वाहन चालकों के वेतन के समतुल्य प्रति पूर्ति धनराशि के सम्बन्ध में	83
19.	01 जनवरी 2009 से महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	85
20.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण	87
21.	वित्तीय नियम संग्रह के अंतर्गत 43ए को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में	89
22.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली नियम 10(2) एवं 72(4) के सम्बन्ध में	90
23.	छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्पन्न विसंगति का निराकरण	92
24.	तदर्थ बोनस भुगतान के सम्बन्ध में	97
25.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण	101
26.	महंगाई भत्ते का कोषागारों द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में	102
27.	वाहन भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	104
28.	उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात कर्मियों को परिवहन भत्ते के सम्बन्ध में	106

29.	वित्तीय नियम संग्रह के अंतर्गत 43ए को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में	107
30.	यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण	112
31.	राज्य कर्मियों के लिए भारत सरकार की एम.ए.सी.पी.एस. के अनुरूप व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में	115
32.	विभागाध्यक्ष एवं मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे के परिवर्तन के सम्बन्ध में	125
33.	समयमान वेतनमान में पदोन्नति / संविलियन के सम्बन्ध में	127
34.	राज्य सरकार के पेंशनर्स के सेवा निवृत्तिक लाभ के सम्बन्ध में	129
35.	सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण एवं शासकीय कार्यों हेतु पूर्वानुमति के सम्बन्ध में	134
36.	राज्य सरकार के पेंशनर्स के सेवा में मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में	136
37.	महंगाई भत्ते के 01-01-2010 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	138
38.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थानों को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय किये जाने के सम्बन्ध में	140
39.	विभिन्न विभागों के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में	142
40.	अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को महंगाई राहत के सम्बन्ध में	145
41.	एच.ए.जी. के मकान किराये भत्ते के संशोधन के सम्बन्ध में	147
42.	अपुनरीक्षित वेतनमान के कार्यरत कर्मचारियों के 1.1.2010 से मंहगायी भत्ते के सम्बन्ध में	149
43.	स्नातकोत्तर भत्ते में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में	151
44.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सम्बन्ध में	153
45.	प्रदेश के कोषागारों को लीज्ड लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में	155
46.	1 जुलाई 2010 से मंहगाही भत्ते के पुनरीक्षित के सम्बन्ध में	156
47.	शैक्षिणक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के सम्बन्ध में	158
48.	पदोन्नति होने पर एक वेतन वृद्धि लाभ के सम्बन्ध में	176
49.	राज्य सरकार के पेंशनरों को मंहगाई से राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में	177
50.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक के सम्बन्ध में	179
51.	पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	181
52.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत आपदा राहत कार्यो के सम्बन्ध में	185
53.	राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को मंहगाई राहत के सम्बन्ध में	187

54.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थानों से अधि प्राप्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में	189
55.	सचिवालय अनुदेश 1982 में उल्लेखित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में	191
56.	राज्य कर्मचारियों के लिए ए0सी0पी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में	193
57.	तकनीशियन संवर्ग के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में	205
58.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना संशोधन के सम्बन्ध में	208
59.	राजकीय वाहन चालक संवर्ग के पदोन्नति के सम्बन्ध में	209
60.	1.1.2006 के पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी निरस्तीकरण के सम्बन्ध में	210
61.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना संशोधन के सम्बन्ध में	211
62.	डी0जी0एस0 एण्ड डी के दरों पर कम्प्यूटर सामग्री की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में	212
63.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत अपवंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश के संबंध में	214
64.	निदेशालय के नियंत्रणाधीन सहकारी समितियों हेतु कम्प्यूटर उपकरण के आपूर्ति के सम्बन्ध में	216
65.	चतुर्थ श्रेणी पदों के पुनरीक्षित वेतन के सम्बन्ध में	218
66.	नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किए जाने के सम्बन्ध में	219
67.	ए0सी0पी0 के संलग्नक उदाहरण एक के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में	222
68.	01-01-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में	225
69.	भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता खोलने के हेतु प्रशासकीय स्वीकृति	226
70.	बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में	227
71.	उपकोषागारों को कम्प्यूटरीकृत करने के सम्बन्ध में	228
72.	तदर्थ बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में	233
73.	ए0सी0पी0 के संलग्नक 4 अगस्त 2011 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में	237
74.	अशासकीय विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग पदों पर ग्रेड वेतन के संशोधन एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में	239
75.	अशासकीय विद्यालयों में ए.सी.पी. व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में	241
76.	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में	249

संख्या– 395 / XXVII / (7) / 2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या–262 / XXVII / (7) / 2008 दिनॉक 25 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनॉक 7 अक्टूबर, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधनो के साथ संकल्प संख्या–394 / XXVII / (7) / 2008 दिनॉक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों जो दिनॉकः 31–12–2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, के लिए दिनॉकः 01 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में संलग्नक–1 के कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम– 3 में इंगित वेतन बैंड (पे बैंड) / वेतनमान का नाम तथा उसके सादृश्य (करेस्पोन्डिंग) कमशः कालम–4 तथा 5 में इंगित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी पद के संशोधित वेतन ढॉचे का तात्पर्य उसके कालम–2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कमशः कालम–4 तथा 5 में उल्लिखित वेतन बैंड / वेतनमान तथा ग्रेड वेतन से है।

4. वेतन बैंड में "वेतन" का तात्पर्य संलग्नक–1 के कालम–4 में दिये गये रनिंग वेतन बैंडो में आहरित वेतन तथा 'ग्रेड वेतन' का तात्पर्य पूर्व संशोधित वेतनमानों/पदों की प्रास्थिति पर देय धनराशि से है।

5. संशोधित वेतन ढॉचे में अब मूल वेतन, का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा, परन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

6. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमानों के विभिन्न सोपानों हेतु वर्तमान वेतनमान एवं उसके सोपानों हेतु संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7. संशोधित वेतन ढॉचे में वार्षिक वेतन वृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था है। वार्षिक वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणॉक में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि के निर्धारण के उदाहरण निम्नानुसार है:–

<u>उदाहरण</u> –1

1. वेतन बैंड–1 में वेतन (रू0 5200–20200)	–	रू0 5200/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 7000/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 210
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 5200 + 210= रू0 5410
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 1800/

उदाहरण –2

1. वेतन बैंड–2 में वेतन (रू0 9300–34800)	–	रू0 9300/
2. ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	–	रू0 13500/
4. वेतन वृद्धि की दर	–	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	–	रू0 405 पूर्णांकित रू0 410
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	–	रू0 9300 + रू0 410= रू0 9710
7. लागू ग्रेड वेतन	–	रू0 4200/

8. वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01–1–2006 से 30–6–2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2006 को दी जायेगी तथा जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–7–2006 से 31–12–2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनॉक 1–7–2006 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1–1–2006 है ऐसे कर्मचारियों को पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढॉचे के वेतन बैंड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा अगामी वेतन वृद्धि दिनॉक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी।

9. जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुॅच जायेगा, तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैंड में स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद का ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैंड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैंड–4 के अधिकतम तक नहीं पहुॅच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

10. ऐसे प्रकरणो में जहॉ दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैंड तथा एक ही ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया गया है, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन बैंड में वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करे, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैंड में वेतन उसी दिनॉक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाय तथा वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि प्रस्तर –8 के अनुसार अनुमन्य होगी।

11. जहाँ सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन ढाँचे में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा:–

वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया जायेगा। उस तिथि को लागू मंहगाँई वेतन और पूर्व संशोधित मंहगाँई भत्ता दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को यथा विद्यमान दरों पर आधारित होगा। यह संख्या 10 के अगले गुणाँक से गुणा की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

12. संशोधित वेतन ढाँचे में पदोन्नति अब दो प्रकार से सम्भव हो सकती है:–

1– एक ही वेतन बैंड के अन्दर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति।

2– एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति।

दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाँचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणाँक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जायेगा। जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोन्नति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहाँ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

13. केन्द्र सरकार के उक्त वेतनमानों को लागू करने पर रनिंग पे बैंड की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें वेतन बैंड का विस्तार (स्पैन) काफी अधिक है तथा वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने की स्थिति में अगला वेतन बैंड अनुमन्य है। स्पष्टतः किसी भी कर्मचारी के प्रकरण में सामान्यतः अधिकतम वेतन पर वेतन वृद्धि रोध (Stagnation) की स्थिति नहीं आयेगी। अतः राज्य सरकार में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था समाप्त की जाती है । चयन/प्रोन्नति उसी स्तर पर अनुमन्य होंगे जहाँ पर ग्रेड वेतन अथवा वेतन बैंड में परिवर्तन हो रहा है। दिनाँक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैंड में प्रतिस्थापित किया जायेगा परन्तु ग्रेड पे पद की प्रास्थिति के अनुरूप होगी। उक्त तिथि के उपरान्त समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

14. भारत सरकार द्वारा वेतनमान रू0 8000–275–13500 के वेतनमान को वेतन बैंड–2 तथा वेतन बैंड–3 में रखा गया है। राज्य में दिनॉक 1–1–1986 से ही सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को समान वेतनमान अनुमन्य था, जिसे दिनॉक 01 जनवरी, 1996 से रू0 8000–275–13500 में पुनरीक्षित किया गया। । अतः वेतनमान रू0 8000–275–13500 को वेतन बैंड–3 में रखा जाय।

15. दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे मे चयन का विकल्प लिखित रूप से संलग्नक–3 पर उपलब्ध फार्म पर देना होगा। उक्त विकल्प सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने के दिनॉक से 90 दिन के अन्दर दे दिया जाय।

16. उपर्युक्तानुसार दिए गए विकल्प की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार कर वेतन निर्धारण आदेश/वेतन पर्ची निर्गत कर तथा इसकी प्रति सेवा पुस्तिका पर चस्पा कर एक प्रति सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित की जाय।

17. यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने नये संशोधित वेतनमान द्वारा शासित चयन होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढॉचे के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

18. एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा और इसमें में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

19. जहॉ कोई सरकारी कर्मचारी दिनॉक 01 जनवरी 2006 को निलम्बित हो तथा उसके ड्यूटी पर वापस आने की तारीख, इस शासनादेश के जारी होने को तिथि के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है। निलम्बित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढॉचे में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

20. जिन कर्मचारियों की सेवा दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है अथवा जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हों, सेवात्याग (इस्तीफा) अनुशासनहीनता के कारणों से सेवामुक्त या बरखास्त किए गए हो, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

21. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढॉचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके, उनके मामले में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी।

22. जो सरकारी सेवक दिनॉक 01 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश, जो उन्हें अवकाश का हकदार बनाता है, उन्हें अवकाश के इस नियम के लाभ मिलेंगे और तद्नुसार ही अवकाश वेतन आदि प्राप्त होगा।

23. जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं उनको देय अवशेषों में से योजना के अधीन देय होने वाले अंशदान के बराबर की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी तथा राज्य सरकार भी उसके समतुल्य अपना अंशदान योजना में जमा करेगी।

24. वेतन समिति की संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानो में संशोधित दरों पर देय महगॉई भत्ते के आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे हैं।

25. शासन द्वारा जब तक अन्य भत्ते पुनरीक्षित नहीं किए जाते तब तक अन्य सभी भत्ते पूर्व की भॉति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होगें।

26. सचिवालय में तैनात विभिन्न सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन आदि के योग की अधिकतम सीमा रू0 22400 प्रति माह से अधिक नहीं होती है। दिनॉक 1–1–2006 से नये संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उक्त सीमा में वृद्धि होने पर सम्बन्धित अधिकारी से दिनॉक 31–10–2008 तक विशेष वेतन/भत्ते की धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी तथा अब तक अनुमन्य हो रहे विशेष वेतन /भत्ते की इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

27. ऐसे पदों जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व केन्द्र से समानता थी तथा जिनके वेतनमानों में दिनॉक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात संशोधन /उच्चीकरण हुआ है। उन पदों के लिए संशोधन/उच्चीकरण के दिनॉक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अनुमन्य होगी। परन्तु यदि पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढॉचे में पे बैंड में परिवर्तन हो रहा है तब पद का वेतन नये पे बैंड के न्यूनतम से कम होने पर पे बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित करते हुए तथा पद की प्रास्थिति यथावत् रखते हुए पद की प्रास्थिति के अनुरूप ग्रेड पे अनुमन्य होगी। अर्थात् इस प्रकार के मामलो में केवल वेतन बैंड परिवर्तित होगा तथा पद की ग्रेड पे तथा पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

28. चूकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान संशोधित किए जा रहे है; अतः सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तदनुसार विभिन्न सेवा संवर्गो की सेवा नियमावली एवं संगठनात्मक ढॉचों में संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता पर कर लेगें।

29. राज्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं महगॉई भत्ते का दिनॉक 1–9–2008 से नगद भुगतान किया जायेगा और दिनॉक 1–1–2006 से दिनॉक 31–8–2008 तक के पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष को दो किश्तो में भुगतान किया जायेगा प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2008–2009 में तथा द्वितीय किश्त के रूप में 60 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2009–2010 में किया जाएगा। अवशेष का भुगतान करते समय देय आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करायी जाएगी । जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं है उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। ऐसे कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के भुगतान नकद में किया जाएगा।

30. इस शासनादेश द्वारा केवल ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किए जा रहे है, जो दिनॉक 31-12-2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। चूँकि इस शासनादेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप रिप्लेसमेन्ट स्केल ही स्वीकृति किए जा रहें हैं। अतः उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान पूर्व उल्लिखित प्रस्तरो के अधीन पुनरीक्षित माने जायेगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

31. ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जो दिनॉक 31-12-2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त नहीं कर रहे थे उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढॉचे में वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही दी जायेगी।

संलग्नक–

(1) पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान।
(2) वेतन निर्धारण हेतु फिटमेन्ट तालिका।
(3) पुनरीक्षित वेतनमान के विकल्प का प्रारूप।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– ३९५(1)/XXVII/(7)/2008 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
2– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
3– रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तराखण्ड।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– ३९५(2)/XXVII/(7)/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008 का संलग्नक–1

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01–01–2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढाँचा		
क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01–01–2006 के पूर्व)	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
16	8550–275–14600	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
17	10000–325–15200	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
18	10650–325–15850	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
19	12000–375–16500	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600
20	14300–400–18300	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
21	16400–450–20000	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900
22	18400–500–22400	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000
23	22400–525–24500	वेतन बैंड–4	37400–67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

Fitment Tables

Pre-revised scale
Rs.2550-55-2660-60-3200

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1300

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,550	4,750	1,300	6,050
2,605	4,850	1,300	6,150
2,660	4,950	1,300	6,250
2,720	5,060	1,300	6,360
2,780	5,180	1,300	6,480
2,840	5,290	1,300	6,590
2,900	5,400	1,300	6,700
2,960	5,510	1,300	6,810
3,020	5,620	1,300	6,920
3,080	5,730	1,300	7,030
3,140	5,840	1,300	7,140
3,200	5,960	1,300	7,260
3,260	6,070	1,300	7,370
3,320	6,180	1,300	7,480
3,380	6,290	1,300	7,590

Pre-revised scale
Rs.2610-60-3150-65-3540

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,610	4,860	1,400	6,260
2,670	4,970	1,400	6,370
2,730	5,080	1,400	6,480
2,790	5,190	1,400	6,590
2,850	5,310	1,400	6,710
2,910	5,420	1,400	6,820
2,970	5,530	1,400	6,930
3,030	5,640	1,400	7,040
3,090	5,750	1,400	7,150
3,150	5,860	1,400	7,260
3,215	5,980	1,400	7,380
3,280	6,110	1,400	7,510
3,345	6,230	1,400	7,630
3,410	6,350	1,400	7,750
3,475	6,470	1,400	7,870
3,540	6,590	1,400	7,990
3,605	*6,710*	*1,400*	*8,110*
3,670	*6,830*	*1,400*	*8,230*
3,735	*6,950*	*1,400*	*8,350*

Pre-revised scale
Rs.2650-65-3300-70-4000

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1650

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,650	4,930	1,650	6,580
2,715	5,050	1,650	6,700
2,780	5,180	1,650	6,830
2,845	5,300	1,650	6,950
2,910	5,420	1,650	7,070
2,975	5,540	1,650	7,190
3,040	5,660	1,650	7,310
3,105	5,780	1,650	7,430
3,170	5,900	1,650	7,550
3,235	6,020	1,650	7,670
3,300	6,140	1,650	7,790
3,370	6,270	1,650	7,920
3,440	6,400	1,650	8,050
3,510	6,530	1,650	8,180
3,580	6,660	1,650	8,310
3,650	6,790	1,650	8,440
3,720	6,920	1,650	8,570
3,790	7,050	1,650	8,700
3,860	7,180	1,650	8,830
3,930	7,310	1,650	8,960
4,000	7,440	1,650	9,090
4,070	*7,570*	*1,650*	*9,220*
4,140	*7,700*	*1,650*	*9,350*
4,210	*7,840*	*1,650*	*9,490*

Pre-revised scale
Rs.2750-70-3800-75-4400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,750	5,530	1,800	7,330
2,820	5,530	1,800	7,330
2,890	5,700	1,800	7,500
2,960	5,700	1,800	7,500
3,030	5,880	1,800	7,680
3,100	5,880	1,800	7,680
3,170	6,060	1,800	7,860
3,240	6,060	1,800	7,860
3,310	6,160	1,800	7,960
3,380	6,290	1,800	8,090
3,450	6,420	1,800	8,220
3,520	6,550	1,800	8,350
3,590	6,680	1,800	8,480
3,660	6,810	1,800	8,610
3,730	6,940	1,800	8,740
3,800	7,070	1,800	8,870
3,875	7,210	1,800	9,010
3,950	7,350	1,800	9,150
4,025	7,490	1,800	9,290
4,100	7,630	1,800	9,430
4,175	7,770	1,800	9,570
4,250	7,910	1,800	9,710
4,325	8,050	1,800	9,850
4,400	8,190	1,800	9,990
4,475	8,330	1,800	10,130
4,550	8,470	1,800	10,270
4,625	8,610	1,800	10,410

Pre-revised scale Rs.3050-75-3950-80-4590	Revised Pay Band + Grade Pay PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.1900		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,050	5,880	1,900	7,780
3,125	6,060	1,900	7,960
3,200	6,060	1,900	7,960
3,275	6,100	1,900	8,000
3,350	6,240	1,900	8,140
3,425	6,380	1,900	8,280
3,500	6,510	1,900	8,410
3,575	6,650	1,900	8,550
3,650	6,790	1,900	8,690
3,725	6,930	1,900	8,830
3,800	7,070	1,900	8,970
3,875	7,210	1,900	9,110
3,950	7,350	1,900	9,250
4,030	7,500	1,900	9,400
4,110	7,650	1,900	9,550
4,190	7,800	1,900	9,700
4,270	7,950	1,900	9,850
4,350	8,100	1,900	10,000
4,430	8,240	1,900	10,140
4,510	8,390	1,900	10,290
4,590	8,540	1,900	10,440
4,670	8,690	1,900	10,590
4,750	8,840	1,900	10,740
4,830	8,990	1,900	10,890

Pre-revised scale
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,200	6,060	2,000	8,060
3,285	6,110	2,000	8,110
3,370	6,270	2,000	8,270
3,455	6,430	2,000	8,430
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	9,280	2,000	11,280
5,070	9,430	2,000	11,430
5,155	9,590	2,000	11,590

Pre-revised scale	Revised Pay Band + Grade Pay
Rs.3200-85-4900	PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,200	6,060	2,000	8,060
3,285	6,110	2,000	8,110
3,370	6,270	2,000	8,270
3,455	6,430	2,000	8,430
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	9,280	2,000	11,280
5,070	9,430	2,000	11,430
5,155	9,590	2,000	11,590

Pre-revised scale
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,000	7,440	2,400	9,840
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	12,630
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	13,010
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	11,350	2,400	13,750
6,200	11,540	2,400	13,940
6,300	11,720	2,400	14,120

Pre-revised scale Rs.4500-125-7000	Revised Pay Band + Grade Pay PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800		

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,500	8,370	2,800	11,170
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	13,260	2,800	16,060
7,250	13,490	2,800	16,290
7,375	13,720	2,800	16,520

Pre-revised scale
Rs.5000-150-8000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,000	9,300	4,200	13,500
5,150	9,580	4,200	13,780
5,300	9,860	4,200	14,060
5,450	10,140	4,200	14,340
5,600	10,420	4,200	14,620
5,750	10,700	4,200	14,900
5,900	10,980	4,200	15,180
6,050	11,260	4,200	15,460
6,200	11,540	4,200	15,740
6,350	11,820	4,200	16,020
6,500	12,090	4,200	16,290
6,650	12,370	4,200	16,570
6,800	12,650	4,200	16,850
6,950	12,930	4,200	17,130
7,100	13,210	4,200	17,410
7,250	13,490	4,200	17,690
7,400	13,770	4,200	17,970
7,550	14,050	4,200	18,250
7,700	14,330	4,200	18,530
7,850	14,610	4,200	18,810
8,000	14,880	4,200	19,080
8,150	15,160	4,200	19,360
8,300	15,440	4,200	19,640
8,450	15,720	4,200	19,920

Pre-revised scale	Revised Pay Band + Grade Pay
Rs.5000-150-8000	PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,000	9,300	4,200	13,500
5,150	9,580	4,200	13,780
5,300	9,860	4,200	14,060
5,450	10,140	4,200	14,340
5,600	10,420	4,200	14,620
5,750	10,700	4,200	14,900
5,900	10,980	4,200	15,180
6,050	11,260	4,200	15,460
6,200	11,540	4,200	15,740
6,350	11,820	4,200	16,020
6,500	12,090	4,200	16,290
6,650	12,370	4,200	16,570
6,800	12,650	4,200	16,850
6,950	12,930	4,200	17,130
7,100	13,210	4,200	17,410
7,250	13,490	4,200	17,690
7,400	13,770	4,200	17,970
7,550	14,050	4,200	18,250
7,700	14,330	4,200	18,530
7,850	14,610	4,200	18,810
8,000	14,880	4,200	19,080
8,150	15,160	4,200	19,360
8,300	15,440	4,200	19,640
8,450	15,720	4,200	19,920

Pre-revised scale	Revised Pay Band + Grade Pay
Rs.6500-200-10500	PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
6,500	12,090	4,200	16,290
6,700	12,470	4,200	16,670
6,900	12,840	4,200	17,040
7,100	13,210	4,200	17,410
7,300	13,580	4,200	17,780
7,500	13,950	4,200	18,150
7,700	14,330	4,200	18,530
7,900	14,700	4,200	18,900
8,100	15,070	4,200	19,270
8,300	15,440	4,200	19,640
8,500	15,810	4,200	20,010
8,700	16,190	4,200	20,390
8,900	16,560	4,200	20,760
9,100	16,930	4,200	21,130
9,300	17,300	4,200	21,500
9,500	17,670	4,200	21,870
9,700	18,050	4,200	22,250
9,900	18,420	4,200	22,620
10,100	18,790	4,200	22,990
10,300	19,160	4,200	23,360
10,500	19,530	4,200	23,730
10,700	19,910	4,200	24,110
10,900	20,280	4,200	24,480
11,100	20,650	4,200	24,850

Pre-revised scale :
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	21,390
9,250	17,210	4,600	21,810
9,475	17,630	4,600	22,230
9,700	18,050	4,600	22,650
9,925	18,470	4,600	23,070
10,150	18,880	4,600	23,480
10,375	19,300	4,600	23,900
10,600	19,720	4,600	24,320
10,825	20,140	4,600	24,740
11,050	20,560	4,600	25,160
11,275	20,980	4,600	25,580
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	21,810	4,600	26,410
11,950	22,230	4,600	26,830
12,175	22,650	4,600	27,250

Pre-revised scale
Rs.7500-250-12000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,500	13,950	4,800	18,750
7,750	14,420	4,800	19,220
8,000	14,880	4,800	19,680
8,250	15,350	4,800	20,150
8,500	15,810	4,800	20,610
8,750	16,280	4,800	21,080
9,000	16,740	4,800	21,540
9,250	17,210	4,800	22,010
9,500	17,670	4,800	22,470
9,750	18,140	4,800	22,940
10,000	18,600	4,800	23,400
10,250	19,070	4,800	23,870
10,500	19,530	4,800	24,330
10,750	20,000	4,800	24,800
11,000	20,460	4,800	25,260
11,250	20,930	4,800	25,730
11,500	21,390	4,800	26,190
11,750	21,860	4,800	26,660
12,000	22,320	4,800	27,120
12,250	22,790	4,800	27,590
12,500	23,250	4,800	28,050
12,750	23,720	4,800	28,520

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

Pre-revised scale [illegible]
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,000	18,600	6,600	25,200
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690

Pre-revised scale
Rs.10650-325-15850

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690
16,500	30,690	6,600	37,290
16,825	31,300	6,600	37,900

Pre-revised scale	**Revised Pay Band + Grade Pay**
Rs.12000-375-16500	PB-3 Rs.15600-39100 + 7600

Pre-revised Basic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the Pay Band	**Grade Pay**	**Revised Basic Pay**
12,000	22,320	7,600	29,920
12,375	23,020	7,600	30,620
12,750	23,720	7,600	31,320
13,125	24,420	7,600	32,020
13,500	25,110	7,600	32,710
13,875	25,810	7,600	33,410
14,250	26,510	7,600	34,110
14,625	27,210	7,600	34,810
15,000	27,900	7,600	35,500
15,375	28,600	7,600	36,200
15,750	29,300	7,600	36,900
16,125	30,000	7,600	37,600
16,500	30,690	7,600	38,290
16,875	31,390	7,600	38,990
77,250	32,090	7,600	39,690
17,625	32,790	7,600	40,390

Pre-revised scale	Revised Pay Band + Grade Pay
Rs.14300-400-18300	PB-4 Rs.37400-67000 + 8700

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
14,300	37,400	8,700	46,100
14,700	37,400	8,700	46,100
15,100	38,530	8,700	47,230
15,500	38,530	8,700	47,230
15,900	39,690	8,700	48,390
16,300	39,690	8,700	48,390
16,700	40,890	8,700	49,590
17,100	40,890	8,700	49,590
17,500	42,120	8,700	50,820
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	*43,390*	*8,700*	*52,090*
19,100	*44,700*	*8,700*	*53,400*
19,500	*44,700*	*8,700*	*53,400*

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
16,400	39,690	8,900	48,590
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	46,050	8,900	54,950
20,900	46,050	8,900	54,950
21,350	47,440	8,900	56,340

Pre-revised scale
Rs.18400-500-22400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 10000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	*53,410*	*10,000*	*63,410*
23,400	*55,020*	*10,000*	*65,020*
23,900	*56,680*	*10,000*	*66,680*

Note : The last three stages in each of the pay scales above relates to fixation for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380

Pre-revised scale
Rs.26000 (fixed)

Revised Pay Scale
Apex Scale Rs.80000 (fixed)

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
26000 (fixed)	80,000 (fixed)

शासनादेश संख्या 395-xxvii(7) का संलग्नक–3

विकल्प फार्म

*(1) मैं———————————— दिनांक 1जनवरी,2006 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता/करती हूँ ।

*(1) मैं———————————— मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये गये वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करत/करती हूँ।

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख

———— रूपये हो जाये ।

मैं, मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना

बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ ।

मौजूदा वेतनमान————————————

हस्ताक्षर ————————

नाम————————

पदनाम————————

कार्यरत कार्यालय का नाम————————

दिनांक:

स्टेशन:

*यदि लागू न, तो काट दिया जाय।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः396 / xxvii(7) / 2008
देहरादूनःदिनांकः17 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग के कम में लागू मंहगाई भत्ते की दरें राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर उपलब्ध कराया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिये जाने विषयक राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों के कम मे निर्गत शासनादेश संख्या395 / xxvii(7) / 2008दिनांकः17अक्टूबर / 2008 द्वारा अनुमन्य किये गये वेतनमानों पर निम्नानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराया जायः–

मंहगाई भत्ते की दरें लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य कुल मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
1–1–2006से	मंहगाई भत्ता देय नहीं है
1–7–2006 से	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
1–1–2007से	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
1–7–2007 से	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
1–1–2008 से	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
1–7–2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

2– उपरोक्त तिथियों तथा दरों पर मंहगाई भत्ते का भुगतान पूर्व मे शासनादेश संख्या सख्याः 29 / xxvii(7) / 2006 दिनांक 26 अप्रैल,2006 द्वारा दिनांक 1–1–2006 से शासनादेश संख्या 29(1) / xxvii(7) / 2006 दिनांक 29 सितम्बर 2006, द्वारा दिनांक 1–7–2006से शासनादेश संख्या 29 / xxvii(7) / 2007 दिनांक 24 अप्रैल 2007 द्वारा 1–1–2007 से एवं शासनादेश संख्या 279 / xxvii (7) मं0 भ0 / 2007 दिनांक 1अक्टूबर 2007 द्वारा दिनांक 1–7–2007 से, शासनादेश संख्या 18 / xxvii(7)मं0भ0 / 2008 दिनांक 21 मार्च 2008 द्वारा दिनांक 1–1–2008 से स्वीकृत किये गये मंहगाई भत्ते का समायोजन करने के उपरान्त किया जाएगा ।

3– दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन का स्तर तथा अनुमन्य ग्रेड–वेतन को जोड़कर

जो धनराशि होगी उसे ही मूल वेतन माना जायेगा । इसमें किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

4–मंहगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत की स्वतन्त्र अनुमन्यता है, इसे मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं माना जायेगा ।

5–मंहगाई भत्ते के आंगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा और यदि आंगणन 50 पैसे या उससे अधिक है तो इसे अगले रूपये में मान लिया जाय।

आज्ञा से

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या:396(1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 12 जनवरी 2009

विषय : प्रदेश में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों/वैकल्पिक एवं नवाचारी केन्द्रों) तक गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के समस्त राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा शिक्षा गारण्टी केन्द्रों/वैकल्पिक एवं नवाचारी केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले समस्त बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार व प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित की जाती है। राज्य सरकार की यह योजना सर्वोच्च वरीयता प्राप्त योजना है।

2. विभिन्न विद्यालयों के अनुश्रवण तथा समय–समय पर समाचार–पत्रों/मीडिया के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि निःशुल्क खाद्यान्न का ढुलान विद्यालयों तक नहीं किया जा रहा हैं तथा जिस कारण विद्यालयों में खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी की शिकायतें पाई गई हैं। गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति विद्यालय स्तर तक बनाये जाने हेतु, सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं–

(1) खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था :

शासन द्वारा विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न ढुलान के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल ऐजेन्सी नामित किया गया है। वर्तमान में विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सस्ते गल्ले विक्रेता के द्वारा नहीं की जा रही है। अतः भारतीय खाद्य निगम से विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति के लिए जिला पूर्ति अधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी सस्ते गल्ले विक्रेता की दुकान से विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न का ढुलान, सम्बन्धित सस्ते गल्ले विक्रेता के माध्यम से करायेंगे। किसी भी दशा में बच्चों के

ACC. NO. D-14962
Date: 04.08.2016

अधिकारी व अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) उत्तरदायी होंगे।

जनपद के अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), पटवारी द्वारा प्रमाणित सस्तें गल्ले की दुकान से विद्यालय तक की दूरी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक/सी0आर0सी0/ बी0आर0सी0 के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी, गल्ला विक्रेता की दुकान से विद्यालय की दूरी के आधार पर, ढुलान भाड़े की माँग सम्बन्धित जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित ढुलान की दरों के आधार पर, राज्य परियोजना कार्यालय के मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेंगे।

सस्ते गल्ले विक्रेता द्वारा अनुमोदित दरों पर विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न का ढुलान न किये जाने की स्थिति में उक्त दुकान का अनुज्ञाप निरस्त करने की कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा की जायेगी।

(2) खाद्यान्न की माँग प्रस्तुत करनाः

वर्तमान में अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के द्वारा खाद्यान्न की माँग प्रत्येक माह की छात्र–संख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी से की जाती है। इस व्यवस्था से जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में छात्र–संख्या के विलम्ब से प्राप्त होने पर खाद्यान्न का निश्चित समय पर उठान नहीं हो पाता है। इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) वर्ष में दो बार (प्रथम 10 मार्च, गत वर्ष की 30 सितम्बर की छात्रसंख्यानुसार तथा द्वितीय 10 अक्टूबर, वर्तमान वर्ष की 30 सितम्बर की छात्र संख्यानुसार) विद्यालयवार छात्र संख्या व माहवार खाद्यान्न की माँग जिलापूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी उसी छात्र संख्या व माँग के आधार पर एफ0सी0आई0/आर0एफ0सी0 से खाद्यान्न प्राप्त कर राशन विक्रेताओं के माध्यम से विद्यालयों/केन्द्रों पर वितरण करायेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय/केन्द्र पर कम से कम एक माह का बफर स्टॉक उपलब्ध रहे।

जिला पूर्ति अधिकारियों को खाद्यान्न एक माह पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अग्रिम के रूप में उठाना होगा। भारतीय खाद्य निगम व क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक के द्वारा भी खाद्यान्न का एक माह का अग्रिम आवंटन किया जाना होगा। विद्यालय में आगामी माह का खाद्यान्न गत माह की 25 तारीख तक हर स्थिति में प्राप्त हो जाना चाहिये।

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आगामी माह का उठान प्राप्त कर गत माह का उपभोग प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) अधिक से अधिक माह विलम्ब से अर्थात माह दिसम्बर

अथवा भारतीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) खाद्यान्न की गुणवत्ता :

योजना के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में अनुश्रवग के दौरान यह बात उभरकर आयी है कि कतिपय विद्यालयों में वितरित खाद्यान्न की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अतः गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न के रूप मे वितरित चावल फेयर एवरेज क्वालिटि (FAQ) अथवा ग्रेड–ए चावल जो भी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध हो, अनुमन्य है।

एफ0सी0आई0 द्वारा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को, सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सस्ते गल्ले विक्रेता को तथा सस्ते गल्ले विक्रेता द्वारा विद्यालय में आपूर्तित खाद्यान्न का नमूना अपने पास माहवार सुरक्षित रखना होगा, जिसका परीक्षण आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है।

खाद्यान्न की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्न का उठान करने वाले के द्वारा खाद्यान्न की गुणवत्ता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा अर्थात सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के द्वारा भारतीय खाद्य निगम को, जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को, सस्ते गल्ले विक्रेता के द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सस्ते गल्ले विक्रेता को यह प्रमाण–पत्र देना होगा की उसके द्वारा इस माह में आबंटित खाद्यान्न कॉमन या ग्रेड–ए जैसा उपलब्ध हो उठाया गया है तथा उसकी गुणवत्ता उत्तम स्तर की है।

किसी भी स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी/सस्ते गल्ले विक्रेता के ऊपर कार्यवाही की जायेगी। प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाचार्य खाद्यान्न को ग्रेन बिन (बॉक्स) में स्टोर करेगें। किसी भी दशा में खाद्यान्न का भण्डारण नमीयुक्त स्थान अथवा खुले में नहीं किया जायेगा।

(4) खाद्यान्न का उठान पूरी मात्रा में सुनिश्चित करना :

अनुश्रवण में यह भी पाया गया है कि सस्ते गल्ले विक्रेता के द्वारा विद्यालय में पूरी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है अथवा खाद्यान्न का जो बैग उपलब्ध कराया जाता है उसमें निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक को यह भी नहीं बताया जाता है कि उसे किस माह का कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

सस्ता गल्ला विक्रेता विद्यालय को पूरी मात्रा में खाद्यान्न तौल कर उपलब्ध करायेगा तथा प्रमाण–पत्र देगें कि यह खाद्यान्न अमुक माह का है तथा इसकी मात्रा इतनी कि0ग्रा0 अथवा कुन्तल है। यह प्रमाण–पत्र समस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपने खाद्यान्न वितरण पंजिका में सुरक्षित रखना होगा।

(5) खाद्यान्न के खाली बोरों का निस्तारण :

गत वर्ष के ऑडिट में यह बात उभरकर आई है कि सस्ते गल्ला विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न के साथ बोरे उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं तथा विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न के खाली बोरों का भण्डारण नहीं किया जा रहा है। चूँकि भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम को बोरों सहित खाद्यान्न का मूल्य चुकाती है, अतः खाली बोरे शिक्षा विभाग की सम्पत्ति है।

आगे से सस्ते गल्ले विक्रेता के द्वारा प्रति 50 कि0ग्रा0 खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दशा में विद्यालय को बोरा भी उपलब्ध कराया जायेगा। प्रधानाध्यापक की यह भी जिम्मेवारी होगी की वह प्रत्येक दशा में उक्त खाली बोरों का भण्डारण अपने विद्यालय में कर उनकी विधिवत नीलामी करा दें।

3– अतः उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समय–समय पर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

4– यह शासनादेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव

संख्या व दिनांक तद्दैव

1. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशालय के माध्यम से)।
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8. प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, जनपद– देहरादून, श्रीनगर व हल्द्वानी।
9. क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ व गढ़वाल मण्डल।
10. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशालय के माध्यम से)।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशाल्य के माध्यम से)।
12. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेस्कि) (निदेशालय के माध्यम से)।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 सुधांशु)
अपर सचिव

संख्या: 25/xxvii(7)द्वि0प्रति0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक: 17,फरवरी,2009

विषय:–वेतन समिति(2008) के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0 सी0,ए0 आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे की स्वीकृति तथा पेंशन का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या:वे0आ0–2–1007/दस–17 जी–1998 दिनांक 10 जुलाई 1998, संख्या–वे0आ0–2–1282/दस–17(जी)98 दिनांक 7 अक्टूबर,1998 तथा संख्या:160/वि0 अनु0–3/2001 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण एवं शासनादेश संख्या:2363/15–8–98/3004(2)/98 दिनांक 17 अक्टूबर,1998 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन/ग्रैच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया गया था ।

2–प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों के क्रम में

राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0 जी0 सी0,ए0आई0 सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे उक्त वर्ग के शिक्षण संस्थाओं के उक्त तिथि से वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु समस्त मूलभूत सिद्धान्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से केन्द्र सरकार के कर्मियों के समान संस्तुत प्रतिस्थापित वेतनमानों के अनुसार निर्गत शासनादेश संख्या: 395 /xxvii (7)/2008 दिनांक:17 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही पुनरीक्षित किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1–शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर व्यय का अनुपात 10:1 से अधिक नहीं रखा जाना चाहियें और इसे और भी कम किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

2–नेशनल असेसमेंट एण्ड एकरीडिटेशन काउन्सिल(एन0ए0ए0सी0) अथवा अन्य सक्षम एजेन्सी से अनुदानित संस्थाओं का मूल्याकन कराया जाय एवं जो संस्थायें न्यूनतम मानक पूर्ण नहीं करती हैं उन्हें नोटिस दिया जाय और निर्धारित समय अवधि में सुधार परिलक्षित न होने व मानक पूर्ण न होने पर संस्था को अनुदान सूची से हटाये जाने की कार्यवाही की जाय।

3–इन संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु यदि पूर्व से राज्य सरकार के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से यदि एकरूपता रखी गयी है तो आगे भी एकरूपता रखी जाय।

2–उक्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उक्तानुसार दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों पर मंहगाई भत्ता पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:396/xxvii(7)दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही अनुमन्य होगें ।

3–उक्त सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0 सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पेंशन का पुनरीक्षण राज्य

सरकार के कर्मियों के लिए निर्गत शासनादेश संख्याः419/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 एवं संख्याः421/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 की व्यवस्थानुसार ही किया जाएगा और उक्त पुनरीक्षित पेंशन पर मंहगाई राहत शासनादेश संख्याः420/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4–शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008, दिनांकः 17अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–29 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्याः16/xxvii(7)/2008, दिनांकः19जनवरी,2009 के अनुसार अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

5–दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष के भुगतान के विषय में पूर्व निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या 419/ xxvii(7)/2008, दिनांकः 27अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–12 की व्यवस्था को शासनादेश संख्या 16/xxvii(7)/2009, दिनांकः 19जनवरी,2009 द्वारा संशोधित कर अब भुगतान 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में किया जाएगा।

6–इस संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 10 जुलाई,1998,7 अक्टूबर,1998, दिनांक17 अक्टूबर,2008, दिनांक27 अक्टूबर, 2008 एवं दिनाक 19 जनवरी,2009 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इनके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेगें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्याः 25 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7 पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: 37/xxvii(7)सा0बी0यो0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक: 13फरवरी,2009

विषय:– उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	रू02800 तक	100	30	70	1,00,000
2	रू0 2801 से रू0 5400	200	60	140	2,00,000
3	रू0 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक

अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा।

(क)उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती मार्च,2009 का वेतन देय 1 अप्रैल,2009 से प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(ख)पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

(ग)वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(घ)उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 16/xxvii(7) सा0बीमा/2005 दिनांक 24 अक्टूबर,2005 इस शासनादेश प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 37 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इस्टा चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 38 / xxvii(7)म0कि0 / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून दिनॉक 13 फरवरी, 2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 132 / वि0अनु0–3 / 2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रदेश के नगरों / नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं में विभिन्न दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था, शासनादेश संख्याः 444 / वि0अनु0–3 / 2002 दिनांक 13 जून, 2002 के द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की संशोधित दरों की अनुमन्यता एवं शासनादेश संख्याः 916 / वि0अनु0–3 / 2003 दिनांक 5 जून, 2003 के द्वारा नैनीताल के शहरी क्षेत्र एवं पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र में क्रमशः आयुक्त कुमायूँ मण्डल एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल के कार्यालय अर्थात मण्डलीय मुख्यालय स्थापित होने के फलस्वरूप इन नगरों को "बी–2" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

2–वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्याः 395 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के समतुल्य अनुमन्य ग्रेड–पे के आधार पर "बी 2" श्रेणी हेतु ग्रेड–पे का 75 प्रतिशत, "सी" श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र एवं जिला मुख्यालयों को 50 प्रतिशत तथा

समस्त "अवर्गीकृत क्षेत्रों" को 40 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता अनुगन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0स0	ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" देहरादून,पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, हरिद्वार,(शहरी क्षेत्र)काशीपुर, रूद्रपुर,हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की(शहरी) अल्मोड़ा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मसूरी, पिथौरागढ़, टिहरी,पौड़ी गढ़वाल(शहरी क्षेत्र) गोपेश्वर(चमोली) उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग।	"अवर्गीकृत श्रेणी" उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1.	1300	975	650	520
2.	1400	1050	525	560
3.	1650	1238	825	660
4.	1800	1350	900	720
5.	1900	1425	950	760
6.	2000	1500	1000	800
7.	2400	1800	1200	960
8.	2800	2100	1400	1120
9.	4200	3150	2100	1680
10.	4600	3450	2300	1840
11	4800	3600	2200	1920
12.	5400	4050	2700	2160
13.	6600	4950	3300	2640
14	7600	5700	3800	3040
15.	8700	6525	4350	3480
16.	8900	6675	4450	3560
17.	10,000	7500	5000	4000
18.	12,000	9000	6000	4800

3–ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4–अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ।

5–ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है ।

6–संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है । यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते है। अथवा अपनी निजी आवास में निवास करते हैं ।

7–ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0 टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या132/वि0अनु0–3/2001 दिनांक 18 दिसम्बर,2001एवं संख्या444/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 13 जून,2002 की उक्त दरों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

8–यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

9–अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्याः 39/xxvii(7)प0वि0भ0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉकः 13फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः692/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 11 फरवरी,2003 के द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में तैनात पूर्ण कालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन स्लैब के आधार पर पर्वतीय विकास भत्ता एवं शासनादेश सं0–1164/28–4– 2000– 2(4)/91 दिनांक 31 जून,2000 के द्वारा सीमान्त विशेष भत्ता अनुमन्य किया गया था।

2–वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के आधार पर निम्न तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य कराये जाने तथा सम्प्रति सीमान्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य सीमान्त विशेष भत्ता

समाप्त करने तथा उसके स्थान पर उक्तानुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0स0	ग्रेड वेतन/वेतनमान (रू0)	पर्वतीय विकास भत्ते की संशोधित दर
1.	1300	150
2.	1400	150
3.	1650	165
4.	1800	180
5.	1900	190
6.	2000	200
7.	2400	240
8.	2800	280
9.	4200	420
10.	4600	460
11.	4800	480
12.	5400 या इससे अधिक	540

3-ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे-बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4-अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ।

5-एक हजार मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता देय नहीं होगा, यद्यपि एक हजार मीटर की ऊँचाई के मध्य पड़ने वाली घाटियों(भले ही इनकी ऊँचाई 1000 मीटर से कम हो, परन्तु इनका चिन्हीकरण हो गया हो) में पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य होगा ।

6-ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0 सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया

गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जन्वरी,2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के पर्वतीय विकास भत्ता सीमान्त भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 11 फरवरी,2003 इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएगें ।

7—यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

8—अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 39 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तर खण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं लित सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इस्टा बैक अनुभाग उत्त राखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः ५२/xxvii(7)प०वि०भ०/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 13फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः–जी–1–1753/दस–534(46)–76 दिनांक 31 अगस्त,1978तथा इसके कम में समय–समय पर संशोधित शासनादेशों के द्वारा सार्वजनिक उपकमों, निगमों आदि में सरकारी सेवकों एवं शासनादेश संख्याः 209/xxvii(7)/2009 दिनांक 16 नवम्बर,2006 के द्वारा विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिए सेवा शर्तों का निधारण किया गया है।

2–वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में सार्वजनिक उपकमों, निगमों आदि एवं विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0 टी0 डी0 ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में यदि उसी स्टेशन पर तैनाती होती है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के बराबर तथा यदि स्टेशन के बाहर तैनाती होती है तो ग्रेड–पे के 20 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, कि वेतन बैण्ड में वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग रू0 39,100 से अधिक नहीं होगा,

3–उपरिउल्लिखित शासनादेश 31 अगस्त,1978 तथा इसके क्रम में समय–समय पर संशोधित शासनादेश एवं दिनांक 16 नवम्बर,2006 शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएगें ।

4–यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

5–अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५२ (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड. ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड., देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः ५७/xxvii(7)स्वै0परि0क0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 13फरवरी,2009

विषयः–स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(ग्रू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों,जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से4 के मूल नियम–9(23)(बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क)जिन कर्मचारियों को 1 सितम्बर,2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस राशि को दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय ।

(ख)दिनांक 31अगस्त,2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि को ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा ।

3–उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4601/16 –11 –79 –9 – 153–99 दिनांक 23 फरवरी,1980 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः ५० (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 43/xxvii(7)/2009
देहरादूनःदिनांकः 13 फरवरी,2009

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी विशेष भत्ते की सुविधा उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को भी समान आधार पर उपलब्ध कराते हुए अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर तैनात होने वाले अन्य राज्य सेवा के अधिकारियों को क्रमशः रू0 600/–,800/–,900/व रू0 1000/–का मासिक विशेष भत्ता कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 263/xxvii(7)/2006 दिनांक 24 नवम्बर,2006 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2 इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये हैं। वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में सचिवालय विशेष भत्ते के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अतः श्री राज्यपाल राज्य सिविल सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के सचिवालय में अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव एवं अन्य समकक्षीय पदों पर तैनात अधिकारियों का विशेष भत्ता उन्हें अनुमन्य ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किये जाने की इस प्रतिबन्ध के के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वेतन बैण्ड में वेतन,विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी वेतन का योग किसी भी दशा में रू0 67000/–से अधिक नहीं होगा ।

3–उक्तानुसार दरों का पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल,2009 से लागू होगा।

4–उक्त के फलस्वरूवरूप इस संबंध में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 नवम्बर,2006 इस कार्यालय ज्ञाप के प्रभावी होने की दिनांक से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्याः 49 (1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

संख्याः २७/xxvii(7)(स्प0–1)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः13फरवरी,2009

विषयः– राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानो की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008,दिनांकः17अक्टूबर,2008 के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विभाग/संगठनों/संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2–उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008, दिनांकः 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–13 में दिनांक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैण्ड में वेतन पुनरीक्षण किया गया है परन्तु ग्रेड–पे उसके मूल पद की प्रास्थिति के अनुरूप देने की व्यवस्था है । ग्रेड–पे की अनुमन्यता की उक्त व्यवस्था में संशोधन के फलस्वरूप अब अनुमन्य समयमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के अनुसार ग्रेड–पे देय होगी।

3–उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश में प्रोन्नति/चयन वेतनमान की तिथि से विकल्प देने की व्यवस्था नहीं थी। एतद्द्वारा प्रोन्नति की तिथि अथवा चयन वेतनमान की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प दिये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी ।

4–वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक17अक्टूबर,2008 में स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी/जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी । यदि उक्तानुसार वेतन वृद्धि का निर्धारण दिनांक 1–1–2006 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में नहीं किया गया है तो संबंधित आहरण/वितरण

अधिकारी के द्वारा तदनुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5–दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में ग्रेड–पे, वेतन वृद्धि की तिथि तथा पदोन्नति/चयन की तिथि से भी विकल्प देने की व्यवस्था हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा विकल्प दिये जाने की तिथि दिनांक:15–1–2009 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्तानुसार निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने की सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 'तीन माह' बढ़ायी जा रही है। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व में दिये अपने विकल्प में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्व से दिये अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकता है । उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प की सुविधा अग्रेतर नहीं बढ़ायी जाएगी ।

6–वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढॉचें में वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी । इस विषय में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में पुराने वेतनमान तथा नये वेतनमान दोनों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है । अतः ऐसे प्रकरणों में अब पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमानों में ही एक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जाएगा और पूर्व में इस संबंध में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये हैं उनको संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा ठीक कर लिया जाय।

7–शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008, दिनांक: 17अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–29 के क्रम में अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

8–दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष का 40प्रतिशत

वित्तीय वर्ष2008–09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में भुगतान किया जाएगा ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 27(1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 500प्रतियां प्रकाशनार्थ
12.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

संख्याः 51/xxvii(7)सी0भर्ती0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉक.13फरवरी,2009

विषयः–दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनाक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। उक्त शासनादेश के संलग्नक–2 में उल्लिखित फिटमेन्ट टेबिल में उक्त तिथि के पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के लिए वेतन निर्धारण की व्यवस्था तो की गई है लेकिन दिनांक1–1–2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण की कोई प्रकिया निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न सेवा संघों के द्वारा इस सबध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के लिये निम्नवत वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जायेः–

वेतन बैंड–1(रू0 5200–20200)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

वेतन बैंड–2(रू09300–34800)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

वेतन बैंड–3(रू015600–39100)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

वेतन बैंड–4(रू0 37400–67000)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

2–ऐसे प्रकरणों में, जहाँ पूर्व संशोधित वेतनमानों में परिलब्धियों (अर्थात सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान(वेतनमानों)में मूल वेतन जमा मंहगाई भता) संशोधित वेतन सरंचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के योग से अधिक हो तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

3–अतः उक्त श्रेणी के सीधी भर्ती के कार्मिकों के लिए उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस श्रेणी के कार्मिकों के लिए भी विकल्प की तिथि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह तक अंतिम बार बढाई जा रही है। उक्त तिथि के बाद विकल्प की तिथि अग्रेतर नहीं बढाई जाएगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 41 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:61 /xxvii(7)म0कि0/2009

प्रेषक,

टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनाँक: 16 फरवरी,2009

विषय:–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन का शुद्धि पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या:38xxvii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के द्वारा वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 में दी गई तालिका को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् पढा जाय:

क0स0	ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" देहरादून,पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय यथा हरिद्वार,उधम सिंहनगर (रूद्रपुर) अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, गोपेश्वर (चमोली) उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा काशीपुर,हल्द्वानी तथा काठगोदाम, भवाली, रानीखेत, मुक्तेश्वर, रूड़की मसूरी के नगर पालिका क्षेत्र(शहरी क्षेत्र)	"अवर्गीकृत श्रेणी" "श्रेणी बी–2"एवं श्रेणी"सी" के शहरों को छोड़कर अन्य अवर्गीकृत क्षेत्र।
1.	1300	975	650	520
2.	1400	1050	700	560
3.	1650	1238	825	660
4.	1800	1350	900	720
5.	1900	1425	950	760
6.	2000	1500	1000	800
7.	2400	1800	1200	960
8.	2800	2100	1400	1120
9.	4200	3150	2100	1680

10.	4600	3450		2300	840
11.	4800	3600		2400	920
12.	5400	4050		2700	2160
13.	6600	4950		3300	2640
14.	7600	5700		3800	3040
15.	8700	6525		4350	3480
16.	8900	6675		4450	3560
17.	10,000	7500		5000	4000
18.	12,000	9000		6000	4800

शासनादेश संख्या:38xxvii(7)मा0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेगीं।

भवदीय,

(टी0एम0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः (1) (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0सी0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या: ⁄ X   /ए०सी०पी० / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे०आ०—सा०नि०)अनु०—7   देहरादून:दिनॉक:8 फरवरी,2009

विषयः—सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन / एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (ए०सी०पी०) लागू किया जाना।

महोदय,

वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्या:395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षण किया गया है तथा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

2—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्मिकों के विभिन्न संवर्गों में प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की भांति सुनिश्चित कैरियर स्तरोन्नयन योजना (ए०सी०पी०) को निम्नलिखित प्रकिया,शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(क) उक्त योजना में राज्य सरकार के समूह क,ख,ग एवं घ श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों को कमशः 10 वर्ष,20 वर्ष एवं 30 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने पर वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा। उक्त लाभ उन अधिकारियों / कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगा जिनका कोई संगठित संवर्ग नहीं है अपितु वे एकल पद पर कार्यरत हैं तथा पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की योजना के अन्तर्गत उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख)यह योजना उन संवर्गों के लिये नहीं होगी जिनकी संगत सेवानियमावली में पूर्व से ही समयमान / चयन वेतनमान / समयबद्ध प्रोन्नति

की व्यवस्था विद्यमान है जिसके कारण वित्तीय उन्नयन/प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं।

(ग)उक्त योजना का लाभ कैजुअल,तदर्थ एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को अनुमन्य नही होगा।

(घ) इस योजना का प्रभाव संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति/रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति के सोपानों पर नहीं पड़ेगा।

3–वित्तीय स्तरोन्नयन की शर्तें एवं प्रतिबन्धः–

(क)योजना के अन्तर्गत क्रमशः 10,20 एवं 30 वर्षों में नियमित रूप से कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किये जाने की व्यवस्था होगी अर्थात अधिकारियों/कर्मचारियों के मौलिक नियुक्ति के पद के ग्रेड वेतन से आलोच्य अवधि पूर्ण होने पर उसे शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक-1 की तालिका के कॉलम–5 में अग्रेतर ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। स्तरोन्नयन दिये जाने हेतु फंक्शनल/नियमित पदोन्नति की भांति किसी पद के सापेक्ष स्तरोन्नयन नही होगा अपितु वर्तमान ग्रेड वेतन के ठीक बाद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख)इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ का अधिकतम स्तर वेतन बैन्ड 4 में वेतन बैन्ड रू0 37400-67000 पर रू0 8700 का ग्रेड वेतन (रू0 14300-18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान के स्तर तक) होगा इसके बाद के ग्रेड पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य नहीं होगा।

(ग)सरकारी सेवक की 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, 20 वर्ष पर द्वितीय तथा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उपरोक्त प्रस्तर–3 (क) के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होगा। यदि संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण प्रथम स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अग्रेतर बढ़ जाता है तब इसका परिणामी प्रभाव द्वितीय एवं तृतीय स्तरोन्नयन पर भी उसी आधार पर पड़ेगा।

(घ)पूरे सेवा काल में सरकारी सेवक को सीधी भर्ती से उसकी प्रथम नियुक्ति के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होंगे।यदि प्रथमस्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व कार्मिक की नियमित पदोन्नति हो जाती है और पदोन्नति होने मे यदि पदधारक, उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 की तालिका-5 में अपने मूल

पद के अगले ग्रेड वेतन में यदि पदोन्नत होता है तो उसे द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन में अगले ग्रेड वेतन क्रमशः 20 एवं 30 वर्षों में प्राप्त होंगे। यदि प्रथम पदोन्नति में ही पदधारक के मूल पद के ग्रेड वेतन से पदोन्नत होने पर दो स्तर उच्च का ग्रेड वेतन अनुमन्य होता है ऐसी स्थिति में क्योंकि उसे प्रथम पदोन्नति में ही द्वितीय स्तरोन्नयन का लाभ 10 वर्ष के अन्दर प्राप्त हो गया है ऐसी स्थिति में पूरे सेवा काल में अनुमन्य तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ 30 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर ही अनुमन्य होगा। यदि कार्मिक को अपने मूल संवर्ग के पद से क्रमशः 10,20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही दो पदोन्नति होने पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो जाते है तो ऐसे कार्मिकों को उक्त योजना का भविष्य में कोई अन्य लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(ड)उपसैक्त प्रस्तर–3(ब) उन कार्मिकों पर भी लागू होगा जिनको वेतन समिति (1997–1999) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 1–1–1996 से समयमान वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या–1014/01वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च 2001 एवं उक्त के क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के अधीन क्रमशः 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति के पद के वेतनमान के अनुसार अनुमन्य किये गये वेतनमानों से यदि उपरिउल्लिखित शासनादेश 17 अक्टूबर,2008 केसंलग्नक–1 की तालिका–5 के अनुसार उसके मूल पद के सादृश्य यदि क्रमशः 1,2 या 3 उच्च स्तर के वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो चुका है तो उसे क्रमशः 10,20 एवं 30 वर्ष,जैसी भी स्थिति हो पर अनुमन्य हो जाने पर उक्त योजनाका लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ कार्मिक को पूर्णतः वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जायेगा और इसका उसकी वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5.उक्त योजना के अन्तर्गत कार्मिक के वेतन का निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 (एक) के अनुसार कियाजायेगा। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ अन्तिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय उसे वेतन निर्धारण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6.उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य उच्च वित्तीय स्तरोन्नयन इस शर्त के अधीन होगा कि भविष्य में होने वाली रिक्ति पर उसकी पदोन्नति होती है तो वह उसे लेने के लिये बाध्य होगा।

7.यदि कोई कार्मिक उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित पदोन्नति को अस्वीकार करता है तो उक्त योजना के अन्तर्गत उसे अनुमन्य लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन उक्त योजना के अन्तर्गत उसे आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य नही होंगे।

8.उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के कॉलम–4 में क्रमांक –1 से 14 तक वेतन बैन्ड क्रमशः रू0 4440–7440 पर रू0 1300 का ग्रेड वेतन (रू0 2550 3200 का दिनांक 1–1–2006 से पूर्व का वेनमान) से रू0 9300–34800 के वेतन बैन्ड पर रू0 4800 के ग्रेड वेतन (रू0 7500–12000 का दिनांक 1–1–2006 से पूर्व का वेनमान) तक के पदधारकों के लिये उक्त योजना दिनांक 1–9–2008 से तथा वेतन बैन्ड 15600–39100 पर रू0 5400 के ग्रेड वेतन(रू0 8000–13500 का दिनांक 1–1–2006 से पूर्व का वेतनमान) तक के कार्मिकों को उक्त योजना का लाभ दिनांक 1–1–2006 से अनुमन्य होगा। यदि वेतन बैन्ड–3 के उक्त प्रारम्भिक पद पर किसी विभाग के किसी पद के एकल या एक से अधिक पद होने पर भी समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अधीन उसे 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कोई लाभ प्राप्त नही हुआ है तो ऐसे पदधारकों को 10 वर्ष की सेवा दिनांक 1–1–2006 से पूर्व भी पूर्ण करने पर भी उक्त योजना का लाभ दिनांक 1–1–2006 से अथवा उक्त तिथि के बाद जहां भी वे 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हों,अनुमन्य होगा। ऐसे कार्मिकों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ क्रमशः 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पर प्राप्त होंगे।

9.सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन/एश्योर्ड कैरियर स्तरोन्नयन योजना (ए0सी0पी0) लागू होने की तिथि से समयमान वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या–1011/01वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च 2001 एवं उक्त के क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश निरस्त समझे जायेगें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 75 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–74 / XXVII(7) / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक: 1 मार्च, 2009

विषयः– छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेसमेंट स्केल) का उच्चीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, (2008) के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमान से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृत क्रमशः शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा की गयी है।

2–वेतन समिति (2008) ने अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के शिक्षकों की भाँति राज्य सरकार के शिक्षकों को भी उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1–4–2009 से स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की है। वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में राज्यपाल महोदय, शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान को केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान क्रमशः ग्रेड–3, ग्रेड–2 एवं ग्रेड–1 के श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए संलग्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम–4 में उल्लिखित वेतनमान के सादृश्य कालम–5 एवं 6 में क्रमशः उल्लिखित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्राकल्पित आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्चीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 1–4–2009 से दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) नियमित रूप से एक निश्चित समय अन्तराल में शिक्षकों की दक्षता एवं कार्यकुशलता का आंकलन किया जाना चाहिए तथा उच्चतर वेतनमान देते समय आंकलन के परिणामों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, प्रथम अथवा ऐसी ही

किसी संस्था से प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम तैयार कराये जाने चाहिए एवं कार्यकुशलता के आंकलन हेतु मानक निर्धारित किये जाने चाहिए। Achievement व Output समरूप नहीं हैं अतः Incentive/Disincentive के मानक निर्धारित किये जायें।

(2) शासकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय, केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों के गत तीन वर्षों के दसवीं व बारहवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन कर राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों की ग्रेडिंग की जाये तथा सम्बन्धित शिक्षकों की कार्यकुशलता का आकलन किया जाये।

(3) शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में उच्चतर वेतनमान संस्तुत किये जा रहे हैं, कदाचित यह राज्य को शिक्षा हब (Education Hub) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सके।

(4) शिक्षा विभाग में शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग अलग-अलग गठित किये जाने चाहिए तथा शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रशासनिक संवर्ग में तैनात नहीं किया जाना चाहिए ताकि अनुभवी एवं योग्य अध्यापक अध्यापन कार्य संचालित करते रहें एवं राज्य सेवा से सीधी भर्ती द्वारा आने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य में लगाया जाये। इन दोनों संवर्गों की संवर्गीय नियंत्रण की व्यवस्था अलग-अलग की जानी चाहिए।

(5) संविधान के तिहत्तरवें व चौहत्तरवें संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को निचले स्तर पर पहुँचाया गया है एवं व्यवस्थाओं में जन सहभागिता बढाई गयी है। समिति का मत है कि शिक्षकों के कार्यों के मूल्यांकन हेतु यथा आवश्यक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का सहयोग लिया जाना चाहिए। इस मूल्यांकन में खरे न उतरने वाले शिक्षकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने चाहिए। यदि अशासकीय विद्यालयों का प्रबन्ध तंत्र कार्यवाही न करे तो उनका वित्त पोषण समाप्त किया जाना चाहिए तथा मान्यता भी समाप्त की जानी चाहिए।

(6) प्रथमतः अध्यापकों का स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं होना चाहिए। प्राथमिक तथा जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए जनपदीय संवर्ग होना चाहिए तथा उनके स्थानान्तरण जनपद में ही होने चाहिए। माध्यमिक तथा हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति भले ही प्रदेश स्तर पर हो किन्तु स्थानान्तरण यथा संभव जनपद के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए।

3-प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत किये गये वेतनमान के ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। उच्चीकृत वेतनमान के भुगतान की प्रक्रिया समदिनांकित शासनादेश संख्या-25/XXVII(7)/2009 तथा

संख्या–27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार रहेगी।

4–उपरोक्तानुसार उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008, एवं समदिनांकित शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 तथा संख्या–27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार किया जाएगा। लेकिन रु0 8000–13,500 के अपुनरीक्षित वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से वेतन बैण्ड–2 में पुनरीक्षित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे का निर्धारण संलग्नक–2 के अनुसार किया जाएगा। यदि संलग्नक–2 में उल्लिखित रु0 8000–13,500 के अपुनिरीक्षित वेतनमान की अनुमन्यता के पदधारकों का वेतन पुनरीक्षण वेतन बैण्ड–3 में किया गया हो, तब उनका वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 74 (1)/XXVII(7)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर उत्तराखण्ड देहरादून।
4– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
6– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–74/ XXVII(7)/2009 का संलग्नक–1

क्र0 सं0	अध्यापक	वर्तमान वेतनमान/ ग्रेड	उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड	सादृश्य वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	**बेसिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षक**				
	(क) साधारण वेतनमान	4500–7000	ग्रेड–III 6500–10500	वेतन बैण्ड–2	4200
	(ख) चयन वेतनमान	5000–8000	ग्रेड–II 7450–11500	वेतन बैण्ड–2	4600
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–I 7500–12000	वेतन बैण्ड–2	4800
2	**प्रधानाध्यापक प्राइमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिक**				
	(क)साधारण वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–III 7450–11500	वेतन बैण्ड–2	4600
	(ख)चयन वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–II 7500–12500	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–I 8000–13500	वेतन बैण्ड–2	5400
3	**प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक**				
	(क)साधारण वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–III 7500–12500	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ख)चयन वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–II 8000–13500	वेतन बैण्ड–3	5400
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	8000–13500	ग्रेड–I 10000–15200	वेतन बैण्ड–3	6600
4	**माध्यमिक शिक्षा 1–एल0टी0शिक्षक**				
	(क)साधारण वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–III 7450–11500	वेतन बैण्ड–2	4600
	(ख)चयन वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–II 7500–12000	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ग)प्रोन्नत वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–I 8000–13500	वेतन बैण्ड–2	5400

5	2—प्रवक्ता		ग्रेड—III	वेतन	
	(क)साधारण वेतनमान	6500—10500	7500—12000	बैण्ड—2	4800
	(ख)चयन वेतनमान	7500—12000	ग्रेड—II 8000—13500	वेतन बैण्ड—3	5400
	(ग)प्रोन्नत वेतनमान	8000—13500	ग्रेड—I 10000—15200	वेतन बैण्ड—3	6600
6	3—प्रधानाध्यापक हाई स्कूल		ग्रेड—II	वेतन	
	(क)साधारण वेतनमान	7500—12000	8000—13500	बैण्ड—3	5400
	(ख)चयन वेतनमान	8000—13500	ग्रेड—II 10000—15200	वेतन बैण्ड—3	6600
7	4—प्रधानाचार्य	10000—15200	12000—16500	वेतन बैण्ड—3	7600

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 78 /XXVII (7)/2009
देहरादूनः दिनांकः 1 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–395/दस–99–600/99 दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्थाओं को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवक अब नये वेतनमान में वायुयान, रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे।

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	अधिकृत श्रेणी
ग्रेड वेतन रु012000 तथा HAG+ व उच्च	वायुयान का बिजनेस क्लास अथवा रेल का ए. सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रु010000 तथा शासन के अपर सचिव जो ग्रेड वेतन रु0 8900 में कार्यरत हों	वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेल का ए. सी.प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रु0 5400,6600,7600,8700 व 8900 (शासन के अपर सचिव को छोडकर)	रेल का ए.सी. टू टियर/प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार
ग्रेड वेतन रु0 4200,4600 व 4800	रेल का ए.सी. थ्री टियर/प्रथम श्रेणी/ए.सी. चेयर कार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	रेल का स्लीपर क्लास

जो स्थान रेल से जुड़े न हों:–ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्र हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी.बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य को डीलक्स/साधारण बस यात्र हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

जो स्थान रेल से जुड़े हों:– रेल के अलावा पब्लिक ट्रॉन्सपोर्ट के अन्य माध्यमों से भी यात्रा की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किराया अनुमन्य रेल किराये से अधिक न हो।

यात्रा भत्ता देयक के साथ मूल टिकट/उसकी प्रति/टिकट संख्या संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(2) आनुषांगिक व्यय–

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य अनुषांगिक व्यय निम्न प्रकार से अनुमन्य होगा:–

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	आनुषांगिक व्यय की दरें प्रति किलोमीटर
ग्रेड वेतन रु0 8900,10000,12000 तथा HAG+ व उच्च	50 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200, 4600,4800,5400,6600, 7600 व 8700	35 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	20पैसे

वायुयान से की जाने वाली यात्राओं हेतु आनुषांगिक व्यय रूपया 50.00 प्रति यात्रा की दर से दिया जा सकता है।

(3) दैनिक भत्ता–

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी:–

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून,नैनीताल व पौडी गढवाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
ग्रेड वेतन रु08900, 10000,12000 तथा HAG +व उच्च	रु0 350	रु0 250	रु0 200
ग्रेड वेतन रु0 4800, 5400,6600,7600 व 8700	रु0 250	रु0 190	रु0 160
ग्रेड वेतन रु0 4800 से कम	रु0 150	रु0 100	रु0 80

उपरोक्त तालिका के द्वितीय कालम में उल्लिखित नगरों में रु0 5400 अथवा अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को होटल/अन्य संस्थान में ठहरने व स्थानीय यात्रा

हेतु निम्न दरों से प्रतिपूर्ति की जा सकती है:–

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	प्रतिपूर्ति दर
ग्रेड वेतन रू0 8900,10000,12000 तथा HAG+व उच्च	रू0 1000
ग्रेड वेतन रू0 5400,6600,7600 व 8700	रू0 750

यात्रा भत्ता देयक के साथ उक्त व्यय का मूल वाउचर संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु निम्नानुसार धनराशि की प्रतिपूर्ति कही जा सकती है:–

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	होटल/कैस्ट हाउस में अवस्थान करने पर दैनिक भत्ता	स्वयं की व्यवस्था पर दैनिक भत्ता
ग्रेड वेतन रू0 12,000 तथा HAG+व उच्च	होटल/गेस्टहाउस के लिये रू05000/– प्रति दिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर 50 कि.मी. तक की यात्रा हेतु ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0500/– प्रति दिन भोजन का बिल	रू0 700/–प्रतिदिन, नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु ए.सी. टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रू0 10000 व 8900	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 3000/–प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर 50 किमी0 तक की यात्रा हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 300/–प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 600/– प्रतिदिन,नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रू0 5400, 6600, 7600, 8700	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 1500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 200 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 450 प्रतिदिन,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रू0 4800 से रू04200	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 150 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 350 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रू0 4200 से कम	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 300 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 100 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 200 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति

निशुल्क आवास अथवा निशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते की दर सामान्य दर के 25 प्रतिशत के बराबर रखी जाएगी।

(4) सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता:-

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23 (बी)(2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सडक मील भत्ता उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा निर्धारित पूर्व दरों का डेढ गुना अनुमन्य होगा:-

(5) स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें:-

(क) घरेलू सामान की ढुलाई:-

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 42 (2)(1)(111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये पुनरीक्षित वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जाएगी:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु0 7600,8700,8900,10000, 12000 तथा HAG+व उच्च	6000 किलोग्राम / चार पहिए का एक वैगन / एक डबल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु0 4200,4600,4800,5400, 6600	6000 किलोग्राम / चार पहिए का एक वैगन / एक सिंगल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु0 2800	3000 किलोग्राम
ग्रेड वेतन रु0 2800 से कम	1500 किलोग्राम

स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश के एक बड़े भू-भाग में रेल सेवाऐं उपलब्ध भी नहीं है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम की दर से अनुमन्य होगा।

(ख) स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत वाहन की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु0 6600,7600,8700,8900, 10000,12000 तथा HAG+व उच्च	एक मोटर कार / मोटर साईकिल / स्कूटर
ग्रेड वेतन रु0 6600 से कम	एक मोटर साईकिल / स्कूटर / मोपेड / साईकिल

(ग) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदानः–

वर्तमान में अनुमन्य दरों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैः–

(अ) जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण की दशा में पैकिंग भत्ता की दर ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत।

(ब) एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण की दशा में एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दर ग्रेड वेतन के दो गुना के बराबर रखी जाती है। HAG+व उच्च वेतनमान के अधिकारियों हेतु इसकी दर रूपया रु0 24000.00 रखी जाती हैं।

(6) यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जो कि उक्त तिथि को या इसके पश्चात् प्रारम्भ हुयी हो परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जाएगा।

(7) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जाएंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

संख्या– 780/XXVII (7)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, औबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4– रजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 79 / xxvii(7)म0कि0 / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉक 1 मार्च,2009

विषयः–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार / राज्य सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता ।

महोदय,

अखिल भारतीय सेवा(मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1977 के निम्न प्राविधान की ओर मुझे आप का ध्यानाकर्षण करने का निदेश हैः–

"राज्य सरकार में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उन्हीं शर्तों एवं दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है परन्तु अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता की धनराशि किसी भी समय किसी भी दशा में उन दरों से कम नहीं होगी जो कि उस स्टेशन पर तैनात भारत सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुमन्य होगी।"

2–वेतन समिति,2008 की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या 38_xxvii(7)म0कि0 / 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के द्वारा राज्य की सीमा के अन्तर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों, जनपदीय मुख्यालयों,अन्य सामरत क्षेत्रों आदि के लिए मकान किराये भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है । उक्त सेवा के अधिकारियों की राज्य के अन्तर्गत तैनाती पर उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 अथवा भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 29–8–2008 में उल्लिखित मकान किराय भत्ते की दरों में से जो भी दर अधिक हो वही अनुमन्य होगी ।

3–उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में षष्ठम् वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मकान किराये भत्ते संबंधी शासनादेश संख्या–2(13)2008–I:-11(B)दिनांक29–8–2008 संलग्न है।

4–भारत सरकार के प्रस्तर–3 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29–8–2008 की व्यवस्था दिनांकः 1सितम्बर,2008 से तथा प्रस्तर–2 की व्यवस्था 1 अप्रैल,2009 से लागू होगी।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्याः 19 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
13 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 86 /XXVII(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1:समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2:समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादून: दिनांक 12 मार्च 2009

विषयः **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के संबंध में 31–7–2007 के शासनादेश का स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 190/XXVII(7)/2007 दिनांक 31–7–2007 में स्पष्ट किया गया है कि चतुर्थ वर्ग के ऐसे कर्मचारी जिनकी सीधी भर्ती का वेतनमान रू0 2550–3200 है, से 14 वर्ष की सेवा पर रू0 2650–4000 का समयमान वेतनमान तथा 24 वर्ष की सेवा पर रू0 3050–4590 का द्वितीय समयमान वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 में समयमान वेतनमान विषयक शासनादेशों का उल्लेख कर उनमें उक्त सीमा तक संशोधन किया गया अर्थात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों के कम में मात्र वेतनमान परिवर्तित करने तक की सीमा में ही संशोधित किया गया है समयमान वेतनमान हेतु लागू पूर्व की तिथि यथावत होंगे न कि संशोधन विषयक आदेश दिनांक 31–7–2007के दिनांक से।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या 86 /XXVII(7)/2009 एवं तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1: महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2: सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3: सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4: सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5: रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11:इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
12:निदेशक, एन0आई0सी0उत्तराखण्ड देहरादून।
13:गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)–7
संख्याः ८७/xxvii(7)/2009
देहरादूनःदिनांकः २५मार्च,2009

कार्यालय–ज्ञाप

कार्मिक विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1710/xxx(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर,2007 के द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग से भिन्न राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों के वाहन चालकों को भी उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि जिसमें मंहगाई भत्ता सम्मिलित नही है, अनुमन्य किया गया है। कार्मिक विभाग के उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 13 नवम्बर,2007 के अनुसार प्रतिपूर्ति/मानदेय के बिल कोषागार को प्रस्तुत किये जाने पर कोषागार द्वारा आपत्ति लगाते हुए सम्बन्धित बिल वापस कर दिये गये हैं कि वेतन बैण्ड में देय मूल वेतन ही देय होगा उस पर देय ग्रेड वेतन को मूल वेतन में नहीं लिया जायेगा।

अतः उक्त के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा वेतन समिति उत्तराखण्ड के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 में यह उल्लिखित किया गया है कि संशोधित वेतन ढांचे में "मूल वेतन" का तात्पर्य "उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा,परन्तु इसमें विशेष वेतन,वैयक्तिक वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नही है।" प्रदेश के वाहन चालकों को 1 माह का वेतन मानदेय के रूप में दिये जाने की व्यवस्था पूर्व से निर्गत शासनादेशों में है। अतः वाहन चालकों को मानदेय के भुगतान हेतु मूल वेतन का आशय उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 के अनुसार वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग से है। उक्त के साथ यह भी स्पष्ट करना है कि पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से वित्तीय वर्ष 2008–09 में लागू किये गये है,वित्तीय वर्ष 2008–09 के उक्त वित्तीय वर्ष का मानदेय अभी नहीं दिया गया है, विगत वर्षों का मानदेय पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। अतः पूर्व वर्षों के लिये 01–वेतन की परिभाषा पूर्ववत रहेगी जिसमें वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई वेतन के योग के अनुसार मानदेय दिया गया है, और उक्तवत व्यवस्था वर्ष 2008–09 एवं अग्रेतर जब तक यह व्यवस्था है तब तक ही लागू रहेगी।

उक्त स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के फलस्वरूप वाहन चालकों को मानदेय के विषय में पूर्व में समय–समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 93 (1)xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उप सचिव।

संख्या: 144/xxvii(7)म.भ./2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 29 मई, 2009

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या:1(1)/2009–संस्था–II(ख) दिनांक 13 मार्च,2009।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 द्वारा दिनांक 1–7–2008 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 16 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्या:396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008,भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या:1(1)/2009–संस्था–II(ख) दिनांक 13 मार्च,2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–1–2009 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को महगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2009 से 31मई,2009 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01जून,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 144 / xxvii(7)म.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2 समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4 सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5 सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6 महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7 रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8 निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9 स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10 निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 203/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांकः २१ जुलाई,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रॅक्योरमेंट) नियमावली,2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थाओं से अधिप्राप्ति की प्रकिया का स्पष्टीकरण।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रॅक्योरमेंट) नियमावली,2008 के अध्याय–2 में 'सामग्री' की अधिप्राप्ति हेतु रू0 15,000 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के,रू0 15,000 से ऊपर तथा रू0 1 लाख तक की सामग्री का क्रय परचेज कमेटी के द्वारा, रू0 15 लाख तक की सामग्री का क्रय"लिमिटेड टेण्डर इन्क्वायरी" के द्वारा तथा रू0 25 लाख तथा उससे अधिक की सामग्री का क्रय "एडवरटाईज्ड टेण्डर इन्क्वायरी" के द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। उक्त के अतिरिक्त राज्य में निर्मित लघु/कॉटेज/खादी उद्योगों के उत्पादों को 10 प्रतिशत की सीमा तक मूल्य तथा क्रय वरीयता शासन की नीतियों के अनुसार क्रय किये जाने की व्यवस्था है।

2– भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 14/12/94–वेलफेयर(vol.II) दिनांक 5–7–2007 के द्वारा केन्द्रीय भण्डार, एन0सी0सी0एफ0 तथा अन्य मल्टी–स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज से सामग्री क्रय की व्यवस्था निरूपित की गई हैं । अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ के पत्र संख्या 10147 दिनांक 4–12–2008 के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सहकारी संघों के माध्यम से रू0 15000 से अधिक तथा रू0 1,00,000(रू0 एक लाख मात्र) तक की लागत की सामग्री का क्रय संबंधित विभाग द्वारा राज्य सहकारी संघ से मूल्य की औचित्यता से सन्तुष्ट होते हुए सीधे क्रय समिति के माध्यम से करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं । क्रय समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टता तथा दरों की युक्तयुक्तता(Reasonableness) प्रमाणित की जाएगी । रू01,00,000(रू0 एक लाख मात्र) की अधिकतम सीमा को बढ़ाये जाने के लिए सप्लाई ऑडर को किसी भी परिस्थिति में टुकडों में नहीं तोड़ा जाएगा। उक्त के अतिरिक्त रू0 15,00,000(एक पन्द्रह लाख मात्र) सीमा तक की सामग्री के क्रय हेतु अपनाई जाने वाली लिमिटेड टेण्डर इन्क्वायरी की प्रकिया में राज्य सहकारी संघ को भी रजिस्टर्ड सप्लायर के रूप में निविदा दाता की सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

4. उक्त व्यवस्था दिनांकः31–3–2010 तक के लिए ही लागू होगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त ।

संख्याः 203/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
3.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
4.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
5.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
6.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
7.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
8.अध्यक्ष,उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ।
9.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
10.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 215/XXVII/(7) 2009
देहरादून, दिनांक : 25 अगस्त, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–10(2) एवं नियम–72 (4) विषयक।

शासनादेश संख्या–258/XXVII(7)/2008, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा सामान्य आवश्यकता की सामग्री यथा वाहन, फोटोकापियर एवं उसकी एसेसरीज, फैक्स मशीन, जनरेटर, फायर एक्विपमेन्ट, पुलिस विभाग हेतु यूनिफार्म सामग्री, कम्प्यूटर, पैडलॉक एवं अन्य आवश्यक कार्यालय सामग्री, जो डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर उपलब्ध है, को दर अनुबन्ध की अवधि में सूचीगत फर्म से सीधे क्रय करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों से उक्त सामग्री के सीधे क्रय की अनुमति केवल छोटी–मोटी/लघु (पेटी) आवश्यकताओं के लिए ही दी गयी है। शासनादेश की मंशा के विपरीत उक्त सामग्री का क्रय अत्यधिक मात्रा में (वल्क परचेज) भी, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों पर करने की जानकारी शासन के संज्ञान में आयी है। अतः उक्त शासनादेश संख्या–258/XXVII(7)/2008 दिनांक 22 अगस्त, 2008 के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों/संस्थाओं में रु0 25 लाख से अधिक की उक्त सामग्री की आवश्यकता हो, उनके लिए डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के रेट होते हुए भी, सामग्री का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा प्रकिया के अनुसार सुनिश्चित किया जाए परन्तु इस प्रकिया के अनुसार जो दर स्वीकार की जाए वह डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर से कम हो।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या- 215 (1)/XXVII/(7) 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4- सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6- रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10- उत्तराखण्ड सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
11- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:302/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक:27 अक्टूबर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न शैक्षिक पदधारकों द्वारा छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अधोहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ हैः–

जिज्ञासायें	स्पष्टीकरण
1.शासनादेश सं0 74/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च, 2009 के संलग्नक–1 के स्तम्भ–4 में वर्तमान वेतन के सापेक्ष उच्चीकृत वेतनमान में दिनांक 1–1–2006 से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को प्रथमतः वेतन निर्धारण 1–1– 2006 को प्राकल्पित आधार पर किया जाएगा अथवा नही? अर्थात दिनांक 1–1–2006 से उच्चीकृत किये गये वेतनमानों यथा रू0 6500–10500, रू0 7450–11500,रू0 7500–12000 आदि का वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–2 में उक्त उच्चीकृत वेतनमानों की ही फिटमेन्ट तालिका के अनुसार होगा या आहरित वेतन के आधार पर आगणित वेतन पर मात्र ग्रेड वेतन जोड़कर होगा?	शासनादेश दिनांक 01 मार्च,2009 के अनुसार विकल्प देने वाले शिक्षकों का दिनांक 1–1–2006 से वेतन प्राकल्पित आधार पर निर्धारित किया गया जाएगा। दिनांक 1–1–2006 से उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक वेतनमान रू0 4500–7000 का प्रतिस्थापित वेतनमान पे–बैण्ड–1 में है । अतः दिनांक 31–12–2005 में जिस वेतनमान में थे उस वेतनमान के निर्धारित सोपान(Stage) हेतु दिनांक 1–1–2006 से Fitment Table भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है जिन प्रकरणों में उच्चीकरण दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद किये गये हैं ऐसे प्रकरणों में दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद जैसी भी

स्थिति हो के अनुसार यदि एक ही पे–बैण्ड में उच्चीकरण है तब मात्र ग्रेड–पे में परिवर्तन होगा परन्तु उच्चीकरण यदि दूसरे पे–बैण्ड में है तब दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद पे–बैण्ड के न्यूनतम एवं उच्चीकृत ग्रेड पे देय होगा उदाहरणार्थ– एक शिक्षक दिनांक 31–12–2005 को रू0 4500–7000 में था जिसे दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान रू0 6500–10500 के ग्रेड–पे रू0 4200 में उच्चीकृत किया गया इस प्रकरण में प्रथमतः दिनांक 1–1–2006 को रू0 4500–7000 के निश्चित सोपान पर फिटमेन्ट टेबिल से पुनरीक्षित करने पर यदि स्तर रू0 9300 से कम आता है(पे–बैण्ड–2 रू0 9300– 34800) तब रू0 9300 या इससे अधिक है तब उसी स्तर पर ग्रेड–पे रू0 2800 के स्थान पर रू0 4200 किया जाएगा चूँकि दिनांक 1–1–2006 से नोशनल तथा दिनांक 1–4–2009 से वास्तविक लाभ देय है ऐसी स्थिति में दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद से दिनांक 31–3–2009 तक नोशनली वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर दिनांक 1–4–2009 से वास्तविक भुगतान किया जाय।

2.दिनांक 1–1–2006 अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण सीधे छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित संरचना में वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के आधार पर किया जाना है।

दिनांक 1–1–2006 अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण सीधे छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित संरचना में वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन, वित्त(वे0आ0–

अथवा शासनादेश सं074 (उच्चीकृत वेतन) 1मार्च,2009 के द्वारा शैक्षिणक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेस मेंन्ट स्केल) का उच्चीकरण किये जाने के फलस्वरूव उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के संदर्भ में शासनादेश सं0 41/xxvii(7)/ 2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 का अनुसरण किया जाएगा ।

(क)वर्तमान वेतनमान रू0 6500 –10500, उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 में रू04800 का ग्रेड वेतन जोड़कर दिनांक 20–4–2006 को वेतन रू0 14100 निर्धारित किया जाएगा। अथवा

(ख)शासनादेश सं0:395/xxvii (7)/ 2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के साथ पठित सीधी भर्ती के शासनादेश सं0 41 xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के अनुसार दिनांक 20–4–2006 को रू0 13350 में रू0 4800 का ग्रेड–पे जोड़कर रू0 18150 पर निर्धारित किया जाएगा।

3.शासनादेश सं0 74/xxvii(7)/ 2009, दिनांक 1 मार्च,2009 के अधीन सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सं0 41/ xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के आधार पर किया जाएगा तथा तत्पश्चात वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सं0 74/xxvii(7) /2009 दिनांक 1मार्च,2009 के साथ संलग्नक–1 के अनुसार उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्मुख कालम–1 में बिन्दु के अंश'ख' के अनुसार किया जाएगा क्योंकि नियुक्ति के समय वेतन रू0 6500–10500 था लेकिन यदि वह विकल्प दिनांक 1 मार्च,2009 के शासनादेश के अनुसार देता है तब रू0 7500–12000 के वेतनमान में सीधी भर्ती विषयक शासनादेश सं041 xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के अनुसार रू0 7500–12000 के वेतनमान में रू0 13350 के वेतन बैण्ड में रू0 4800 की ग्रेड पे जोड़कर वेतन का आगणन किया जायेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में पदधारक को कोई एरियर देय नहीं होगा और यदि एरियर भुगतान किया जा चुका है, तो वह मय ब्याज के राजकोष में जमा किया जायेगा। अर्थात दिनांक 20–4–2006 को रू0 6500–10500 के वेतनमान में नियुक्त प्रवक्ता का वेतन किस प्रकिया के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा:–

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सं0 395/ xxvii(7)/

दिनांक 1–1–2006 से पूर्व कार्यरत शिक्षकों को मात्र ग्रेड–वेतन का लाभ अनुभन्य कराये जाने की स्थिति में 1–1–2006 के पश्चात नियुक्ति शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त करेगें?	2009 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–27 के आधार पर यदि सभी परिस्थितियॉ समान हो तथा पूर्व से वरिष्ठ कार्मिक कनिष्ठ कार्मिक से अधिक या समान वेतन पा रहा हो तब वरिष्ठ कर्मचारी का कनिष्ठ के बराबर वेतन निर्धारित किया जाएगा।
4.अप्रशिक्षित वेतन रूपये 2750 नियत में कार्यरत शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित छठे केन्द्रीय वेतनमानों में कोई वेतन नहीं दिया गया है संबंधित शिक्षकों को दिनांक 1–1–2006 से वेतन का भुगतान किस रूप में किया जाएगा?	वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सं0 395/ xxvii(7) /2009 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के कालम–2 में अपुनरीक्षित वेतनमान–2750–4400 के कालम–4 के सादृश्य वेतन बैण्ड रू05200–20200 में नियत वेतन पर कार्यरत कार्मिक को उक्त वेतन बैण्ड का न्यूनतम रू0 5200 की दर से नियत वेतन तात्कालिक प्रभाव से देय होगा।

2. अतः वेतन पुनरीक्षण करने वाले विद्यालयों शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अस्पष्ट बिन्दुओं पर अब उक्तवत दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें । यदि पूर्व में गलत वेतन पुनरीक्षण करने के फलस्वरूप किन्ही कार्मिकों को अधिक धनराशि के एरियर का भुगतान हो गया हो, तब उसके वेतन का उक्तवत् पुनरीक्षण कर अधिक भुगतान की गई धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या :362 (1)/XXVII(7)/2009 तददिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक विद्यालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
6. माध्यमिक/बेसिक शिक्षा अनुभाग,उत्तराखण्ड सचिवालय ।
7. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 308 / XXVII(7)बोनस / 2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु–7 देहरादून,दिनांकः 13 अक्टूबर,2009

विषयः तदर्थ बोनसः–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2008–2009 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–229 / xxvii(7)बोनस / 2008,दिनांक 22 सितम्बर,2008 के साथ पठित शासनादेश संख्या 422 / xxvii(7)बोनस / 2008 दिनांक 27 नवम्बर,2008 ।

2– भारत सरकार वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या– 7 / 24 / 2007 / इ–iii(A) / दिनांक 28 अगस्त,2009।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर,2008 एवं 27 नवम्बर,2008 के द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2007–2008के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त कम संख्या–2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 अगस्त,2009 द्वारा वर्ष 2008–2009 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3–उपर्युक्त कम संख्या–1 एवं –2 पर उल्लिखित कमशः शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर,2008 एवं 27 नवम्बर,2008 के कम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियो तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके पुनरीक्षित वेतमान में रू0 4200 ग्रेड पे जिसका अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500 तक है को वर्ष 2008–2009 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की

परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रयोजन के लिए दिनांक 31मार्च,2009 को ग्राह्य परिलब्धियॉ तदर्थ बोनस के रूप में रू0 3454 होगीं (रू0 3500X30/30.4 = रू0 3453.95 को सुगमांकित कर रू0 3454/–)। उक्त शासनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रू0 के निकटतम में सुग्मांकित कर किये जायेगें । तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(i) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में रू0 4200 का ग्रेड वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500/–तक है,को ही अनुमन्य होगा। रू0 4200 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500–10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रा:स्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है,को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होनें दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हों, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 3500/–तक माना जायेगा। परन्तु रू0 4200 के ग्रेड में अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500–10500 (पूर्ववर्ती रू0 2000–3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक: 31 मार्च,2009 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2008–2009 की अवधि के दौरान न्यूनतम छ: माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो । वर्ष के दौरान न्यूनतम छ: महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी ।

(iii) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रू0 3500/– प्रतिमाह की परिलब्धियॉ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियॉ रू0 3500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियॉ रू0 3500/– प्रतिमाह है।

(iv) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि क्रमश: मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है,प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो,अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01–01–1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या–वे–आ–1–2043/दस–93–39(एम)/93,दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तक तथा शासनादेश संख्या–वे–आ–1–624/दस–39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 16 अगस्त,1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमश: रू0 100/–प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रू0 100/–प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(v) मकान किराया भत्ता,नगर प्रतिकर भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता,परियोजना भत्ता,विशेष भत्ता,शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या–वे–आ–1–774/दस–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 27 सितम्बर,1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vii)ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2008–2009 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो,जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2008–2009 में कोई दण्ड दिया गया हो,उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(viii)इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4–कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2009को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2009 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो,यह सुविधा अनुमन्य होगीं। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रू0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200 X 30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियॉ रू0 1200 प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5– अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6– आहरण वितरण अधिकारी देयक के साथ कर्मचारी के बैंक का नाम, बैंक खाते का विवरण संलग्न करेंगे, ताकि धनराशि कर्मचारी के खाते में डाली जा सके, जिससे कैश ट्रांजेक्शन की प्रकिया का प्रभाव न पड़े।

7–बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1– 120/ दस– 1(एम) / 84, दिनांक 18 जनवरी,1984 के प्रस्तर–1(7),5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

8– उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या:308(1)/XXVII(7)बोनस/2008,एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. समस्य मुख्य/वरिश्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड,इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तरांचल,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
14. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियॉं मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखंण्ड।
16. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:272/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—7 देहरादून:दिनांक 5 नवम्बर 2009

विषय:— स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 40/xxvii(7)स्वै0परि0क0/2009दि0 13 फरवरी,2009 द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में पूर्व में अनुमन्य धनराशि की दरें संशोधित की गई है।

इस संबंध में विभिन्न स्त्रोतों से शासन स्तर पर यह जिज्ञासायें की जा रही हैं कि स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता का दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षण होगा या शासनादेश जारी होने की तिथि से और पुनरीक्षित दर पर दिनांक 1—1—2006 से अवशेष देय होगा या नहीं ।

अत: इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त भत्ते का दिनांक 1—1—2006 से ही पुनरीक्षण होगा । इसके अतिरिक्त दि0 1—9—2008 के उपरान्त अनुमन्यता के प्रकरणों में भत्ते की स्वीकृत धनराशि ग्रेड वेतन के परिवर्तन पर भी परिवर्तित नहीं होगी।

2. उपरिल्लिखित शासनादेश दि0 13 फरवरी,2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या–756/XXVII(1)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें,
सह–स्टेट, इन्टरनल आडिट,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 25 नवम्बर, 2009

विषय : एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से वेतन के अतिरिक्त नियमित रूप से स्वीकृत होने वाले मंहगाई भत्ते का कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– 254/XXVII(6)/2006 दिनांक 20 जुलाई, 2006 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि नियमित वेतन के साथ–साथ सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु यदि किसी मंहगाई भत्ते या मंहगाई राहत आदि में वृद्धि हो तब उसका भी सीधा आहरण, कर्मचारियों की उपस्थिति/डाटा बेस के आधार पर कोषागार द्वारा कम्प्यूटर से ही किया जाय। इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी तथा 01 जुलाई से होने वाले मंहगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान कोषागारों द्वारा एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के माध्यम से करने हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी।

2. मंहगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान कोषागारों द्वारा एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के माध्यम से नियमित वेतन के साथ किया जायेगा। कोषागार केवल उन्हीं कार्मिको का अवशेष वेतन के साथ आहरित करेंगे जिनका पूर्ण माह का आहरण एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली से हुआ है।

3. ऐसे कार्मिक जिनका पूर्ण माह का भुगतान एकीकृत वेतन प्रणाली से नहीं हुआ है या मैनुवली कोषागार से आहरित हुआ है, के मंहगाई भत्ते अवशेष का भुगतान प्रपत्र–2(1) पर आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर अगले माह के वेतन के साथ कोषागारों द्वारा किया जायेगा।

4. प्रपत्र–2(1) के माध्यम से अवशेष मंहगाई भत्ते को आहरित किये जाने हेतु आहरण–वितरण अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देगें कि पूर्व में अवशेष का आहरण नहीं किया गया है।

5. अन्य भत्तों के अवशेष के भुगतान के सम्बन्ध में भी बिन्दु–3 व 4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं आहरण–वितरण अधिकारी यथा आवश्यक स्वीकृति आदेश भी प्रपत्र–2(1) के साथ संलग्न करेंगे।

6. उक्त प्रकिया लागू होने के पश्चात मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के अवशेष के भुगतान हेतु मैनुअल बिल कोषागारों द्वारा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या 756 (1)/XXVII(1)/2009 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी एवं कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून, उक्तानुसार साफ्टवेयर में अध्यावधिक (अपडेट) करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या395/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक:24 दिसम्बर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा0–4–229/दस–2000–62(–2000 दिनांक 10 मार्च,2000 द्वारा किया गया था। इस संबंध में वेतन समिति(2008) द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न लिखित स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित दर के अनुसार तत्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	वाहन का नाम	वर्तमान दर (रू0 प्रतिमाह)	पुनरीक्षित दर (रू0 प्रतिमाह)
1.	2	3	4
2.	मोटरकार(जहाँ औसत स्थानीय यात्रा 400 किमी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	800	1000
3.	मोटर साईकिल/स्कूटर	350	450
4.	मोपेड	150	200
5.	साईकिल	50	75

1– उक्त भत्ते की अनुमन्यता उपरिउलिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10मार्च,2000 के अनुसार ही रहेंगी और कार्यालय ज्ञाप की दर केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

2– उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु शर्तें पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुसार ही रहेंगी।

3– उक्त भत्ते की दरों में संशोधन के फलस्वरूप उपरिउलिखित का0ज्ञा0 दिनांक 10 मार्च,2000 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या3ξ (1)/XXVII(7)/2009तददिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द पाण्डे)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या399 /xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक24 दिसम्बर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग **की संस्तुतियों** के कम में नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त होने के फलस्वरूप भारत सरकार **की भाँति** परिवहन भत्ता की अनुमन्य किये जाने विषयक।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) के छठवें **प्रतिवेदन** में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये **निर्णय के कम** में उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छठे **वेतन आयोग** की संस्तुतियों के **कम** में नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त होने के फलस्वरूप भारत **सरकार की भाँति** परिवहन भत्ता निम्नलिखित दरों से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल **सहर्ष स्वीकृति** प्रदान करते हैं:–

ग्रेड वेतन रू0	परिवहन भत्ता प्रतिमाह (रू0 में)
5400 व अधिक	2000
4600 व 4800	1000
4200 व कम	400

यह भत्ता केवल उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियो/कर्मचारियों को ही अनुन्य होगा तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया है उन्हें उक्तानुसार परिवहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त ।

संख्या:399(1)/XXVII(7)/2009तददिनॉक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5 रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(शरद चन्द पाण्डे)

संख्या– 160/xxvii(1)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
मनोरंजन कर/व्यापार कर।
2. महानिरीक्षक,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: 08 जनवरी 2010

विषय:– वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में निर्धारित प्रपत्र संख्या–43 ए को पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर शासनादेश संख्या–520/xxvii(1)/2009 दिनांक: 29 जुलाई, 2009 तथा शासनादेश संख्या–697/xxvii(6)/2009 दिनांक: 09सितम्बर, 2009 के क्रम में शासन के संज्ञान में यह आया है कि मनोरंजन कर/व्यापार कर तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभागों के अधिनियम तथा नियमावलियों में कोषागार तथा बैंक में धनराशि जमा करने के लिये चालान के निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक संशोधन अभी तक नहीं किये जा सके हैं।

इसको दृष्टिगत रखते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनोरंजन कर/व्यापार कर तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभागों में संशोधित चालान प्रपत्र संख्या– 43ए (1) 43ए (2) का प्रयोग पुनः स्थगित किया जाता है। सम्बन्धित विभाग 28 फरवरी, 2010 तक अपने अधिनियमों/नियमावलियों में तद्‌विषयक आवश्यक संशोधन करते हुये शासनादेश संख्या– 520/xxvii(1)/2009 दिनांक: 19 जुलाई, 2009 के अनुरूप प्रपत्र संख्या– 43ए (1) 43ए (2) को पुर्नस्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या–160/xxvii(1)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) माजरा, देहरादून।
2. सम्बन्धित सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सम्बन्धित वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2

प्रपत्र संख्या–43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा .....

1 जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) .....
या संस्था के नाम से धनराशि जमा की .....
जा रही है उसका नाम .....

2 पता .....
.....
.....

3 पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या .....
(यदि आवश्यक हो)

4 जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण .....
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है
तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

5 चालान की सकल (gross) राशि .....

6 चालान की निबल (net) राशि .....

7 लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर .....

8 लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड .....

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंको में)

धनराशि (शब्दों में) ..... योग

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग)/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .....अंको में रू.

दिनांक .....शब्दों में रू.

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/ बैंक की मोहर

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)

(धनराशि रूपयों में)

नोट/सिक्के	
1000 X	
500 X	
100 X	
50 X	
20 X	
10 X	
5 X	
2 X	
1 X	
चैक (पूर्ण विवरण के साथ)	योग

टिप्पणी:–

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड–4 अथवा लोक लेखा खण्ड–2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड–2 (लोक लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा–शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा मे चालान फार्म के लेखा–शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2

प्रपत्र संख्या–43ए (2)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी से सम्बन्धित धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा .....

1 जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .....

2 पता .....

3 पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) .....

4 जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, उस लेखा शीर्षक का विवरण जिसमें मूल अग्रिम आहरित किया गया था।) .....

5 चालान की सकल (gross) राशि .....

6 चालान की निबल (net) राशि .....

7 अवधि जिसकी वसूली की गई .....

8 मूल धनराशि .....

9 ब्याज धनराशि .....

10 किश्त संख्या .....

11 एस.एल.आर. (subsidiary loan register) संख्या .....

12 भुगतान का प्रकार .....

13 लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर .....

14 लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड .....

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप शीर्षक	व्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अको में)

धनराशि (शब्दों में) .....योग

चलान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग)/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ....अंकों में रू. [ ]

दिनांक ....शब्दों में रू. [ ]

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/ बैंक की मोहर

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)	(धनराशि रूपयों में)
नोट/सिक्के	
1000 X	
500 X	
100 X	
50 X	
20 X	
10 X	
5 X	
2 X	
1 X	
चेक (पूर्ण विवरण के साथ) योग	

टिप्पणी:–

1 जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड–4 अथवा लोक लेखा खण्ड–2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड–2 (लोक लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा–शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2 जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा–शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

3 यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

संख्याः 520(1)/xxvii (1)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) माजरा देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या–411 /xxvii(7)/2010
देहरादूनःदिनांक 06 जनवरी,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

उपर्युक्त विषय के संबध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 78/xxvii(7)/2009, दिनांक 1मार्च,2009 एवं तत्क्रम में जारी शुद्धि पत्र संख्या 100/xxvii(7)/2009, दिनांक 31मार्च,2009 द्वारा यात्रा–भत्ता की पूर्व दरों एवं व्यवस्थाओं को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त शासनादेश में यात्रा–भत्ते के संबध में पूर्व में जो व्यवस्था/अनुमन्यता थी उनमें कमी कर दिये जाने तथा उसकी कतिपय व्यवस्थायें व्यवहारिक न होने के कारण विभिन्न स्रोतों से इनमें संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए है इन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 1–3–2009 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) यात्रा–भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी

पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–4–395/दस–99–600–99 दिनांक 11 जून,1999 में दिनांक 1.1.96 से प्रभावी वेतनमानों में रू0 16400 से 18300 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले अधिकारियों को रेल के वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि0मी0 से अधिक की यात्रा करने पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास अनुमन्य था। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1 मार्च, 2009 द्वारा केवल रू0 10,000 ग्रेड वेतन पाने वाले अधिकारियों जिनका पुराना वेतनमान रू0 18400–22400 था तथा केवल शासन के अपर सचिव को जो रू0 8900 के ग्रेड वेतन(पुराना वेतनमान रू0 16400–20,000 के वेतनमान)में हो को वायुयान का इकोनामिकल क्लास अथवा रेलवे का ए0सी0 प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस के एक्जीक्यूटिव क्लास की अनुमन्यता की गई है, अर्थात पूर्व में जो सुविधा पुराने वेतनमान रू0 16400–20,000 में कार्यरत अधिकारियों, जिनका नये वेतनमान में ग्रेड पे रू0 8900 है, उन्हें वह न प्राप्त होकर रेल का ए0सी0 टू टियर/प्रथम श्रेणी/ शताब्दी एक्सप्रेस के चेयरकार की अनुमन्यता की गयी है जोकि पूर्व की अनुमन्यता से कम है । अतः रू0 8900 ग्रेड वेतन के समस्त पद धारकों को पूर्व से अनुमन्य वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेलवे का ए0सी0 प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास की अनुमन्यता की निरन्तरता यथावत रहेगी।

(ख) दैनिक भत्ता:–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरें जो शासनादेश दिनांक 1 मार्च,2009 के द्वारा संशोधित की गई है उनमें वर्तमान समय में रू0 4800 तथा इससे कम ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु पूर्व में 3 श्रेणियां थी जिन्हें अब घटाकर एक कर दिया गया है, जिसमें रू0 4600 ग्रेड वेतन के पदधारकों के लिए दैनिक भत्ते की दरों में 'अन्य जिला मुख्यालयों' के लिए आंशिक रूप से तथा 'शेष समस्त क्षेत्रों' के लिए कोई वृद्धि नहीं

की गई है। कतिपय पूर्व दरों में कोई वृद्धि न होने अथवा अत्यल्प वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी:-

दैनिक भत्ते की दर

क0सं0	ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
1.	रू0 4600 तथा उससे कम ग्रेड वेतन	रू0 150	रू0 120	रू0 100

2) वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये निर्णय के अनुसार दैनिक भत्ते के प्रयोजनार्थ प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु प्रथम दो श्रेणियों यथा रू0 12000 ग्रेड वेतन (अब संशोधन के फलस्वरूप एच0ए0 जी0 रू0 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000) या उससे उच्च वेतनमान,ग्रेड वेतन रू0 10,000 तथा रू0 8900 के पद धारकों हेतु स्वयं की व्यवस्था पर यात्रा भत्ता में 50 कि0मी0 की यात्रा हेतु क्रमशः ए0सी0 तथा नान ए0सी0 टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था बड़े नगरों हेतु बहुत कम है। यह अनुभव किया गया है कि प्रदेश के बाहर बड़े शहरों के लिए 50 कि0मी0 मात्र की टैक्सी की अनुमन्यता व्यवहारिक नही है। सामान्यतः पदधारक के ठहरने के स्थान ट्रैवल एजन्सी से 10-15 कि0मी0 की दूरी पर होते हैं तथा बिना कोई दूरी तय किये 10-15 कि0मी0 आने तथा जाने की दूरी के जोड़ने पर लगभग 20-30 कि0मी0 की यात्रा अतिरिक्त रूप से जुड़ जाती है और सरकारी कार्य हेतु मात्र 20-30 कि0मी0 की यात्रा शेष रहती है।

अतः अब दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कलकत्ता शहरों हेतु शहर के अन्दर टैक्सी पर वास्तविक रूप से व्यय की गई धनराशि की अनुमन्यता होगी। राज्य के बाहर उक्त शहरों से भिन्न शहरों हेतु टैक्सी का एक दिन का वास्तविक व्यय 80 कि0मी0 की सीमा में अनुमन्य होगा ।

3) शासनादेश संख्या-78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च, 2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)

सचिव सचिव।

संख्याः-II (1)xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक,एन0आई0सी0 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या–444/XXVII(7) ए0सी0पी0(1)/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)–7 देहरादूनः दिनांक 09 फरवरी, 2010

विषयः–राज्य सरकार के कर्मियों के लिए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए शासनादेश संख्या–75 XXVII(7) ए0सी0पी0/2009, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा लागू की गयी सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को अतिक्रमित करते हुए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरूप सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन योजना (ACP) संलग्न विस्तृत दिशानिर्देश के अनुरूप लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त योजना दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के वेतनमान रु0 7500–12000 पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड पे रु0 4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 1–9–2008 से तथा वेतनमान रु0 8000–13500 पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड पे रु0 5400 तथा उससे ऊपर के वेतनमान के पदधारकों के लिए दिनांक 1–1–2006 से प्रभावी होगी।

3– योजना का विस्तृत स्वरूप एवं शर्तें संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या–444(1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
4–प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5–सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
6–स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8–उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

शानादेश संख्या:444/xxvii(7)ए0सी0पी0/2010 का संलग्नक

1. सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन की उक्त योजना के अर्न्तगत सीधी भर्ती के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन कमशः10, 20 एवं 30 वर्ष की संन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर अनुमन्य होंगे। उक्त योजना के अर्न्तगत कार्मिक के द्वारा अविरल रूप से एक ही ग्रेड पे पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही देय होगा।

2. उक्त योजना के अर्न्तगत शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2009 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 में दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे में पदधारक को प्राप्त हो रहे ग्रेड पे से अगला ग्रेड पे अनुमन्य होगा। इस प्रकार उक्त योजना के अर्न्तगत अनुमन्य ग्रेड पे पद धारक के नियमित पदोन्नति के पद के ग्रेड पे से किन्हीं मामलों में भिन्न भी हो सकता है और ऐसे मामलों में संगत संवर्ग में सेवानियमावली के अनुसार अगले पदोन्नति के पद के अनुरूप ग्रेड पे सबंधित कार्मिक के नियमित पदोन्नति पर ही देय होगा।

3. उक्त योजना के अर्न्तगत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ के पे बैंड–4 में उच्चतम ग्रेड पे रू0 10,000 तक अनुमन्य होगा।

4. पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण का जो लाभ प्राप्त होता है वही वित्तीय लाभ उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य करते समय देय होगा। इस प्रकार स्तरोन्नयन के पूर्व कार्मिक को उसके वेतन बैंण्ड में दिये जा रहे वेतन तथा ग्रेड पे के योग पर 3 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी। उक्त योजना के अर्न्तगत प्राप्त हो रहे ग्रेड पे के पद पर नियमित पदोन्नति की स्थिति में किसी प्रकार का वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। यदि उक्त योजना के अर्न्तगत अनुमन्य ग्रेड पे के सापेक्ष अगली पदोन्नति उच्च ग्रेड पे वाले पद पर होती है तब ऐसी स्थिति में कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और केवल ग्रेड पे में अन्तर की धनराशि ही अनुमन्य होगी। उदाहरणार्थः– यदि एक राज्य सरकार के कार्मिक की पे– बैण्ड–1 में रू01900 के ग्रेड पे के पद पर सीधी भर्ती होती है और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उसे कोई पदोन्नति अनुमन्य नहीं होती है तो उसे उक्त योजना के अन्तर्गत उसके पद से उच्च ग्रेड–पे रू0 2000 का वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा और उसको प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतन वृद्धि तथा ग्रेड–पे के अन्तर (रू0 100) अनुमन्य होगा। वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत उच्चीकरण का लाभ उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य होने के बाद यदि उक्त कार्मिक का अपने संवर्ग में पदोन्नति के प्रकम में रू0 2400 के ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति

होती है तो नियमित पदोन्नति के समय उसे मात्र ग्रेड–पे का अन्तर(रू02400–2000=400) रू0 400 अनुमन्य होगा और इस स्तर पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5. पूर्व में अनुमन्य पदोन्नति या समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वेतनमान के उच्चीकरण के फलस्वरूप यदि वेतन समिति के द्वारा दिनांक1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में 2–3 वेतनमान एक ही वेतनमान/उच्चीकरण के फलस्वरूप एक ही वेतनमान में संविलियन हो गये हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना के अन्तर्गत देय सुविधा के लिए उक्त वेतनमानों को संज्ञान में नही लिया जाएगा। उदाहरणार्थः– किसी संवर्ग में बढ़ते क्रम में वेतनमान के पुनरीक्षण के पूर्व वेतनमान क्रमशः रू0 5000–8000,रू05500–9000 एवं रू0 6500–10500 हैः–

(क)एक सरकारी कर्मचारी जिसकी पूर्व में भर्ती अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5000–8000 में होने के बाद उसे दिनांक 1–1–2006 के पूर्व 25 वर्ष बाद भी पदोन्नति नहीं हुयी है, इस प्रकरण में दिनांक 1–1–2006 को उन्हें दिनांक 1–1–2006 तक उक्त योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय स्तरोन्नयन अगले दो वेतनमान के प्राप्त हो जाने चाहिये थे। उदाहरार्थः– रू0 5500–9000 एवं रू0 6500–10500 के अपुनरीक्षित वेतनमान में देय होने चाहिये थे।

(ख) दूसरा सरकारी कर्मचारी उसी संवर्ग में पूर्व के रू0 5000–8000 के अपुनरीक्षित वेतनमान में भर्ती हो कर उसे 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक उसे अगले दो वेतनमान क्रमशः रू0 5500–9000 एवं रू0 6500–10500 के वेतनमान के पदों पर दो पदोन्नतियॉ प्राप्त हो गयी है।

उक्त 'क' एवं 'ख'के प्रकरणों में कार्मिक को दिनांक 1–1–2006 के पूर्व रू0 5500–9000 एवं रू0 6500–10500 के वेतनमान में प्राप्त हुयी पदोन्नतियॉ/समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्राप्त लाभ को दिनांक 1–1–2006 से उक्त वेतनमानों के संविलियन के फलस्वरूप स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। दोनो कार्मिकों को पे–बैण्ड–2 में रू0 4200 का ग्रेड–पे अनुमन्य होगा। उक्त योजना के लागू होने के बाद,उक्त 'क' एवं 'ख' के दोनो कार्मिकों को पे–बैण्ड–2 में उनको प्राप्त हो रहे ग्रेड–पे के अगले दो ग्रेड–पे क्रमंशः रू0 4600 एवं रू0 4800 अनुमन्य होगें।

6. जिन कर्मचारियों को पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1–1–2006 के पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो चुका है,उनका वेतन निर्धारण उनको पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त हो गये वेतनमान के अनुसार ही किया जाएगा।

(1)यदि समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1–1–2006 से दिनांक 31–8–2008 तक किसी कार्मिक को समयमान वेतनमान प्राप्त हुआ है तो उसे पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु निम्नलिखित विकल्प हैं:–

(क)1–1–2006 से पूर्व के वेतनमान में दिनांक 1–1–2006 से वेतन निर्धारण या

(ख)समयमान वेतनमान के अन्तर्गत पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत जिस तिथि से वेतनमान का उच्चीकरण हुआ है उस तिथि से वेतन निर्धारण। उक्त बिन्दु–'ख' के अनुसार विकल्प देने पर उसे एरियर का भुगतान केवल उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने अर्थात समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वेतनमान उच्चीकरण की तिथि से ही देय होगा।

(2)पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अपने संवर्ग के अनुसार अगले वेतनमान में वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो गया हो, लेकिन छठवें वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने के बाद संवर्ग में अगला उच्च वेतनमान का उच्चीकरण उच्च ग्रेड–पे पर हो गया है ऐसे कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण उक्त उच्च ग्रेड–पे के अनुसार किया जाएगा।

7. किसी कार्मिक की उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन की योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्तरोन्नयन/पदोन्नति होने पर कार्मिक को यह विकल्प प्राप्त है कि वह पदोन्नति/उच्चीकरण की तिथि या दिनांक 1–1–2006 से वेतन निर्धारण का विकल्प दे सकता है।

8. चयन के नियमों के अन्तर्गत यदि पदोन्नति के सोपान में एक ही ग्रेड–पे वाले पद पर पदोन्नति होती है तो उसे उक्त योजना के अन्तर्गत गणना में लिया जाएगा।

9. **'नियमित सेवा'**:–उक्त योजना के अन्तर्गत नियमित सेवा का तात्पर्य नियमित सेवा का प्रारम्भ,सीधी भर्ती या संविलियन या पुर्नयोजन के आधार पर नियमित रूप से सीधी नियुक्ति के पद पर भर्ती से है। तदर्थ/संविदा के

आधार पर नियुक्ति के बाद नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण की अवधि को नियमित सेवा के रूप में गणना में नहीं लिया जाएगा। लेकिन नये विभाग में नियमित नियुक्ति के पूर्व राज्य सरकार तथा भारत सरकार के अधीन उसी ग्रेड वेतन पर नियमित निरंतर संतोषजनक सेवा को उक्त योजना के अन्तर्गत नियमित सेवा के रूप में गणना में लिया जाएगा, परन्तु ऐसे प्रकरणों पर उक्त योजना का लाभ नये पद पर परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा। राज्य सरकार में आने से पूर्व सांविधिक संस्थान/स्वायत्तशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम/निगम में की गई सेवा को उक्त लाभ हेतु नियमित सेवा में गणना में नहीं लिया जाएगा।

10. सक्षम अधिकारी की नियमित रूप से स्वीकृत प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा,अध्ययन अवकाश तथा अन्य अवकाश में व्यतीत की गई अवधि को नियमित सेवा में की गई सेवा में गणना में लिया जाएगा। उक्त योजना वर्कचार्ज कर्मचारियों पर तभी लागू होगी जब उनकी सेवा शर्तें नियमित अधिष्ठान के पदधारकों के समान हो।

11. वर्तमान में प्रचलित समयबद्ध प्रोन्नति की योजनायें जिनमें in-situ पदोन्नति योजना, वाहन चालक स्टाफिंग पैटर्न या वर्ग विशेष के लिए लागू अन्य पदोन्नति की योजना तब तक लागू रहेगी जब तक सक्षम अधिकारी के द्वारा उनकों बनाये रखने का सम्यक रूप से निर्णय लिया जाता है अन्यथा उन पर उक्त योजना लागू होगी। लेकिन उक्त योजनाएं इस योजना के साथ–साथ लागू नहीं रहेगी।

12. उक्त योजना केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होगी और यह मंत्रालय/विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकाय/साविधिक निकायों पर स्वतः ही लागू नहीं होगी। उक्त योजना को ऐसी निकायों में लागू किये जाने से पूर्व इससे पड़ने वाले वित्तीय उपाशय को ध्यान में रखते हुए संबंधित निकाय के प्रशासकीय इकाई/निदेशक मण्डल तथा संबंधित विभाग के द्वारा निर्णय लेकर वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।

13. उक्त योजना के अन्तर्गत यदि कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही होने के कारण वह 10 वर्ष के अन्दर वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत एक ग्रेड–पे के लिए अर्ह नहीं होता है तो इसका परिणामी असर आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा और प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के बाद उक्त देय

19. सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये वेतन बैण्ड में आहरित वेतन तथा ग्रेड–पे को जोड़ते हुए समस्त परिणामी लाभ अनुमन्य होंगें।

20. समूह'क' के वे राजकीय कार्मिक जो अब तक पूर्व योजना से आच्छादित नहीं हो सके हैं और वे अब तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए सीधे अर्ह हो गये हैं क्योंकि उनके द्वारा 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली गयी है,उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में क्रमशः अगले तीन उच्च ग्रेड–पे मे 3 प्रतिशत की वृद्धि देते हुए प्रत्येक स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। जो कार्मिक द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए अर्ह है उसका वेतन भी उक्तवत निर्धारित किया जाएगा।

21. यदि कोई कार्मिक अपने संगठन में सरप्लस घोषित होने के बाद उसी वेतनमान या नीचे के वेतनमान में नये संगठन में नियुक्त होता है तो पूर्व संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा को नये संगठन में की जा रही नियमित सेवा में उक्त योजना के लाभ हेतु गणना में लिया जाएगा। यदि कोई कार्मिक पदोन्नत होने पर/पूर्व में अनुमन्य समयमान वेतनमान से एक–पक्षीय रूप से निम्न पद या निम्न वेतनमान के पद पर स्थानान्तरण का अनुरोध करता है तो वह उक्त योजना के अन्तर्गत 20 तथा 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर, जैसा भी प्रकरण हो, नये संगठन में प्रथम पद पर नियुक्ति की तिथि से क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नय। अनुमन्य होगा।

22. यदि कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता होने के पूर्व नियमित पदोन्नति अनुमन्य होने पर कार्मिक के द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऐसे कार्मिक को कोई वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ इस कारण अनुमन्य नहीं होगा क्योंकि उसका स्टेगनेशन अवसर की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो रहा है। यदि स्टेगनेशन के कारण वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमति दी जाती है और कार्मिक बाद में पदोन्नति लेने से मना करता है तो यह वित्तीय स्तरोन्नयन लेने का आधार नहीं बनेगा लेकिन ऐसी स्थिति में वह आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह पदोन्नति के लिए सहमत नहीं होता है तथा द्वितीय तथा

अगला वित्तीय स्तरोन्नयन असहमति की अवधि तक के लिए डिफर कर दिया जाएगा।

23. अन्य प्रकरणों के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा ऐसे कार्मिकों के प्रकरण पर भी विचार किया जाएगा जो उच्च पद तदर्थ आधार पर धारित किये हुए हैं। ऐसे पदधारकों को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अपने निम्न वेतनमान के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित होने या तदर्थ रूप से धारित पद के वेतन से अधिक लाभकारी होने पर अनुमन्य होगा।

24. उक्त योजना का लाभ की अनुमन्यता हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तन आवश्यक नहीं होगा, वरन् उसके द्वारा इस आशय का नया विकल्प कि वह धारित पद के पे–बैण्ड तथा ग्रेड–पे के अनुरूप वेतन आहरित करेगा या उक्त योजना के अन्तर्गत वेतन तथा ग्रेड–पे के अनुरूप, जो भी लाभप्रद हो, दे सकता है।

25. उदाहरणः–

क–(1)यदि पे बैण्ड–1 में ग्रेड–पे–रू01900 में कार्यरत कनिष्ठ सहायक का उसके पे–बैण्ड में प्रथम पदोन्नति प्रवर सहायक ग्रेड पे–रू02400 में 8 वर्ष की सेवा पर हो जाती है और वह उसी ग्रेड–पे पर बिना पदोन्नति के 10 वर्ष तक कार्यरत रहता है तब वह उक्त पे–बैण्ड में उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 2800 के ग्रेड–पे के वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए 18 वर्ष की सेवा(8+10वर्ष) पूर्ण करने पर अर्ह हो जाएगा।

(2)यदि उक्त पदधारक को कोई पदोन्नति पुनः प्राप्त नहीं होती है तब उसे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन पी0बी0–2 में रू0 4200 पर पुनः 10 वर्ष की सेवा अर्थात कुल 28 वर्ष की सेवा (8+10+10वर्ष) पूर्ण करने पर अर्ह हो जाएगा।

(3)यदि उक्त पदधारक की द्वितीय पदोन्नति पी0बी0–2 ग्रेड–पे रू0 4200 के पद पर 5 वर्ष की और सेवा करने पर हो जाती है उदाहरणार्थः– 23 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (8+10+5वर्ष) पूर्ण करने पर उसे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन 30 वर्ष की सेवा अर्थात द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रू0 4600 का ग्रेड–पे अनुमन्य होगा।

उक्त परिदृश्य में, उच्चीकरण की अनुमन्यता के पूर्व संगत पे–बैण्ड में आहरित किये जा रहे वेतन में ग्रेड–पे जोड़कर वेतन में 3 प्रतिशत की वृद्धि

की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसी ग्रेड–पे या उच्चीकृत ग्रेड–पे में नियमित पदोन्नति होने पर पदधारक का कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा और उसे मात्र ग्रेड–पे के अन्तर की धनराशि ही पदोन्नति के समय अनुमन्य होगी।

ख–यदि पे–बैण्ड–1 में ग्रेड–पे रू0 1900 के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिक को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन इसी पे–बैण्ड में रू0 2000 के ग्रेड–पे पर अनुमन्य होने पर 5 वर्ष बाद उसे प्रवर सहायक के पद पर प्रथम नियमित पदोन्नति ग्रेड–पे–रू0 2400 पर उक्त योजना के अन्तर्गत द्वित्तीय वित्तीय स्तरोन्नयन(कार्मिक के द्वारा धारित ग्रेड–पे का अगला ग्रेड पे) 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पी0बी0–1 में ग्रेड–पे रू0 2800 अनुमन्य होगी। उक्त कार्मिक को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उक्त योजनान्तर्गत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत रू0 4200 का ग्रेड–पे अनुमन्य होगा। लेकिन 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व दो पदोन्नतियॉ प्राप्त हो जाती हैं, तो द्वितीय पदोन्नति के पद के ग्रेड–पे पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, जो भी पूर्व में हो से ही तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा।

ग–यदि सरकारी सेवक को या तो दो नियमित पदोन्नतियॉ या पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 7500–12000 तक के वेतनमान के पदधारकों के लिए दिनांक 31–8–2008 तक 24 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय समयमान वेतनमान अनुमन्य हो गया हो, तो उक्त योजना के अन्तर्गत 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तभी अनुमनय होगा जब उक्त अवधि के पूर्व अपने संवर्ग में उसको तृतीय पदोन्नति न प्राप्त हुई हो।

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

उदाहरण

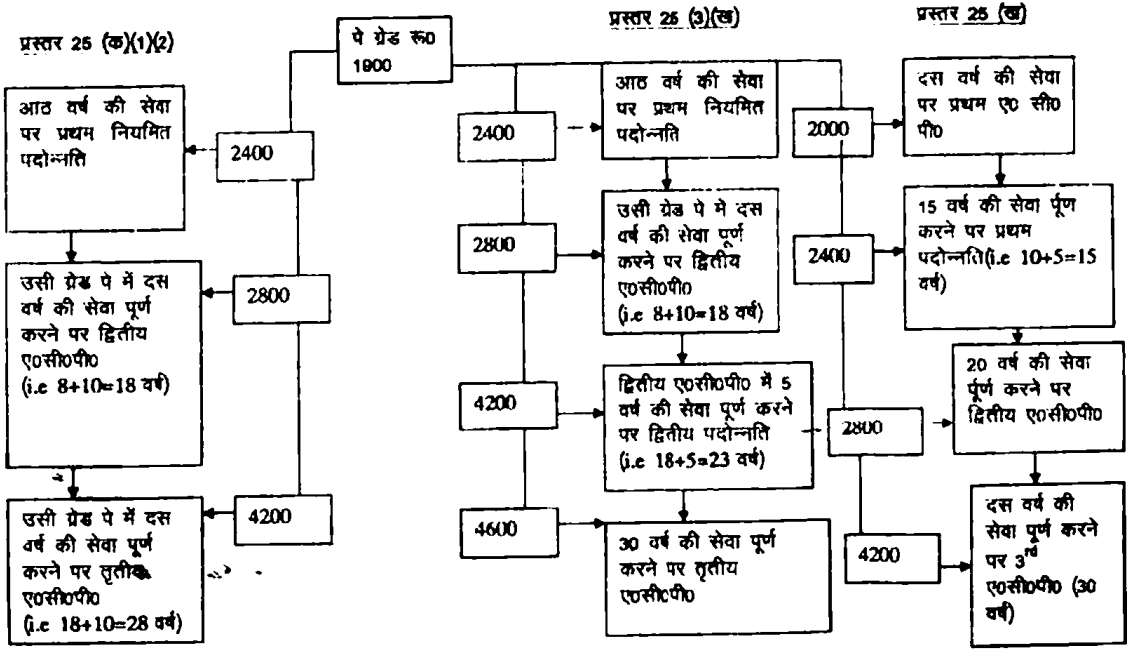
प्रस्तर 25 (क)(1)(2)
पे ग्रेड रू0 1900
आठ वर्ष की सेवा पर प्रथम नियमित पदोन्नति
2400
उसी ग्रेड पे में दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय ए0सी0पी0 (i.e 8+10=18 वर्ष)
2800
उसी ग्रेड पे में दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय ए0सी0पी0 (i.e 18+10=28 वर्ष)
4200
प्रस्तर 25 (3)(ख)
2400
आठ वर्ष की सेवा पर प्रथम नियमित पदोन्नति
2800
उसी ग्रेड पे मे दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय ए0सी0पी0 (i.e 8+10=18 वर्ष)
4200
द्वितीय ए0सी0पी0 में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय पदोन्नति (i.e 18+5=23 वर्ष)
4600
30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय ए0सी0पी0
प्रस्तर 25 (ख)
2000
दस वर्ष की सेवा पर प्रथम ए0 सी0 पी0
2400
15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम पदोन्नति(i.e 10+5=15 वर्ष)
2800
20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय ए0सी0पी0
4200
दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 3rd ए0सी0पी0 (30 वर्ष)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7
संख्या–543/XXVII(7)/2010
देहरादून, दिनांक 09 फरवरी, 2010

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

विषय:–विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन मे की गयी संस्तुतियों के क्रम में वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में प्रदेश के मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 (वेतनमान रु0 5000–8000) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 (वेतनमान रु0 5500–9000) जिनकी दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन बैण्ड–2 मे समान ग्रेड पे रु0 4200 हो गयी है, का आमेलन करते हुए आमेलित पद का पदनाम 'प्रशासनिक अधिकारी' तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 में ग्रेड पे रु0 4200 यथावत रहेगी।

2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद प्रोन्नति का पद है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रु0 6500–10500) की पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 मे ग्रेड पे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 तथा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 के समान रु0 4200 हो गयी है। अतः वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के वेतनमान रु0 6500–10500 को दिनांक 1–1–2006 से रु0 7450–11500 में उच्चीकृत करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 में ग्रेड पे रु0 4200 के स्थान पर रु0 4600 किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उपरोक्तानुसार मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढाचे पर लिये गये निर्णय के अनुरूप संगत सेवा नियमावली मे पदनाम एवं वेतनमान परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में भी आवश्यक संशोधन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– ५५३ (1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेष्तिः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5–प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6–सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
7–स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9–उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या: 463 / XXVII(7) / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक 22 फरवरी,2010

विषयः– समयमान वेतनमान में पदोन्नति / संविलियन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवा को जोड़ा जाना।

महोदय,

समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में निर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के स्पष्टीकरण संख्या–वे0आ0–2–257 / 10–2004–45(एम) / 99 टी0सी0 दिनांक 20 अगस्त,2004 के कम में उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 327 / XXVII(3)स0वे0 / 2005 दिनांक 23 अगस्त,2005 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–5 में एक पद का आशय स्पष्ट करते हुए एक ही पदनाम अथवा समान वेतनमान वाले पद पर दो विभागों में की गयी सेवा को गणना में न लेने तथा एक ही विभाग के ऐसे पद जो एक संवर्ग के है और आपस में स्थानान्तरणीय है तथा वरिष्ठता सूची एक है, को छोड़कर एक ही विभाग में समान वेतनमान में भिन्न–भिन्न पदों पर की गयी सेवा को गणना में न लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे मामलो में जहां किसी संवर्ग में समयमान वेतनमान के पद से पदोन्नति होती है अथवा समान वेतनमान के दो पदों को संविलीन किया जाता है, वहा संबंधित पद धारक के वेतन निर्धारण पूर्व पद पर आहरित मूल वेतन के समान स्तर पर ही होता है तथा समयमान वेतनमान में पूर्व पद की सेवायें न जोड़े जाने से उन्हें हानि होती हैं।

2— उपर्युक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समान वेतनमान के पद पर पदोन्नति / संविलियन के फलस्वरूप संबंधित पदधारक को नये धारक पद पर समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व पद की सेवाओं को जोड़ा जायेगा।

3— शासनादेश संख्या–327 / XXVII(3)स0वे0 / 2005 दिनांक 23 अगस्त,2005 के स्पष्टीकरण विषयक संलग्नक के बिन्दु संख्या–5 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 463 (1) / XXVII(7) / 2010 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(गरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या:537XXVii(7)पे0/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी,
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनः दिनांकः 18 मई 2010

विषयः–राज्य सरकार के पेन्शनर्स के सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए कर्मियों की बीमा, सरप्लस कर्मियों का वेतन तथा डीकीटल धनराशि के लिए वर्ष 2010–11 में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 273/XXVii(7)/2010 दिनांक 10 सितम्बर 2009 के कम में राज्य सरकार के पेन्शनर्स के समस्त सेवानैवृत्तिक लाभों सरप्लस कर्मियों का वेतन, राज्य सरकार के कार्मिकों की भविष्य निधि बीमा योजना, पेंशनरों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति व डीकीटल मद हेतु लेखानुदानाधि में अवमुक्त धनराशि को संलग्न विवरणानुसार वर्ष 2010–11 में प्राविधानित रू0 2,00,00,000 (रू दो करोड़ मात्र) की भारित तथा रू0 9,20,75,26,000 (रूपये नौ अरब बीस करोड पिचहतर लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निवर्तन पर रखें जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)समस्त जनपदीय कोषागारों को उनके यहां पेन्शनर्स की संख्या के अनुरूप आलोच्य अवधि की आवश्यकता के अनुरूप धनराशि निवर्तन पर रखकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी,

(2)उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है,

(3)व्यय करते समय बजट मैनुवल,वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा,

(4)सम्बन्धि वरिष्ठ कोषाधिकारियों/कोषाधिकारियों द्वारा मासिक आवश्यकतानुसार ही उनको आवंटित की गई धनराशि के विपरीत धनराशि का आहरण किया जायेगा,

(5)प्रत्येक जनपद में कुल पेन्शनर्स एवं उनमें से प्रत्येक मद की वार्षिक आवश्यकता का विवरण भी शासन को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त कर उपलब्ध करा दिया जायेगा,

(6)उक्त मदों में व्यय अब उक्त आवंटन के अनुसार ही समस्त जनपदों के कोषागारों को सुनिश्चित कर पुर्नआवंटन किया जायेगा ।

2.इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–7 के शीर्षक 2052, 2071 पेन्शन तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ 01–सिविल–आयोजनेत्तर के अर्न्तगत संलग्नक में अंकित लघु शीर्षकों के अर्न्तगत विस्तृत शीर्षक के तहत उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त ।

संख्या:537/xxvii(7) पे./2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1)महालेखाकार,ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।

(2)वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,समस्त जनपद,उत्तराखण्ड।

(3)निदेशक,एन0आई0सी0उत्तराखण्ड,देरादून ।

(4)गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(आर0सी0शर्मा)
अनु सचिव,वित्त

शासनादेश संख्या537 XXVII(7) पे./2010 दिनांकः 18 मई,2010 का संलग्नक

2052—सचिवालय सामान्य सेवायें(कमंश)—00—आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रू0 में)

091--संलग्न कार्यालय

05—जनपदों में विभिन्न विभागों से अधिक(सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था—00

01—वेतन	12000
03—मंहगाई	4200
06—अन्य भत्ते	1320
48— मंहगाई वेतन	—
योगः—	17520

800—अन्य व्यय

04—सरकारी कर्मचारियों को भविष्य जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान—00

42—अन्य व्यय	20000
योगः—	20000

06—मा0 न्यायालयों द्वारा की गई डिकी से संबंधित धनराशि—00

42—अन्य व्यय—	20000
योगः—(भारित)	20000

2071—पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (धनराशि हजार रू0 में)

01—सिविल—आयोजनेत्तर

101—अधिवर्षता और सेवानिवृत्ति भत्ते

03अधिवर्षता और सेवानिवृत्ति भत्ते

01—उत्तर प्रदेश पुर्नगठन के अधीन

33—पेंशन/आनुतोषिक	1
योगः—	1

02—उत्तराखण्ड राज्य के अधीन

33—पेंशन/आनुतोषिक	3300000
योगः—	3300000

102–पेंशन का सारांशीकृत मूल्य
03 पेंशन की राशि मूल्य(कम्यूटेड वैल्यू आफ पेंशन)
01–उ0प्र0 पुर्नगठन के अधीन

33–पेन्शन/अनुतोषिक	1
योग:–	1

02उत्तराण्ड राज्य के अधीन

33–पेन्शन/अनुतोषिक	2000000
योग–	2000000

104–उपादान–03 उपादान
01 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन के अधीन

33– पेंशन/पारिवारिक पेंशन	1
योग–	1

302–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन

33– पेंशन/आनुतोषिक	2100000
योग–	2100000

105–परिवार पेंशन–03 परिवार पेंशन
0301–उत्त प्रदेश के पुर्नगठन के अधीन

33–पेंशन/आनुतोषिक	1
योग–	1

0302–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन

33–पेंशन आनुतोषिक	1000000
योग–	1000000

115 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ
03–सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ

01–उत्तर प्रदेश पुर्नगठन के अधीन

01–वेतन	1
03–मंहगाई भत्ता	–
06–अन्य भत्ते	–
48–मंहगाई वेतन	1
योग–	2

02–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन

01–वेतन	500000
03–मंहगाई भत्ता	175000
06–अन्य भत्ते	55000
48–मंहगाई	–
योग–	730000

800–अन्य व्यय
04– राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष उपचार हेतु सहायता(उत्तराखण्ड)–00

42–अन्य व्यय	30000
योग–	30000

800–अन्य व्यय
06– राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष उपचार हेतु सहायता(उ0प्र0)–00

42–अन्य व्यय	10000
योग–	10000
महायोग –	9,20,75,26,

(रूपये नौ अरब बीस करोड़ पिचहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र)

(आर0सी0शर्मा)
संयुक्त सचिव

संख्या:561 XXVII(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:04 जून, 2010

विषयः–सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण तथा शासकीय कार्य हेतु गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि में विदेश जाने हेतु सम्बन्धित नियंत्रक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना।

महोदय,

सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण तथा शासकीय कार्य हेतु गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि में विदेश जाने हेतु सम्बन्धित नियंत्रक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव की ओर से शासनादेश संख्या. 396/XXVII(7)बा0से0/2009दिनांक 11–11–2009 (प्रतिलिप संलग्न) निर्गत किया गया था। विदेश यात्राओं के इस प्रकार के मामलों में प्रशासनिक विभाग द्वारा सम्बन्धित नियंत्रक विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति से वाह्य सेवा के आदेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। यह भी अपेक्षा की गयी थी कि सभी विदेश भ्रमण कार्यक्रम जिसमें राज्य सरकार द्वारा व्ययभार वहन किये जाने प्रस्तावित हों उनमें उच्चानुमोदन प्राप्त करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय। वित्त विभाग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों में उक्त शासनादेश की व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग में सरकारी सेवकों की विदेश यात्राओं के किन मामलों में शासनादेश की उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया गया है के संबंध में अद्यतन स्थिति से वित्त विभाग को एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्याः (1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
3.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
4.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
5.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
6.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
8.समस्त प्रशिक्षण संस्थान,उत्तराखण्ड।
8.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
9.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
10.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
11.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा०नि०-वे०आ०) अनुभाग-7
संख्या: 595 /XXVII(7)म०रा०/2010
देहरादून, दिनांक 09 जून 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 298/XXVII(7)म०रा०/2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 द्वारा दिनांक 1-1-2010 से महंगाई राहत 27 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 अक्टूबर,2009 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 1-1-2010 से महंगाई राहत की एक और किश्त 08 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है तदनुसार दिनांक 1-1-2010 से राहत की दर बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणक में आगणित होगी उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81 दिनांक 27 अप्रैल 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.P.C.) Section-7
NO.595 /XXVII(7)DR/2010
Dehradun Dated 09 June 2010

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 298/XXVII(7)DR/2009 dated 15 Oct. 2009 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2009 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of the Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 8% (Eight Percent) with effect from 01 Jan. 2010 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 15 Oct.2009 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2010 has risen to 35%

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded. off to next higher rupee

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under the O.M. shall be made by the paying authorities Public Sector Banks

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual

(Radha Raturi)
Secretary

595

संख्या /XXVII(7)पें/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड माजरा देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– निदेशक एन० आई० सी० देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

595

No /XXVII(7)P/2010, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division

4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand

5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

6- All Treasury Officers Uttrakhand

7- Deputy Director Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

8- Director, N.I.C., Dehradun

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

संख्याः 579 /xxvii(7)म.भ./2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 09 जून,2010

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2010 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः297/xxvii(7)म.भ./2009 दिनांक 15 अक्टूबर,2009।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1 (3) /2010–ई–ii(बी) दिनांक 26मार्च,2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 297/xxvii(7)म.भ. /2009 दिनांक 15 अक्टूबर,2009 द्वारा दिनांक 1 जुलाई,2009 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्याः297/xxvii(7)/2009 दिनांक 15 अक्टूबर,2009 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्याः सं0 1 (3)/2010–ई–ii(बी) दिनांक 26 मार्च,2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–1–2010 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/ दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2010, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2010 से 30 जून, 2010 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जुलाई, 2010 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान की जायेगा।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 579 / xxvii(7)म.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 586/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः 18 जून,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली,2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता दिया जाना।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः203/xxvii(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई,2009 द्वारा राज्य के सहकारी संघ के माध्यम से रू0 15,000 से अधिक तथा रू0 1,00,000/– तक की लागत की सामग्री का क्रय विभाग द्वारा सहकारी संघ से मूल्य की औचित्यता से संतुष्ट होते हुए सीधे क्रय समिति के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ–साथ रू0 15,00,000/– की सीमा तक की सामग्री के क्रय हेतु अपनाये जाने वाली टेन्डर इन्क्वायरी की प्रकिया में राज्य सहकारी संघ को भी रजिस्टर्ड सप्लायर के रूप में निविदादाता की सूची में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की गई हैं। उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि टेन्डर रिक्वायरमेंट की सभी शर्ते पूर्ण करने,अन्य सभी तथ्य समान होने तथा सहकारी संघ के कोट किये गये प्राईस एल–1 प्राईस के 10 प्रतिशत की सीमा में रहने तथा संघ द्वारा एल–1 प्राईस को मैच करने के लिए सहमत होने पर सहकारी संघ को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता अनुमन्य होगी परन्तु एल–1 दरों से ऊपर किसी प्रकार की कोई मूल वरीयता नहीं दी जाएगी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या :203/xxvii(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई;2009 द्वारा राज्य सहकारी संघ के लिए की गई व्यवस्था की अवधि जो कि 31–03–2010 तक के लिए निर्धारित थी तथा उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित क्रय वरीयता की अवधि दिनांक 31 मार्च,2011 तक बढ़ाये जाने/रखने की भी एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्याः 586/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड ।
2.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3.सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.सचिव श्री राज्यपाल, उत्राखण्ड,देहरादून।
5.रजिस्ट्रार जनरल,माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7.अध्यक्ष उत्तराखण्ड, राज्य सहकारी संघ।
8.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
9.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः ⁄ /xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः06 जुलाई, 2010

स्पष्टीकरण

विषयः–लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 एवं 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 का स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 के संबंध में कर्मचारी संघ द्वारा अपने ज्ञापनों में नियमित कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि, ग्रेड पे दिये जाने के साथ–साथ मृत्यु अथवा सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अवशेष नकद भुगतान किये जाने एवं दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्ति प्राप्त कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने, एवं स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 की तालिका 1,2 एवं 3 में संशोधन किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

कार्यप्रभारित कर्मचारी संघ द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 की तालिका संख्याः 1 को संशोधित एवं 2 एवं 3 को निरस्त करते हुए कार्यप्रभारित कर्मचारियों की संहत वेतन सीमा निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) संहत वेतन की अधिकतम सीमा की गणना में मूल वेतन,विशेष वेतन, अवकाश वेतन तथा मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा,किन्तु अन्य भत्ते संहत वेतन की सीमा से बाहर होंगें।

(ii) कार्यप्रभारित कार्मिकों को मंहगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता एवं परिवार नियोजन भत्ता राज्य कर्मचारियों के लिए अनुमन्य दरों के अनुसार उसी तिथि एवं दर से देय होगा जिस तिथि से राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य कराया गया है।

(iii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि एवं ग्रेड पे की दर एवं तिथि उसी प्रकार होगी जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है।

(iv) शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 उन सभी कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर लागू होगें जो कि दिनांक 01–01–2006 से पूर्व एवं दिनांक 01–01–2006 तथा इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं।

(v) राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत एवं मृत्य सेवानिवृत कर्मचारियों को जिस प्रकार छठे वेतनमान का ऐरियर भुगतान किया गया हैं उसी प्रकार कार्यप्रभारित सेवानिवृत एवं मृत्य कर्मचारियों के ऐरियर का भुगतान किया जाएगा ।

(vi) वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 की तालिका–1 निम्नानुसार संशोधित की जाती है।

तालिका–1

मौजूदा संशोधित वेतन संरचना			संशोधित वेतनमान (रूपये में)		
क्र. सं.	वेतनमान (रूपये) जिसके आधार पर संहत वेतन निर्धारित था	दिनांक 1–1–2006 के पूर्व वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू0)	वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान	दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू0)
1	2	3	4	5	6
1.	2550–3200	3200	–1 एस	4440–7440	7260
2.	2610–3540	3540	–1 एस	4440–7440	7990
3.	2650–4000	4000	–1 एस	4440–7440	9090
4.	2750–4400	4400	–1 एस	5200–20200	9990
5.	3050–4590	4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	10440
6.	3200–4900	4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	11120
7.	4000–6000	6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	13560
8.	4500–7000	7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	15820
9.	5000–8000	8000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	19080

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या 574 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक निमार्ण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एंव अन्य अनुभाग जहां कार्यप्रभारित कार्मिक कार्यरत हैं।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या653 / XXVII(7)म0रा0 / 2010
देहरादून, दिनांक20 अगस्त,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः19/xxvii(7)पे0/2008 दिनांक 21 मार्च,2008 द्वारा दिनांक 1–7–2008 से महंगाई राहत की एक किश्त 1–1–2008 से स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मे हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 21 मार्च,2008 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2008 से 54 प्रतिशत, दिनांक 1–1–2009 से 64 प्रतिशत, दिनांक 1–7–1009 से 73 प्रतिशत तथा 1–1–2010 से 87 प्रतिशत की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक मे आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागो द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
N0-653 /XXVII(7)DR/2010
Dehradun : Dated 20 August,2010

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 19/XXVII(7)DR/2008, dated: 21 March,2008 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2008 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2008 to 54%, dated 1-1-2009 to 64 %, dated 1-7-2009 to 73 % and dated 1-1-2010 to 87% in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 21 March,2008 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्याः 653/XXVII(7)पें/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(एस0सी0पाण्डेय)
अपर सचिव

No. /XXVII(7)P/2010, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.

5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttrakhand.

7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C.Pandey)
Addl. Secretary

संख्याः 494 /XXVii(7)म.कि./2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 18 जून,2010

विषयः– हायर एडमिनिस्ट्रटिव ग्रेड (एच.ए.जी.) रू0 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्वि)–79000 एवं एपेक्स स्केल रू0 80,000 के नियत वेतन के पद के मकान किराया भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः38/XXVII(7)म0का0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं इसके विषय में निर्गत संशोधन विषयक शासनादेश संख्याः 61/XXVII(7)म0का0/2009 दिनांक 16 फरवरी,2009 द्वारा 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के समतुल्य ग्रेड पे के आधार पर "बी–2", "सी" एवं "अवर्गीकृत क्षेत्रों" के आधार पर मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण किया गया हैं तथा तत्पश्चात वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः294 /XXVII(7)/2009 दिनांक 25 सितम्बर,2009 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित या इस राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा राज्य सरकार के रू0 37400–67000 के पे बैण्ड–4 में ग्रेड पे रू012000 में कार्यरत पदो के वेतन बैण्ड को रू0 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्वि)–79000 में बिना किसी ग्रेड पे के संशोधित किये जाने तथा रू0 80,000 के नियत वेतन के पद के लिये कोई ग्रेड पे न होने के कारण मकान किराये भत्ते के निर्धारण विषयक उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं दिनांक 16 फरवरी,2009 के द्वारा मकान किराया भत्ते का निर्धारण नहीं हो पाया हैं।

2– अतः उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हायर एडमिनिस्ट्रटिव ग्रेड (एच.ए.जी.) रू0 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्वि)–79000 एंव एपेक्स स्केल रू0 80000 के नियत वेतन में कार्यरत प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिये मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता निम्नवत रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्रमांक	वेतन/नियत वेतन	बी–2 श्रेणी (रू0)	सी श्रेणी (रू0)	अवर्गीकृत श्रेणी (रू0)
1	रू0 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्वि)–79000	10000	6600	5300
2	रू0 80000 नियत वेतन	12000	8000	6400

3— उक्तानुसार वेतनमान/नियत वेतन के पूर्णकालिक पदों के मकान किराये भत्ते की प्रभावी तिथि तथा अन्य शर्तें उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं 16 फरवरी,2009 के अनुसार ही यथावत रहेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

संख्या : 494 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या:652/xxvii(7)म.भ./2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 20 अगस्त,2010

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01–01–2010 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:299/xxvii(7)म.भ./2009 दिनांक 15 अक्टूबर,2009।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)12008EII(बी) दिनांक 31 मार्च,2010।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0 7 के शासनादेश संख्या:299/xxvii(7)म.भ./2009 दिनांक 15 अक्टूबर,2009 द्वारा दिनांक 1–1–2010 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 73 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 15 अक्टूबर,2009 एवं 31 मार्च,2010 के क्रम में दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01–01–2010 से मंहगाई भत्ते को 73 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 87 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2010 से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2010 से 31 जुलाई,2010 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अगस्त,2010 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या :652 / xxvii(7)म.म./2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. प्रमुख सचिव ,सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली--110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः583/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः18 सितम्बर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– स्नातकोत्तर भत्ते में संशोधन किये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त(सामान्य) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याःजी0–1–927/दस 285/88 दिनांक 5 जुलाई,1989 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों को स्नातकोत्तर वेतन स्वीकृत किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये थे।

अतः इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन में अन्य भत्ते के संबध में की गई सस्तुति के क्रम में यथा अभियंत्रण विभागों, चिकित्सा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग तथा पशुपालन विभाग आदि में जिन सरकारी सेवकों को इस समय यह सुविधा अनुमन्य है, वहाँ उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप 5 जुलाई,1989 में निहित शर्तो एवं प्रतिवधों के अधीन पूर्व से अनुमन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए रू0 100.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 200.00 प्रतिमाह रूपये दो सौ मात्र तथा स्नातकोत्तर डिग्री, पी0एच0डी0 एवं डी0एस0सी0 के लिए रू0 200.00 के स्थान पर 400.00 प्रतिमाह रूपये चार सौ मात्र तात्कालिक प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– अतः कार्यालय ज्ञाप संख्याःजी0–1–927/दस 285/88 दिनाक 5 जुलाई,1989 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और इसकी अनुमन्य की शेष सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त

संख्याः 583 (1)/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाश्नार्थ ।
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 647 / xxvii(7) / 2010
देहरादून, दिनांकः 16 सितम्बर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–5 में वाह्य स्रोत से सेवायें कराये जाने विषयक नियम–64 के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम को छूट दिया जाना।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में आने वाले प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों के प्रवास एवं भोजन की व्यवस्था आयोग परिसर स्थित अतिथि गृह एवं कैन्टीन में करने हेतु, अतिथि गृह एवं कैन्टीन के रख–रखाव तथा भोजन की कैटरिंग हेतु पूर्व में उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता प्राप्त एजेंसी से निविदा प्राप्त न होने के कारण आयोग की अति संवेदनशील एवं गोपनीय कार्य प्रणाली के दृष्टिगत आयोग के अतिथि गृह एवं कैन्टीन के रख–रखाव तथा भोजन की कैटरिंग का कार्य असाधारण परिस्थितियों के आलोक में गढ़वाल मण्डल विकास निगम को अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–64 के अन्तर्गत दिये जाने हेतु नियमावली के नियम 72(4) के अन्तर्गत निम्न प्रतिबन्धों के अधीन छूट दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त छूट की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी।
(2) मूल्यों की युक्तियुक्तता (प्राईस की रिजनेबलनेस) एवं सेवाओं की गुणवता सुनिश्चित करने का दायित्व आयोग का होगा।
(3) निगम द्वारा आयोग की कार्य प्रणाली की संवेदनशीलता एवं गोपनीयता सुनिश्चित बनाये रखी जाऐगी।
(4) संगत सभी बिन्दुओं का समावेश करते हुए आयोग, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के साथ एक एम0ओ0यू0 निष्पादित करेगा। उक्त छूट की अवधि एम0ओ0यू0 के निष्पादन की तिथि से प्रारम्भ होगी।
(5) उक्त व्यवस्था लोक सेवा आयोग की अति संवेदनशील तथा गोपनीय कार्य प्रणाली तथा आयोग के कार्य हेतु समय–समय पर आने वाले विषय विशेषज्ञों के प्रवास की व्यवस्था हेतु की जा रही है अतः इसे अन्य आयोग / विभाग / संस्थाओं हेतु दृष्टांत के रूप में नहीं माना जाऐगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्याः 547 (1)/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2.प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
3.सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार ,उत्तराखण्ड ।
4.कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड सचिवालय ।
5.कोषागार अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
6.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड शासन ।
7.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

पत्रांक:1174/कम्प0उप0/13(2)/नि0को0वि0से0/2010

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड,
23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
बी0एस0एन0एल0,
देहरादून।

दिनांक 30 सितम्बर, 2010

विषय : **प्रदेश के 18कोषागारों तथा स्टेट डाटा सेन्टर को लीज्ड लाईन से जोड़ने तथा उसका भुगतान/समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रोविजनल डिमान्ड नोट संख्या–GMTD/DN/BD/Treasury WAN/2008-09/ दिनांक–25–06–2008 (फोटो प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रोविजनल डिमान्ड नोट का भुगतान दिनांक–26–07–2008 धनराशि ₹ 36,70,474/– जिसकी रसीद संख्या–A2337324 है, को जमा किया गया था। जिसका समायोजन आपके स्तर से अभी तक नहीं हो पाया है।

अतः अनुरोध है कि प्रोविजनल डिमान्ड नोट के आधार पर किये गये अग्रिम भुगतान की धनराशि का समायोजन बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 02 बिल जिसकी अवधि 28–09–2009 से 27–09–2010 तक ₹ ₹16,38,971/– तथा अवधि 28–09–2010 से 27–09–2011 तक ₹ 16,38,971 का भुगतान किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उक्तानुसार।

भवदीय,

(जी0के0 पंत) 30/9/10
निदेशक।

संख्या:725 / xxvii(7)म.भ. / 2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी / कुल–सचिव,सनस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 26 अक्टूबर,2010

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2010 से महगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलेखित :–

1– शासनादेश संख्या:579 / xxvii(7)म.भ. / 2010 दिनाक 09 जून,2010।
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1(6) / 2010 – संस्था–ii(ख)दिनांक 22सितम्बर,2010।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 579 / xxvii(7)म.भ / 2010 दिनांक 09 जून,2010 द्वारा दिनांक 01 जनवरी,2010 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 35 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्या:579 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 09 जून,2010 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1(6) / 2010– संस्था –ii (ख)दिनांक 22सितम्बर,2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–7–2010 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण सस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को महगाई भत्ते मे 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 35 प्रतिशत से बढाकर 45 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599 / दस 42(एम) / 97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 मे उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत / संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2010 से उन कर्मचारियों, जिनको सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोडकर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2010 से 31 अक्टूबर 2010 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोडकर) की बढी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 नवम्बर 2010 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 725/ xxvii(7)ग.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:693/XXVII(7)/2010
देहरादून, दिनांक 21 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–छठे केन्द्रीय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न शैक्षिक कर्मचारी संघो द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है:–

जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1–दिनांक 1–1–2006 से पूर्व नियुक्त वरिष्ठ शिक्षकों को दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात कनिष्ठों शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त हो रहा है अतः उत्तर प्रदेश शासन के वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2–1273 (1)/दस – 59 (एम)/2009 दिनांक 07 सितम्बर,2009 के साथ संलग्न फिटमेन्ट तालिका के आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च,2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू किये जाने के संबंध में भी उक्तानुसार फिटमेन्ट तालिका निर्गत की जाय।	वेतन समिति, 2008 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विधालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या:74/ XXVII(7) /2009 दिनांक 1 मार्च,2009 द्वारा पुनरीक्षण वेतन संरचना में दिनांक 1 जनवरी,2006 से वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई। उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में दिनांक 1 जनवरी,2006 से प्राकल्पित आधार पर शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 एवं शासनादेश संख्या:25/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित करते हुए दिनांक 1–4–2009 से वास्तविक रूप से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है। शासनादेश संख्या:395/ XXVII (7) /2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किये जाने से कतिपय मामलों में दिनांक 1 जनवरी,2006 के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों का वेतन 1 जनवरी,2006 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के वेतन से कम होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः उक्तानुसार विधालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों का वेतन निर्धारण संलग्न फिटमेन्ट तालिकाओं के अनुसार दिनांक 1जनवरी, 2006 से प्राकल्पित तथा नकद

	भुगतान दिनांक 1–4–2009 से शासनादेश संख्या:74 / XXVII (7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 में की गई व्यवस्थानुसार किया जाएगा।
2– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–41 /XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 द्वारा दिनांक 1–1–2006 के बाद सीधी भर्ती के कार्मिकों हेतु वेतनमान पृथक से अनुमन्य किये गये है। तत्पश्चात वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 74 / XXVII(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 द्वारा प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिणिक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थपित वेतनमान(रिप्लेसमेन्ट) का उच्चीकरण किया गया है। उक्तानुसार वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:302/XXVII (7) / 2009 दिनांक 27 अक्टूबर,2009 के बिन्दु संख्या:2 में निर्गत स्पष्टीकरण के आधार पर दिनांक 1–1–2006 अथवा उसके पश्चात के अधिकांश शिक्षकों से वेतन के ऐरियर की वसूली की जा रही है। फलस्वरूप उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन जारी किया जाय।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–41/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या:27/XXVII(7)(स्प0–1)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1–1–2006 को विकल्प यथावत रखते हुए उक्त तिथि से उच्चीकृत वेतनमान को नोशनली निर्धारण करते हुए दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे तथा उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे की बीच की धनराशि को ही नोशनली मानते हुए उक्त धनराशि के ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाना है जबकि शासनादेश संख्या: 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008, शासनादेश संख्या:25/XXVII (7)द्वि0प्रति0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 तथा शासनादेश संख्या: 41/ XXVII(7) / 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के द्वारा दिनांक 1–1–2006 से अनुमन्य प्रतिस्थापित वेतनमान में वेतनमान चूंकि कॉमन कैटेगिरी के वेतनमान प्राप्त होने के पूर्व अनुमन्य हो चुके थे और समस्त कार्मिकों को उक्तानुसार ऐरियर भी अनुमन्य हो चुके है। अतः ऐसी स्थिति में वेतनमानों के उच्चीकरण के पूर्व अनुमन्य सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर अनुमन्य ऐरियर समस्त अनुमन्य पदधारकों को भुगतान किया जाए।

2– वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या:302/XXVII(7)/2009 दिनांक 27 अक्टूबर,2009 का बिन्दु संख्या:2 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संलग्नक–यथोपरि।

संख्या 693 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक विधालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. माध्यमिक/बैसिक शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 4500-125-7000			
उच्चीकृत वेतनमान : 6500-200-10500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4200	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
4500	9300	4200	13500
4625	9300	4200	13500
4750	9300	4200	13500
4875	9300	4200	13500
5000	9300	4200	13500
5125	9540	4200	13740
5250	9770	4200	13970
5375	10000	4200	14200
5500	10230	4200	14430
5625	10470	4200	14670
5750	10700	4200	14900
5875	10930	4200	15130
6000	11160	4200	15360
6125	11400	4200	15600
6250	11630	4200	15830
6375	11860	4200	16060
6500	12090	4200	16290
6625	12330	4200	16530
6750	12560	4200	16760
6875	12790	4200	16990
7000	13020	4200	17220
7125	13260	4200	17460
7250	13490	4200	17690
7375	13720	4200	17920

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5500-175-9000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5500	13350	4800	18150
5675	13350	4800	18150
5850	13350	4800	18150
6025	13350	4800	18150
6200	13350	4800	18150
6375	13350	4800	18150
6550	13350	4800	18150
6725	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7075	13350	4800	18150
7250	13490	4800	18290
7425	13820	4800	18620
7600	14140	4800	18940
7775	14470	4800	19270
7950	14790	4800	19590
8125	15120	4800	19920
8300	15440	4800	20240
8475	15770	4800	20570
8650	16090	4800	20890
8825	16420	4800	21220
9000	16740	4800	21540
9175	17070	4800	21870
9350	17400	4800	22200
9525	17720	4800	22520

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5500-175-9000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5500	12540	4600	17140
5675	12540	4600	17140
5850	12540	4600	17140
6025	12540	4600	17140
6200	12540	4600	17140
6375	12540	4600	17140
6550	12540	4600	17140
6725	12540	4600	17140
6900	12840	4600	17440
7075	13160	4600	17760
7250	13490	4600	18090
7425	13820	4600	18420
7600	14140	4600	18740
7775	14470	4600	19070
7950	14790	4600	19390
8125	15120	4600	19720
8300	15440	4600	20040
8475	15770	4600	20370
8650	16090	4600	20690
8825	16420	4600	21020
9000	16740	4600	21340
9175	17070	4600	21670
9350	17400	4600	22000
9525	17720	4600	22320

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	14880	5400	20280
7750	14880	5400	20280
8000	14880	5400	20280
8250	15350	5400	20750
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार अनुसार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार एल0टी0 शिक्षक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार एल0टी0 शिक्षक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	14880	5400	20280
7750	14880	5400	20280
8000	14880	5400	20280
8250	15350	5400	20750
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	15600	5400	21000
7750	15600	5400	21000
8000	15600	5400	21000
8250	15600	5400	21000
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाचार्य का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 10000-325-15200			
उच्चीकृत वेतनमान : 12000-375-16500			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 7600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
10000	21900	7600	29500
10375	21900	7600	29500
10650	21900	7600	29500
10975	21900	7600	29500
11300	21900	7600	29500
11625	21900	7600	29500
11950	22230	7600	29830
12275	22840	7600	30440
12600	23440	7600	31040
12925	24050	7600	31650
13250	24650	7600	32250
13575	25250	7600	32850
13900	25860	7600	33460
14225	26460	7600	34060
14550	27070	7600	34670
14875	27670	7600	35270
15200	28280	7600	35880
15525	28880	7600	36480
15850	29490	7600	37090
16175	30090	7600	37690

संख्या:729/XXVii(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0--07 देहरादूनःदिनांक29 अक्टूबर,2010

विषयः--पूर्व वेतनमान में समयमान वेतनमान वाले पद के पुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 395/XXVii(7)/ 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा दिनांक 31--8--2008 तक लागू समयमामन वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसकी वास्तविक पदोन्नति अनुमन्य वैयक्तिक वेतनमान के समान वेतन बैण्ड एवं समान ग्रेड वेतन में होने पर उन्हें एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि" ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान में वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन सरंचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो संबंधित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए उसका वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा और आगामी वेतनवृद्धि उसे पूर्व की भांति देय होगी।" मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के विषय में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्याः 734/XXVII(7)म0रा0/2010
देहरादून, दिनांकः 26 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः595/xxvii(7)म0रा0/2010 दिनांक 09 जून, 2010 द्वारा दिनांक 1–1–2010 से महंगाई राहत 35 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09 जून,2010 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 1–7–2010 से महंगाई राहत की एक और किश्त 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांकः 1–7–2010 से राहत की दर बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध मे अन्य प्रावधान जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- 734 /XXVII(7)DR/2010
Dehradun : Dated : 26 October, 2010

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 595/XXVII(7)DR/2010, dated:09 June, 2010 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 January, 2010 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 10% (Ten Percent) with effect from 01 July, 2010 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 09 June,2010 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f 01-07-2010 has risen to 45%

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education, Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated: April 27, 1982 the Accountant General/ Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorties/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary

संख्याः 734 / XXVII(7)पैं / 2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No. 734/XXVII(7)P/2010, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

4- Director, Treasury and Finance services Uttrakhand

5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttrakhand

7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt please.

8- Finance, audit sale, Govt of Uttrakhand.
9- Director, N.I.C., Dehradun

By Order,
(S.C. Pandey)
Addl Secretary

संख्याः 73/ XXVII(7)स्वै0प0क0/2010

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः27अक्टूबर,2010

विषयः–स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्याः40/XXVII (7)स्व0 प0क0/ 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 40/XXVII(7)/स्वै0परि0 क0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 में यह व्यवस्था है कि जिन कर्मचारियों को 1सितम्बर,2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस धनराशि के दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय। दिनांक 31 अगस्त,2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि पुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन व 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा।

विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की गई जिज्ञासाओं पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कर्मचारियों को दिनांक 31 अगस्त,2008 तक पुराने वेतनमान में परिवार नियोजन भत्ता अनुमन्य हुआ है उनके परिवार नियोजन भत्ते की दर अनुमन्यता के समय पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित वेतन बैण्ड के ग्रेड पे के 10 प्रतिशत के बराबर दिनांक 01 जनवरी,2006 से अनुमन्य होगा।

2– शासनादेश संख्या40/XXVII(7)/स्वै0परि0क0/2009, दिनांक 13 फरवरी, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 736 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
7. सचिव,राज्य सम्पत्ति विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 723/XXVii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः 29 अक्टूबर,2010

स्पष्टीकरण

विषयः–पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्याः421/XXVII(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008, संख्याः305/XXVII(7)/2009 दिनांक 08 अक्टूबर,2009 एवं संख्याः 420 /XXVII(7)/2010 दिनांक 18 फरवरी,2010 के संबंध में स्पष्टीकरण/संशोधन।

विभिन्न राजकीय पेंशनर्स संघो द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में राजकीय पेंशनर्स के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा तत्कम में निर्गत स्पष्टीकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अधोहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है:–

क0 सं0	बिन्दु	टिप्पणी
1	2	3
1	ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनको उनकी पेंशन छठे वेतन आयोग से पूर्व न्यूनतम पेंशन 1275/– से कम निर्धारित होकर प्राप्त हो रही थी, को छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कैसे होगा। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 421 /XXVii(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के बिन्दु संख्याः8 में 1–1–2006 के पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू01275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500 किया गया है किन्तु इसमें समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1–1–2006 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी का उल्लेख नहीं किया गया है।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञा0 संख्याः421 XXVii (7)/2008 दिनांक 27–10–2008 के द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में केन्द्रीय सरकार की भांति दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है तथा जिसके प्रस्तर–8 में 1–1–2006 से पूर्व पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू0 1275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500 किया गया है तथापि ऐसी पेंशन समुचित यथानुपात तरीके से कम हो जाएगी, जहां पेंशनभोगी ने, पेंशनभोगियों, पर उसके/ उसकी अधिवार्षिकी/सेवानिवृति की तारीक की स्थिति के अनुसार पूर्ण पेंशन हेतु वांछनीय अधिकतम सेवा से कम सेवा की हो और यह किसी भी मामलें म रू03500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी। अतः उचित होगा कि इसी आधार पर जिन पेंशनर्स को 1–1–2006 से पूर्व रू0 1275 से कम पेंशन प्राप्त हो रही है उन्हें भी रू0 3500 पेंशन पुनरीक्षित किये जाने पर विचार किया जाए। पूर्ण अर्हकारी सेवा पूर्ण न करने पर ही समानुपातिक आधार पर न्यूनतम पेंशन में कमी होगी।

2		शासनादेश संख्या: 305 / xxvii (7)/2009 दिनांक 8-10-2009 के प्रस्तर-2 के अनुसार पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नही होगी की व्यवस्था है। इसी प्रकार जहां समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशन भोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1-1-2006 से लागू संशोधित वेतनमान /वेतन बैण्ड में मूल वेतन तथा ग्रेड पे के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
3	वित्त विभाग के शासनादेश सं0 305/xxvii(7)/2009 दिनांक 8-10-2009 के प्रस्तर-3 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-1 की तिथि 31 दिसम्बर,2009 से आगे बढ़यी जाए।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:305/xxvii(7)/2009 दिनांक 8-10-2009 के प्रस्तर-3 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर्स से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 निर्धारित की गई थी किन्तु कतिपय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स संघों द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि अभी भी प्रदेश में अधिकांश ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स है जिनके द्वारा उक्त तिथि तक उक्त प्रारूप भर कर कोषागार में जमा नहीं किया गया है अथवा संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्षों द्वारा उक्त प्रारूप कोषागारों को प्रारूप नहीं जमा किया गया है फलस्वरूप ऐसी स्थिति में उचित होगा कि उक्त प्रारूप जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 को दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक बढ़ा दी जाए।
4	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / XXVii(7) दिनांक 18-2-2010 में जहां-जहां पर शासनादेश संख्या:221/XXVii(7)/2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 इंगित किया गया है उसके स्थान पर 08 अक्टूबर, 2008 होगा अथवा 08 अक्टूबर,2009।	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 /XXVii(7) दिनांक 18-2-2010 में कतिपय स्थानों पर शासनादेश संख्या:221/XXVii (7)/2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 त्रुटिवश गलत इंगित होने के कारण इसके स्थान पर **"08 अक्टूबर,2009 पढ़ा जाए।"**

5	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 /XXVii(7) दिनांक 18–2 –2010 के बिन्दु संख्या–2 में 80 वर्ष एवं उससे अधिक वर्ष के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की अनुमन्यता शासनादेश जारी होने की तिथि के स्थान पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर, जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीख से देय होगी अथवा दिनांक 1–1–2006 से होगी।	इस संबंध में पेंशनर्स संघो द्वारा भारत सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या:38 / 37 / 08–पीएंड पी.डब्ल्यू(ए) दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 के बिन्दु संख्या:4.5 के आधार पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीक से देय किये जाने के संबंध में यह अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्तांकित कार्यालय ज्ञाप में उक्त व्यवस्था शासनादेश जारी होने की तिथि से ही लागू है। फलस्वरूप वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / XXVii(7) दिनांक 18–2–2010 के बिन्दु संख्या–2 में संशोधन का आधार नहीं है।
6	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या: 420 / XXVii(7) दिनांक 18–2– 2010 के प्रस्तर–1 में अंतेम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1–1–06 से दिनांक 26– 10–08 के मध्य 20 / 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्मिक 33 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते परन्तु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगें उनको पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी। 33 वर्ष से कम सेवा के कारण अनुपातिक कमी नहीं की जाएगी।	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या: 420 / XXVii(7) दिनांक 18–2–2010 के प्रस्तर–1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होने की व्यवस्था को स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या:506 XXVii(7) दिनांक 26–4–2010 के प्रस्तर–1 मे स्पष्ट व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है कि उक्त व्यवस्था दिनांक 27 अक्टूबर,2010 के स्थान पर दिनांक 1–1–2006 से ही लागू होगी अर्थात उक्त तिथि के बाद सेवानिवृत कार्मिको को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन एवं अंतिम माह में आहरित वेतन का 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित औसत वेतन का 50 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य किया गया है।
7	दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रकियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन के विषय में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419 / XXVii(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के बिन्दु 8(1) की सातवीं पंक्ति में अब सात वर्ष के स्थान पर "10 वर्ष पर" अनुमन्य होगी अथवा "10 वर्ष तक"।	दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रकियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब सात वर्ष के स्थान **"10 वर्ष पर"** के स्थान पर **"10 वर्ष तक"** पढा जाए।

2- उक्त कालम-3 में प्रस्तावित व्यवस्था के फलस्वरूप संगत कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3- उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 723 (1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु07
संख्या 748/XXVII(7)/2010
देहरादूनः दिनांक 04 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में आपदा राहत कार्यों के लिए शिथिलीकरण।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (Work Order) पर आधारित निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य करा सकता है। राज्य में आई भीषण आपदा से हुयी क्षति के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त कार्यों के त्वरित पुनर्निर्माण हेतु प्रोक्योरमेन्ट नियमावली के नियम–72 (4) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में उत्तरराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–39 में शिथिलीकरण करते हुए आपदा राहत कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर कम से कम 3 पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य कराये जाने की सीमा को बढ़ाकर रु0 2,00,000 (रु0 दो लाख) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–अधिप्राप्ति नियमावली के नियम–39 में उक्त शिथिलीकरण केवल एक बार आपदा राहत कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए किया जा रहा है। उक्त शिथिलीकरण आपदा राहत–निधि से विभिन्न विभागों के लिए आवंटित बजट से कराये जाने वाले कार्यों के लिए किये जा रहा है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या 748(1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3–सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग उत्तराखण्ड।
4–मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड।
7–स्टॉफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
8–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
9–समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–सलाहकार वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
11–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या:801 /XXVII(7)म0रा0/2010
देहरादून, दिनांक 24 दिसम्बर,,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 653/xxvii(7)मं.रा./2010 दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा दिनांक 1–1–2010 से महंगाई राहत की 87 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के कम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 20 अगस्त,2010 में उल्लिखित दरों का अतिकमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 103 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO-801 /XXVII(7)DR/2010
Dehradun : Dated 24 December,2010

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-653/XXVII(7)DR/2010, dated: 20 August, 2010 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 1-1-2010 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2010 to 103 %, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 20 August,2010 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्याः 801 /XXVII(7)म.रा./2010, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर0सी0अग्रवाल)

अपर सचिव

No. 801 /XXVII(7)DR/2010, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision

4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.

5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttrakhand.

7- Deputy Director, Govt. Press Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(R.C.Agarwal)

Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या–774 /XXVII(7)/2010
देहरादूनः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अधीन राज्य की सहकारी संस्थाओं से अधिप्राप्ति की प्रकिया विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 जुलाई, 2009 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 जून, 2010 का संशोधन।

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 203/XXVII(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 तथा संख्या 586/XXVII(7)/2010, दिनांक 18 जून, 2010 के क्रम में उप सभापति, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के पत्र संख्या–211/VIP/2010 दिनांक 2–11–2010 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या– 203/XXVII(7)/2009, दिनांक 21 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–2 की छठवीं पंक्ति से ग्यारहवीं पंक्ति को नियमानुसार संशोधित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

> "राज्य सरकार के सहकारी संघ के माध्यम से रु0 15,000 से अधिक तथा रु0 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) तक की लागत की सामग्री का क्रय सम्बन्धित विभाग द्वारा राज्य सहकारी संघ से मूल्य की औचित्यता से संतुष्ट होते हुए सीधे करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्रय समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टता तथा दरों की युक्तियुक्तता (Reasonableness) प्रमाणित की जाएगी"।

2– कार्यालय ज्ञाप संख्या–203/XXVII(7)/2009, दिनांक 21 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–2 की उक्त पंक्तियां केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएं।

3– उक्त व्यवस्था तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–586/XXVII(7)/2010, दिनांक 18 जून, 2010 द्वारा की गयी क्रय वरीयता की व्यवस्था की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाये जाने की भी एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 774 /XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3–सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4–सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
5–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
6–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
7–स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8–अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ/उप सभापति उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद।
9–निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।
10–ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग उत्तराखण्ड।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

पत्र सं0– 66 /xxvii–1/2011

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग– 1 देहरादूनः दिनांकः २४ जनवरी, 2011

विषयः सचिवालय अनुदेश, 1982 में उल्लिखित नियमों एवं प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 818/xxvii(1)/2009 दिनांकः 8 दिसम्बर, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सचिवालय अनुदेश 1982 के नियम 25 तथा 26(1) में यह व्यवस्था है कि ऐसे समस्त प्रस्ताव जिनमें राज्य के वित्त पर प्रभाव पड़ता हो, पर आदेश जारी किये जाने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जायेगा तथा वित्त विभाग के विचार प्रशासकीय विभाग के स्थायी अभिलेख में अंकित किये जायेंगे एवं वे मामले से सम्बन्धित पत्रावली के भाग होंगे।

कतिपय मामलों में यह अनुभव किया गया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा ऐसे प्रकरण, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित है, उनका निस्तारण वित्त विभाग को पत्रावली न भेजकर बैठकों के माध्यम से किया जा रहा है। यह प्रकिया सचिवालय अनुदेश के उक्त प्राविधान के अनुरूप नहीं है।

बैठकों के आयोजित करने का मुख्य उदेदश्य केवल अन्वेषणात्मक प्रकृति (exploratory nature) का होता है, जिसमें सामूहिक रूप से विचार मंथन (brain storming) के आधार पर एक विभागीय मत स्थिर किया जाता है। बैठक में भाग लेने वाले वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदत्त मत को, वित्त विभाग का आधिकारिक अभिमत नहीं माना जाना चाहिए तथा इसका तद्नुसार उपयोग/व्याख्या ऐसे निर्णयों को लेने में नहीं किया जा सकता है, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित हो। वित्त विभाग का आधिकारिक मत वही होगा जो प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर उनके प्रस्ताव के सन्दर्भ में अंकित किया गया हो। इस प्रकार बैठकों में वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर प्रकरण का निस्तारण उचित नहीं है।

स्पष्टतः वित्तीय उपाशय के किसी प्रकरण में बैठक में लिया गया निर्णय निर्धारित प्रकियानुसार पत्रावली पर वित्त विभाग का मन्तव्य प्राप्त करने का विकल्प नहीं हो सकता है। अतः जिन मामलों में प्रशासनिक विभाग की पत्रावली पर वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त करके निर्णय लिया जाना हो उनके सम्बन्ध में वित्त विभाग को पत्रावली सन्दर्भित करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये।

सचिवालय अनुदेश की व्यस्थानुसार उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या– 66 /xxvii–1/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 872 XXVII(7)न0प्रात0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख साचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः–राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–444 / XXVII(7)ए.सी.पी.(1) / 2010 दिनांक 09 फरवरी,2010 तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्याः542 XXVII(7) / 2010 दिनांक 15 अक्टूबर,2010 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 1–1–2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त योजना दिनांक 1–01–2006 के पूर्व के वेतनमान ₹7500–12000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे ₹4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 01–09–2008 से तथा वेतनमान ₹8000–13500 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे ₹ 5400 तथा उससे उपर के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे के पदधारकों के लिए दिनांक 01–01–2006 से प्रभावी होगी।

(2) (i) ए0 सी0 पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगेः–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान / सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवाविधि को गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नानफंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय

स्तरोनन्यन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्रा होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोनन्न का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय कि दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ए ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्न माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेत ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्म के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लि जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्त देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अ (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उप ही विचार किया जायेगा एवं संबंधित लाभ देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/ सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्र के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वज उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरो के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्याः–395/XXVII(7)/2008 दिनांक अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के स्तम्भ–4 एवं 5 के अ अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्न पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मा संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वा रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के संबंध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए0सी0पी0 की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।

(5) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर संबंधित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा–नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ संबंधित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगें।

(6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में समान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 एवं इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के प्रावधानों से विनियमित होंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक

अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु संबंधित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो संबंधित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड, वेतन जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2— समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 31–08–2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31–8–2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे:–

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना संबंधित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले ₹ 10 में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। संबंधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(2)(i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को संबंधित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो संबंधित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित पदधारक को अगली वेतनवृद्धि न्यूनतम 06 माह के उपरान्त पड़ने वाली पहली जनवरी/जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जनवरी/जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड ₹ 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन ₹ 5400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर–2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया

जायेगा। संबंधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो संबंधित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

टिप्पणीः– उक्त व्यवस्था से संबंधित कतिपय उदाहरण संलग्नक–1 पर उपलब्ध हैं।

3– पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 सितम्बर,2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे संबंधित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 सितम्बर,2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे है तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत

देय लाभ दिनांक 01 सितम्बर,2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे:–

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नानफक्शनल वेतनमान मिलने पर ए0सी0पी0 की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नानफंक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर,2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर,2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 सितम्बर,2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप संबंधित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4– वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड

वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

5– (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके संबंध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की केस–टू–केस प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर बैठक आयोजित कर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6– ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

7– ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

8– ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्याः395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या : 872 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
11. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

शासनादेश संख्या872/XXVII(7)/2011, दिनांक08/03/2011 का संलग्नक–2

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रकिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर संबंधित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। संबंधित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम–23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

(1) यदि संबंधित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जनवरी/01 जुलाई को वेतन पुर्ननिर्धारित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन ₹ 100.00 था, तो प्रथम वेतनवृद्धि की गणना ₹ 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना ₹ 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नय अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:–

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णाकिंत करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन

हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोटः—यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण— किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जुलाई,2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जनवरी को देय होगी। उदाहरण--किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी,2009 से 30 जून,2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी,2010 को देय होगी।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव,वित्त।

संख्याः873 XXVii(7)न0प्रति0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः08 मार्च, 2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के तकनीशियन सवंर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गई हैः–

(क) प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ

1– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य क्रमशः वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/– तथा वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/– यथावत बनाये रखे जायें।

2– प्रयोगशाला सहायक(ग्राम्य) के पदों पर ₹ 3200–4900 का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2000/–) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान पदधारकों को सी.एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों का कार्य अनुभव प्राप्त कराने हेतु उक्त सादृश्य वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2000/– तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान पदधारकों को सी.एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों का कार्य अनुभव प्राप्त कराने हेतु उक्त अस्पतालों में उनकी तैनाती की व्यवस्था की जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर वर्तमान में कार्यरत पदधारकों जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सी. एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों में 06 माह का कार्य अनुभव हो, में से चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाये।

3– जन चिकित्सा के अन्य विभागों सहित पशु चिकित्सा के अन्तर्गत उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के पदों पर शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाए। सीधी भर्ती हेतु इटरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फेकल्टी/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का डेढ़ वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की जाए और संबंधित पदों पर समान वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) अनुमन्य कराये जाये। संबंधित विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप 03 माह के सेवा कालीन विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी जा सकती है। सभी विभागों में इस स्तर के विभिन्न पदनामों (प्रयोगशाला सहायक, प्राविधिज्ञ सहायक तथा प्राविधिज्ञ आदि) से उपलब्ध पदों का पदनाम प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन) रखा जाए।

(ख) एक्स–रे–टेक्नीशियन

1– प्रदेश के एक्स–रे–टेक्नीशियन पद पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में ₹ 5000–8000 के वर्तमान वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड–2(₹ 9300–34800) तथा ग्रेड वेतन ₹ 4200/– तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य करा दिया जाए।

2– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग में वरिष्ठ एक्स–रे–टेक्नीशियन का पर्यवेक्षीय पद वेतनमान ₹ 7450–11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/– में कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सृजित किया जाए।

3– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग में मुख्य एक्स–रे–टेक्नीशियन के पर्यवेक्षीय पद के सृजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभाग/संवर्ग की कार्यात्मक आवश्यकता/कार्यों की गुणवत्ता के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाए।

4– एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पर विभिन्न भत्ता एवं सुविधाओं के संबंध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां तथा स्थान अलग से दी जायेगी।

(ग) अन्य टेक्नीशियन

1– लैब टेक्नीशियन/एक्स–रे–टेक्नीशियन के पदों को छोड़कर अन्य तकनीशियन संवर्ग के पदों पर निम्न व्यवस्था रखी जाए:–

(i) इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा संबंधित ट्रेड में डेढ़ वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता के साथ ₹ 4000–6000 का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन

बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2400/– अनुमन्य कराया जाए।

(ii) इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा संबंधित ट्रेड में डेढ़ वर्ष या डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता निर्धारित होने की स्थिति में ₹ 4500–7000 का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/– अनुमन्य कराया जाय।

2– टेक्नीशियन के जिन ट्रेडस के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था स्टेट मेडिकल फेकल्टी/स्टेट मेडिकल फेकल्टी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में नहीं है उनके संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था वेतन समिति (1997–99) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आलोक में की जाए।

3– प्रदेश में अन्य टेक्नीशियन के संवर्ग में उच्च स्तर के पदों के सृजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या:877/XXVII(7)व0श्र0/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:24 मार्च 2011

विषय:–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी सवर्ग के संबंध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक-1 के कालम–2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान क्रमश: ₹2550–3200, ₹2610–3540, तथा ₹2650–4000, के पदों पर दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1 एस0, ₹4440–7400, तथा ग्रेड वेतन क्रमश: ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 ₹5200–20200 एवं ₹1800/– के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:–

(i) शासनादेश संख्या:283/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी,2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹1900/– का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया गया है, उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹1900/- वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के समस्त पदो को समाप्त कर दिया जाएगा, जहां पर ग्रेड पे ₹1800/– के पद कम पड़ते है (कार्यरत पदधारकों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के पद ₹1800/– के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जाएगें।

(iii) ₹1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वत: समाप्त होते जाएगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/– ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या:893/40(XI)/XXVii(7)11वां प्रति0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक29मार्च,2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति के 11वें प्रतिवेदन में राजकीय वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वित्तीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो गया है उन्हें एक बार के लिए वाहन चालक ग्रेड–1 में उच्चीकरण किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु गठित वेतन विसगति समिति द्वारा राजकीय वाहन चालक संघ की मांगों के संबंध में विचार विमर्शोपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 226/XXVii(7)/2007 दिनांक 22 अगस्त,2007 के द्वारा लागू व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे वाहन चालक जिन्हें द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में ₹4500–7000 नये वेतन बैण्ड ₹ 5200–20200 ग्रेड–पे–₹ 2800 का वेतनमान पाये हुए 3 वर्ष अथवा इससे अधिक का समय हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के पदों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन समायोजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1)प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में ₹ 4500–7000 नये वेतन बैण्ड ₹ 5200–20200 ग्रेड–पे–₹ 2800 का वेतनमान पाये हुए 3 वर्ष अथवा इससे अधिक का समय हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 वेतनमान ₹ 5000–8000 नये वेतन बैण्ड ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे–₹ 4200 केवल एक बार के लिए ही इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जाय कि जैसे–जैसे पदधारक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु अथवा अन्य कारण से वाहन चालक ग्रेड–1 के पद रिक्त होगें, वैसे–वैसे ग्रेड–1 के उक्त पद वाहन चालक के द्वारा धारित मौलिक पद में स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे।

(2)केवल एक बार के लिए की जा रही उक्त व्यवस्था के बाद भविष्य में ग्रेड–1 का वेतनमान केवल मात्राकृत पदों की संख्या में आने वाले पदधारकों को ही अनुमन्य होगा।

(3)उक्तानुसार आदेश निर्गत किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

2– उक्त के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 अगस्त,2007 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 854/xxvii(7)/2011
देहरादून, दिनांकः 21 मार्च,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–दिनांक 01–01–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण को निरस्त किया जाना।

उपर्युक्त विषयक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश संख्याः 395/xxvii(7)/2010 दिनांकः17 अक्टूबर,2008 के क्रम में दिनांक 01–01–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश संख्याः 41/xxvii (7)/2010 दिनाकः 13 फरवरी,2009 ही निर्गत किया गया, परन्तु इसमें वेतन निर्धारण की कट ऑफ डेट का उल्लेख नहीं हो पाया है।

उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः598/xxvii (7)/2010 दिनांक 20 जुलाई,2010 द्वारा दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित निर्गत शासनादेश संख्याः395/xxvii (7)/2010 दिनांकः 17 अक्टूबर,2008 को आधार मानते हुए कट ऑफ डेट 17 अक्टूबर, 2008 रखते हुए इस तिथि के पूर्व नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण संबंधित शासनादेश संख्याः 41/xxvii (7)/2010 दिनांकः 13 फरवरी,2009 की निहित व्यवस्थानुसार किया जाएगा तथा इस तिथि के बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का संशोधित वेतन ढॉचे में प्रविष्टि वेतन का निर्धारण संगत वेतन बैण्ड के न्यूनतम में ग्रेड वेतन को जोड़ते हुए निर्धारित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार के गजट दिनांक 29 अगस्त,2008 में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके बाद नये रिक्रूटों के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का संशोधन वेतन ढांचे में निर्धारण इन नियमों की प्रथम सूची का भाग "क" का ग्रुप्ड–II वेतन बैण्ड में उस प्रारंभिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों का वेतन दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जाएगा तथा दिनांक 01–01–2006 से और अधिसूचना के जारी होने के तारीक के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में लागू होगा।

अतः उक्त के संबंध में विभिन्न कर्मचारियों संघो द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01–01–2006 अथवा शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2010 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 जारी होने की तिथि के बीच नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्याः598/xxvii (7)/2010 दिनांक 20 जुलाई,2010 को निरस्त करते हुए शासनादेश संख्याः41/xxvii (7)/2010 दिनांकः 13 फरवरी,2009 में उल्लिखित वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर निर्धारण किया जाए।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः 888XXVII(7)च0श्रे0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख साचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 25 मार्च, 2011

विषयः–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्याः877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 का संशोधन।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः877/XXVII (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रेषक में आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव, वित्त के स्थान पर राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त पढ़ा जाए।

2– शासनादेश संख्याः 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 381 /xxvii(7)/2011
देहरादून, दिनांकः 16 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–वाह्य सहायतित परियोजनाओं तथा भारत सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर कम्प्यूटर सामग्री की अधिप्राप्ति।

कार्यालय के उपयोग हेतु कतिपय आवश्यक सामग्रियों को डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों के आधार पर क्रय करने हेतु अधिकृत किये जाने के निर्गत शासनादेश संख्या 258/xxvii(7)/2008 दिनांक 22 अगस्त,2008 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 215/xxvii(7)/2009 दिनांक 25 अगस्त,2009 के द्वारा ₹ 25 लाख से अधिक लागत की सामग्री डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर उपलब्ध होते हुए भी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के संगत प्राविधानों के आधार पर विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा प्रक्रिया के अनुसार क्रय सुनिश्चित करने तथा इस प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित दर डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दर से कम न होने की व्यवस्था की गई है।

2– राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वाह्य सहायतित परियोजनाओं/भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं (यथा 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग आदि) के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के क्रय हेतु धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में अवमुक्त किये जाने तथा विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा प्रक्रिया करने में अधिक समय लगने के कारण अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग नही हो पा रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में चल रही सभी वाह्य सहायतित परियोजनाओं एवं भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं के लिये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के नियम–10(2) के साथ पठित नियम–72(4) के अन्तर्गत कम्प्यूटर के बल्क परचेज(थोक आपूर्ति) हेतु निर्धारित ₹ 25 लाख की सीमा को शिथिल किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– कम्प्यूटर के क्रय हेतु उक्त शिथिलीकरण केवल वाह्य सहायतित परियोजनाओं/भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं के लिए ही है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या:881/XXVii(7)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड,औबेराय भवन, माजरा,देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड ।
5. रेजीडेन्ट कमिशनर, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
7. समस्त वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक,उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या–513 / XXIV(1) / 2011–45 / 2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

2. राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान / सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय समिति, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून: दिनांक: 18 अप्रैल,2011

विषयः– **शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा–12 (1)(c) के प्राविधानानुसार विशिष्ट श्रेणी तथा असहायता प्राप्त / निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–296 / XXIV(1) / 2011–45 / 2008, दिनांक 07.04.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. सन्दर्भित शासनादेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा–12 (1)(c) के प्राविधानानुसार विशिष्ट श्रेणी तथा असहायता प्राप्त / निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2011 में बिन्दु संख्या (5) के रूप में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

> "यथा अधिसूचित 2(d) अपवंचित समूह (Disadvantaged group) तथा 2(e) कमजोर वर्ग (Weaker sections) हेतु अनुमन्य 25 प्रतिशत सीटों में 50 प्रतिशत बालिकायें अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाँय।"

3. उक्त शासनादेश को इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें / निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5. समस्त जिला आधेकारी, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड् सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
9. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
10 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

पत्रांक:456/एक-3/( )/नि0को0वि0से0/2011

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड,
23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून।

सेवा में,

मै0 रेडिंगटन इण्डिया लि0,
एच0सी0एल0 कम्पाउंड, माजरा,
देहरादून।

दिनांक: 17 जून, 2011

विषय : निदेशालय के नियंत्रणाधीन सहकारी समितियां एवं पंचायतें प्रभाग हेतु कंम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति का कयादेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक DGS&D की दर अनुबंध संख्या–**Computers/IT-1/RC-7109 0000/0511/81/03811/3421 dated 19th October 2011 Valid Up to 31-10-2011** की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निदेशालय के नियंत्रणाधीन सहकारी समितियां एवं पंचायतें प्रभाग, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून में निम्नलिखित कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकणों की सम्पूर्ति डी0जी0एस0एण्ड डी0 व निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन करने का कष्ट करें ।

Sl. No.	Name	Description	No.	App. Price	Total	DGS&D Item No.
1	Add-on items for Desktop Computers	Item: 2GB DDR2 RAM 1066	02	2,400	4,800	13
2	Add-on items for Desktop Computers	Item: DVD 8x Rewriter ILO 8X or better DVD ROM	02	200	400	18
3	Desktop Computers with preloaded operating System	Configuration: Intel v Pro with small Form Factor, Operating System: Microsoft Windows 7	02	38,280	76,560	204
Total					81,760	
Add -VAT 5%					(+) 4,088	
Grand Total					85,848	

(Rs. Eighty Five Thousand Eight Hundred Forty Eight Only)

1– आपूर्ति किये गये उपकरणों का DGS&D की शर्तानुसार Quality Control Assurance सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– आपूर्ति किये गये उपकरणों के निरीक्षण हेतु DGS&D द्वारा लिये जाने वाला शुल्क DGS&D की निर्धारित दरों के अनुरूप आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

3– आपूर्ति किये गये उपकरणों में वारन्टी/गारन्टी अवधि में भी किसी खराबी आने पर सूचना मिलने के 48 घंटे के अन्दर ठीक करना अनिवार्य होगा अन्यथा निदेशालय जैसी अतिआवश्यक सेवा बाधित होने पर आपूर्ति करने वाली फर्म को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

4– कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के दर अनुबंध में उल्लिखित तकनीकी मानक से भिन्न कोई आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की खराबी की दशा में नये उपकरण को उपलब्ध कराना होगा।

5– वारन्टी/गारन्टी पीरियड (3वर्ष) के बाद कम से कम छः वर्ष तक निर्धारित दरों पर पार्टस सहित" रख–रखाव का दायित्व आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।

6– विभाग द्वारा वांछित किसी "अपडेसन" हेतु अनुरोध करने पर मात्र अतिरिक्त हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का निर्धारित मूल्य ही भुगतान किया जायेगा, शेष कार्य निःशुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

7– भुगतान की व्यवस्था हेतु DGS&D की शर्तानुसार बिल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कम्प्यूटर नोटबुक की स्थापना तथा कार्यशीलता का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर निदेशक।

पत्र संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड राज्य एकक, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. सहायक निदेशक, कार्यालय महानिदेशक, आपूर्ति एवं निस्तारण, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर निदेशक।

संख्याः 63 /XXVii(7)27(8)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07 देहरादूनःदिनांकः05 जुलाई,2011

विषयः-राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण विषय शासनादेश संख्याः877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर-3 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः877/XXVII(7)च0श्रेणी0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(III) में यह व्यवस्था की गयी है कि "₹1800/- की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जायेगें अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/- ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी।" उपरोक्त विषय में विभिन्न स्रोतों से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि उक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू होगी अथवा नहीं।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर-3 में की गयी व्यवस्था उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली,1974) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।

3- उपर्युक्त शासनादेश 24 मार्च,2011 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या-662/XXIV(1)/2011-45/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 08 जून,2011

विषयः- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या-143/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-144/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-145/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-146/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12 दिनांक 29.04.2011 एवं पत्र संख्या-147/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/ 2011-12, दिनांक 29.04.2011 के क्रम में, सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु निम्न दिशा-निर्देशानुसार तत्काल आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायः-

(क) <u>विद्यालय में प्रवेश के दौरान कैपिटेशन शुल्क तथा बच्चे अथवा उसके माता-पिता /अभिभावकों की अनुवीक्षण प्रक्रिया को प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में-</u>

राज्य में "निःशुल्क एवं अनिवार्य. बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009" की धारा-13(1) के प्रावधानों के अनुसार बच्चे के प्रवेश के समय कोई भी विद्यालय अथवा व्यक्ति किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क एकत्रित नहीं करेगा तथा न ही किसी भी बच्चे के प्रवेश हेतु बच्चे अथवा उसके माता-पिता/अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया (स्क्रीनिंग) अपनायेगा। धारा-13(2) के अनुसार कैपिटेशन शुल्क लिये जाने की दशा में प्रभारित कैपिटेशन शुल्क के दस गुना तक दण्ड का प्राविधान है जबकि बच्चे को अनुवीक्षण प्रक्रिया से गुजारने पर प्रथम उल्लघंन पर रू0 25000/- तक की सीमा तक दण्ड का प्राविधान है जबकि इसके बाद प्रत्येक बार के उल्लंघन पर रू0 50000/- तक की सीमा तक दण्ड का प्राविधान है। अधिनियम की धारा-2(b) में कैपिटेशन शुल्क को निम्नवत परिभाषित किया गया है-

"कैपिटेशन शुल्क का तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे दान (Donation) या अंशदान या भुगतान से है जो कि विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त हो"।

अधिनियम की धारा-2(0) में अनुवीक्षण/स्क्रीनिंग प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए उल्लिखित किया गया है कि "अनुवीक्षण प्रक्रिया का तात्पर्य

प्रक्रिया के अतिरिक्त बच्चे के प्रवेश हेतु किसी ऐसी अन्य चयन प्रक्रिया का जिसमें किसी एक बच्चे को दूसरे से वरीयता देते हुए प्रवेश दिया जाता है"।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर विद्यालयों द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क कदापि न लिया जाय तथा प्रवेश के समय बच्चों अथवा उनके माता–पिता/अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया न अपनायी जाय।

(ख) बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक अनुत्तीर्ण करने अथवा विद्यालय से निष्कासित किये जाने पर प्रतिबन्ध के संबंध में:–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009 की धारा–16 के प्राविधानानुसार किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश होने के बाद प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक न तो किसी कक्षा में रोका जा सकेगा तथा न ही विद्यालय से निष्कासित किया जा सकेगा। इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–16 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि "No child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education".

अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–16 का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इन प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबन्धन के विरूद्ध उन पर लागू सेवा नियमावली के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(ग) बच्चों को शारीरिक दण्ड दिये जाने एवं मानसिक प्रताड़ना प्रतिबन्धित करने के संबंध में–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–17 (1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना न दी जाय। यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा किसी अध्यापक द्वारा किसी विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड देने सम्बन्धी आरोप सिद्ध पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सरकारी सेवक आचरण नियमावली एवं उस पर लागू सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा–17 (2) में भी प्राविधानित है। अशासकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा दोषी प्रधानाचार्य/अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही नही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की भी कार्यवाही की जा सकेगी।

(घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन अथवा निजी शिक्षण गतिविधियाँ किये जाने को प्रतिबन्धित करने के संबंध में–

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा–28 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि "No teacher shall engage himself or herself in private tution or private teaching activity". अर्थात कोई भी शिक्षक अपने आप को निजी ट्यूशन गतिविधियों अथवा निजी शिक्षण गतिविधियों

अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–28 में वर्णित दिशा निर्देशों के क्रम में विद्यालय परिसर अथवा परिसर से बाहर निजी ट्यूशन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। इसका उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध उस पर लागू सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी अन्य प्रकरणों में प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने पर प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

(ड) <u>प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा आयोजित न किये जाने के संबंध में–</u>

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा–30 (1) के प्राविधानानुसार किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नही होगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चों हेतु किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा आयोजित न की जाय। प्रदेश के शैक्षिक प्राधिकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–30(2) के प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड् सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
5. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नरेन्द्रनगर (टिहरी)।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
8. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)

संख्याः 65/XXVII(7)40(IX)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 04 अगस्त,2011

विषयः–राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्याः10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियन प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित स्पष्टीकरण संख्याः10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 की तालिका में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह 'घ'(अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड ₹4440–7440 एवं ग्रेड वेतन ₹1300/– के स्थान पर दिनांक 01 सितम्बर,2008 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड ₹5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/– अनुमन्य होने के फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया गया।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण संख्या–1 में उल्लिखित तालिका के बिन्दु–4,5 एवं 6 में अनुसेवकों के संबंध में कालम–3 में उल्लिखित व्यवस्था अब संलग्न तालिका के कालम–2 के स्थान पर कालम–3 के अनुसार केवल सेवा अवधि के प्रयोजन हेतु आगणित करके अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्याः283/XXVII (7) /2010 दिनांक 07–01–2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये लागू की गई स्टाफिंग पैर्टन की सुविधा के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ वापस हो जाएगें।

4– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक का उदाहरण–1 की तालिका के संगत अंश को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए तथा इसकी शेष व्यवस्था यथावत रहेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः 65/xxvii(7)40(IX)/2011 दिनांक ०५ अगस्त,2011 का संलग्नक

समूह 'घ' (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी,2006 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 बिन्दु–4,5 व 6 में वर्तमान व्यवस्था	शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक के उदाहरण–1 बिन्दु–4,5 व 6 में संशोधित व्यवस्था
1	2	3
समूह "घ" अनुसेवक के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 01 सितम्बर,2008 से		
(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 4440–7440 ₹ 1400/	₹ 5200–20200 एवं ₹1900/–
(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200–20200 ₹ 1800/–	₹ 5200–20200 एवं ₹ 2000/–
(iii) अनुसेवक "सी" तृतीय को वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200–20200 ₹ 2000/–	₹ 5200–20200 एवं ₹ 2400/–

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 248 /2011/190(120)/XXVII(8)/2008
दिनांकः देहरादून : 12 अगस्त, 2011

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:–

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान अधिसूचना संख्या 1174/2010/190(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को अधिक्रमित करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट/ मिलैट्री कैन्टीन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के भीतर तैनात अथवा निवास कर रहे, जैसी भी स्थिति हो, भारतीय सशस्त्र बल/अन्य प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सैनिकों को कमान्डिंग आफिसर की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र, जिसमें उक्त अधिनियम के अधीन कर प्रभारित किये बिना बिक्री की संस्तुति की गई हो, के आधार पर–

(क) मोटर साइकिल, स्कूटर, मापेड जिसमें बैट्री चलित यान भी सम्मिलित हैं(विक्रय मूल्य सीमा अधिकतम ₹ एक लाख);

(ख) निजी उपयोग हेतु वाहन चालक की सीट सहित अधिकतम 7 सीट की क्षमता वाले हल्के मोटर यान, जिसमें एस0यू0वी0 सम्मिलित हैं (विक्रय मूल्य सीमा अधिकतम ₹ बारह लाख);

की ब्यौहारी द्वारा की गयी बिक्री के आवर्त पर निम्न शर्तो के अध्यधीन उक्त अधिनियम के अधीन कर संदेय नहीं होगा–

शर्तें

(एक) प्राधिकार पत्र दो प्रतियों में सम्बन्धित ब्यौहारी को निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति व्यवहारी के कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी। ब्यौहारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति वार्षिक विवरणी के साथ कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(दो) ब्यौहारी कर अवधि की विवरणी के साथ प्राधिकार पत्र के सापेक्ष की गयी बिक्री की सूची संलग्न करेगा;

संख्या: 229/xxvii(7)02./2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2- वित्त अधिकारी/कुल--सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3- समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 देहरादून,दिनांक 30 सितम्बर,2011

विषयः दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01-01-2011 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

1- शासनादेश संख्या:745/xxvii(7)म.भ./2010 दिनांक 08 नवम्बर,2010।
2- भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)12008संस्था-II(ख) दिनांक 31 मार्च,2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु0--7 के शासनादेश संख्या:745/xxvii(7)म.भ./2010 दिनांक 08 नवम्बर,2010 द्वारा दिनांक 1-7-2010 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 103 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 08 नवम्बर,2010 एवं 31 मार्च,2011 के क्रम में दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01-01-2011 से मंहगाई भत्ते को 103 प्रतिशत से बढ़ाकर 115 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर--3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2011, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2011 से 30 सितम्बर,2011 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोडकर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 अक्टूबर,2011 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी भुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

संख्याः 135 / xxvii(7)58 / 2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड,
23–लक्ष्मीरोड़,डालनवाला,
देहरादून।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनु0–7 देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर,2011

विषयः–भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता (Current Account) खोलने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 270 / 23(3) / आई.पी.ए.ओ. / नि.को.वि.से. / 2011 दिनांक 24–05–2011 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें वर्तमान में एकीकृत वेतन एवं भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा सभी कर्मचारियों के वेतन एवं पेन्शन के चेक बनाकर पृथक–पृथक बैंकों को भेजे जाने के बाद विभिन्न बैंकों के द्वारा कार्मिकों के खाते में उक्त धनराशि जमा की जाती थी, लेकिन अब विभिन्न बैंकों से वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे सभी कार्मिकों / पेंशनरों की एक मुश्त धनराशि का चैक एवं कार्मिकों के विवरण की सीडी भारतीय स्टेट बैंक को दे दी जायेगी और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अपने स्तर से सभी दूसरे संबंधित बैंकों को इसका विवरण आनलाइन (on Line) किये जाने की प्रक्रिया में भारतीय स्टेट बैंक से reconciliation हेतु वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून के नाम से एक चालू खाता (Current Account) निम्नलिखित शर्तो के अधीन उक्त प्रयोजन हेतु खोले जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(1) उक्त खाते को केवल reconciliation उक्त प्रयोजन हेतु ही प्रयोग में लाया जायेगा।
(2) इसका संचालन कोर ट्रेजरी पर वित्त अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
(3) उक्त खाते में सम्पूर्ण प्रदेश के कोषागारों से लिंक एस.बी.आई. द्वारा ऐसे खातों की धनराशि जमा की जायेगी जिन खातों की सूचना सी0डी0 में अपूर्ण / अधूरी / त्रुटिपूर्ण होगी और संबंधित कोषाधिकारी से सही सूचना प्राप्त होने पर वह धनराशि वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी द्वारा सही खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:२०७ / xxvii(7)34 / 2011
देहरादून, दिनांक: 13 अक्टूबर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकतें हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या 384 /XXVII(6)/2011
देहरादूनः दिनांकः 17 अक्टूबर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए आन लाईन करने एवं राज्य में एकीकृत भुगतान तथा लेखा प्रणाली लागू होने की तिथि से पूर्व की व्यवस्था के अन्तर्गत वेतन, पेंशन एवं अन्य भुगतानों के लिये समस्त सरकारी लेन–देन हेतु कोषागार की भाँति 66 उपकोषागारों को क्रियाशील किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्थापित 10 उच्चीकृत कोषागारों यथा हल्द्वानी, रानीखेत, भिक्यासैण, डीडीहाट, बेरीनाग, चकराता, कर्णप्रयाग, थराली, पुरौला एवं धूमाकोट में से हल्द्वानी कोषागार को छोड़ कर शेष 09 कोषागारों को उपकोषागार में परिवर्तित किया जाता है। इन 09 उपकोषागारों को सम्मिलित करते हुए कुल 72 उपकोषागारों में से 06 उपकोषागार यथा देहरादून सदर, रूद्रप्रयाग सदर, बागेश्वर सदर, चम्पावत सदर तथा रूद्रपुर सदर को एवं कालागढ़ जहाँ कोई कार्य नहीं है, को समाप्त किया जाता है।प्रदेश के क्रियाशील किए जा रहें इन 66 उपकोषागारों में कोषागारों के भाँति स्वतंत्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य किया जायेगा। उपकोषागार अपना लेखा जनपदीय कोषागार को प्रेषित करेंगे। 66 उपकोषागारों का विवरण **संलग्नक–1** के अनुसार है।

(2) उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण–वितरण अधिकारी होगा तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगें। निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, इन उपकोषागारों के बजट नियंत्रक अधिकारी होंगे।

(3) उपकोषागार के कार्यक्षेत्र की परिधि में आने वाले कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित कोड पर अपने कार्यालय के लिये आहरण–वितरण अधिकारी होंगे तथा समस्त आहरण–वितरण

के कार्य हेतु सम्बन्धित उपकोषागार से सम्बद्ध रहेंगे। पूर्व से घोषित आहरण–वितरण अधिकारियों के अतिरिक्त संलग्नक–2 पर उल्लिखित विवरण के अनुसार विभागवार अतिरिक्त आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किए जाते है।

(4) उपकोषागारों से सम्बद्ध बैंकों द्वारा एजेन्सी बैंकर के रूप में कार्य किया जएगा।

(5) प्रत्येक उपकोषागार के नजदीक स्थापित बैंकों से वर्तमान में कोषागार के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों का समस्त कार्य एवं भुगतान उपकोषागारों द्वारा किया जाएगा। उपकोषागारों को पेंशन वितरण हेतु बैंकों का निर्धारण निदेशक कोषागार द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा।

(6) सभी उपकोषागारों को **SWAN (State wide area network)** से कनेक्टीविटी स्थापित करके सदर कोषागार के माध्यम से प्रदेश डेटा सेंटर से जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया से उपकोषागार आन लाइन कार्य कर सकेंगे। **SWAN** से प्राप्त **Connectivity** 100% हो इसके लिये भारत सरकार के अन्तर्गत नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर **(NIC)** उत्तराखण्ड एकक द्वारा वैकल्पिक **Connectivity** की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(7) सभी जनपदीय कोषागार अपने कोषागार के साथ–साथ अपने अधीनस्थ उपकोषागारों का मासिक लेखा एकीकृत रूप से महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून में तथा रक्षा पेंशन लेखा निदेशालय कोषागार में पूर्व निर्धारित समय–सारणी के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।

(8) उपकोषागारों को आन लाईन करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर क्रय एवं कनेक्टिविटी आदि के व्यय का वित्त पोषण 13 वें वित्त आयोग की अनुदान से किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें द्वारा उपकोषागारों को पूर्व की भाँति क्रियाशील किये जाने की कार्यवाही एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करते हुए पूर्ण की जायेगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव वित्त।

संख्या–27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार रहेगी।

4–उपरोक्तानुसार उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008, एवं समदिनांकित शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 तथा संख्या–27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार किया जाएगा। लेकिन रु0 8000–13,500 के अपुनरीक्षित वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से वेतन बैण्ड–2 में पुनरीक्षित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे का निर्धारण संलग्नक–2 के अनुसार किया जाएगा। यदि संलग्नक–2 में उल्लिखित रु0 8000–13,500 के अपुनिरीक्षित वेतनमान की अनुमन्यता के पदधारकों का वेतन पुनरीक्षण वेतन बैण्ड–3 में किया गया हो, तब उनका वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 74 (1)/XXVII(7)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर उत्तराखण्ड देहरादून।
4– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
6– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– /XXVII(6)/2011 दिनांक– अक्टूबर, 2011 का संलग्नक –

66 उपकोषागारों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	कोषागार का नाम		क्र.सं.		उपकोषागार का नाम	एजेन्सी बैंक	अन्य विवरण
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1	1	बेतालघाट	बी.ओ.बी.बेतालघाट	
				2	2	कोश्याकुटोली	एस.बी.आई.धनियाकोट	
				3	3	रामनगर	एस.बी.आई. रामनगर	
				4	4	कालाढूंगी	बी.ओ.बी.कालाढूंगी	
		2	हल्द्वानी			--	एस.बी.आई. हल्द्वानी	
2	अल्मोडा	3	अल्मोडा	5	1	द्वाराहाट	एस.बी.आई.द्वाराहाट	
				6	2	चौखुटिया	एस.बी.आई. चौखुटिया	
				7	3	भोलेखाल	एस.बी.आई.भोलेखाल	
				8	4	लमगड़ा	एस.बी.आई.लमगडा	
				9	5	ताकुला	एस.बी.आई.काफलीगैर	
				10	6	दन्या	एस.बी.आई.दन्या	
				11	7	देघाट	एस.बी.आई.स्याल्दे	
				12	8	रानीखेत	एस.बी.आई.रानीखेत	
				13	9	भिकियासैंण	यूको बैंक भिकियासैंण	
3	पिथौरागढ	4	पिथौरागढ	14	1	धारचूला	एस.बी.आई.धारचूला	
				15	2	गंगोलीहाट	एस.बी.आई.गंगोलीहाट	
				16	3	थल	एस.बी.आई.थल	
				17	4	मुनस्यारी	एस.बी.आई. मुनस्यारी	
				18	5	अस्कोट	एस.बी.आई.अस्कोट	
				19	6	देवलथल	एस.बी.आई.देवलथल	
				20	7	गणाई गंगोली	एस.बी.आई.गणाईगंगोली	
				21	8	बेरीनाग	एस.बी.आई.बेरीनाग	
				22	9	डीडीहाट	एस.बी.आई.डीडीहाट	— — —
4	चम्पावत	5	चम्पावत	23	1	चम्पावत सदर	एस.बी.आई.चम्पावत	समाप्त किया जाना
				24	2	लोहाघाट	एस.बी.आई.लोहाघाट	
				25	3	पाटी	एस.बी.आई.पाटी	
				26	4	टनकपुर	एस.बी.आई.टनकपुर	
5	बागेश्वर	6	बागेश्वर	27	1	बागेश्वर सदर	एस.बी.आई.बागेश्वर	समाप्त किया जाना
				28	2	कपकोट	एस.बी.आई.कपकोट	
				29	3	गरूड़	एस.बी.आई.गरूड	
				30	4	काण्डा	एस.बी.आई.काण्डा	
6	उधमसिंहनगर	7	उधमसिंहनगर	31	1	जसपुर	एस.बी.आई.जसपुर	
				32	2	काशीपुर	एस.बी.आई.काशीपुर	
				33	3	बाजपुर	एस.बी.आई.बाजपुर	
				34	4	गदरपुर	एस.बी.आई.गदरपुर	
				35	5	किच्छा	एस.बी.आई.किच्छा	
				36	6	सितारगंज	एस.बी.आई.सितारगंज	

				37	7	खटीमा	एस.बी.आई.खटीमा	
				38	8	रूद्रपुर सदर	एस.बी.आई.रूद्रपुर	समाप्त किया जाता
7	देहरादून	8	देहरादून	39	1	देहरादून सदर	एस.बी.आई.देहरादून	समाप्त किया जाता
				40	2	मंसूरी	एस.बी.आई.मंसूरी	
				41	3	विकासनगर	एस.बी.आई.विकासनगर	
				42	4	ऋषिकेश	एस.बी.आई.ऋषिकेश	
				43	5	त्यूनी (क्रियाशील नही)	एस.बी.आई.त्यूनी	
				44	6	चकराता	एस.बी.आई.चकराता	
8	रूद्रप्रयाग	9	रूद्रप्रयाग	45	1	रूद्रप्रयाग सदर	एस.बी.आई.रूद्रप्रयाग	समाप्त किया जाता
				46	2	अगस्तमुनी	एस.बी.आई.अगस्तमुनि	
				47	3	ऊखीमठ	एस.बी.आई.उखीमठ	
				48	4	जखोली	एस.बी.आई.जखोली	
9	टिहरी	10	टिहरी	49	1	घनसाली	एस.बी.आई.घनसाली	
				50	2	प्रतापनगर	एस.बी.आई.प्रतापनगर	
		11	नरेन्द्रनगर	51	1	देवप्रयाग	पी.एन.बी.देवप्रयाग	
				52	2	थत्यूड	एस.बी.आई.थत्यूड	
10	हरिद्वार	12	हरिद्वार	53	1	हरिद्वार सदर	एस.बी.आई.हरिद्वार	
				54	2	लक्सर	एस.बी.आई.लक्सर	
		13	रूड़की			--	एस.बी.आई.रूडकी	
11	चमोली	14	गोपेश्वर(चमोली)	55	1	जोशीमठ	एस.बी.आई.जोशीमठ	
				56	2	चमोली	एस.बी.आई.चमोली	
				57	3	पोखरी	एस.बी.आई.पोखरी	
				58	4	गैरसैंण	एस.बी.आई.गेरसैंण	
				59	5	घाट	एस.बी.आई. घाट	
				60	6	देवाल	एरा.बी.आई.देवाल	
				61	7	नारायणबगड	एस.बी.आई.नारायणबगड	
				62	8	थराली	एस.बी.आई.थराली	
				63	9	कर्णप्रयाग	एस.बी.आई.कर्णप्रयाग,	
12	उत्तरकाशी	15	उत्तरकाशी	64	1	भटवाडी	एस.बी.आई. भटवाडी	
				65	2	डुण्डा	पी.एन.बी. डुण्डा	
				66	3	सजवाडी (बडकोट)	एस.बी.आई.बडकोट	
				67	4	पुरोला	एस.बी.आई.पुरोला	
13	पौडी	16	पौडी	68	1	श्रीनगर	एस.बी.आई.श्रीनगर	
				69	2	सतपुली	एस.बी.आई.सलपुली	
				70	3	थैलीसैण	एस.बी.आई.थैलीसैण	
				71	4	घूमाकोट	एस.बी.आई.घूमाकोट	
				72	5	कालागढ	एस.बी.आई.कालागढ	समाप्त किया ज
		17	कोटद्वार			--	एस.बी.आई. कोटद्वार	
		18	लैन्सडाउन			--	एस.बी.आई.लैन्सडाउन	
कुल उपकोषागारों की संख्या 72 – 06 (06 उपकोषा0 समाप्त किये जाते है) = 66								

संख्याः 251/XXVII(7)बोनस/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु–7 देहरादून,दिनांकः 18 अक्टूबर,2011

विषयः तदर्थ बोनसः–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2010–2011 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–724/xxvii(7)बोनस/2010,दिनांक 15 अक्टूबर,2010 ।
2– भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्याः 7/ 24 / 2007/ई–II(ए) दिनांक 13 सितम्बर,2011।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर,2010 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2010–2011 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या–2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 सितम्बर,2011 द्वारा वर्ष 2010–2011 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3– उपर्युक्त क्रम संख्या–1–2 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर,2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में ₹4800 ग्रेड पे जिसका अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम ₹13,500 तक है को वर्ष 2010–2011 के लिए तदर्श बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रायोजन के लिए दिनांक 31 मार्च2011 को ग्राह्य परिलब्धियां तदर्थ बोनस के रूप में ₹3454 होगी (₹3500X30/30.4=₹3453.95 को सुग्मांकित कर ₹3454.00)। उक्त शासनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रूपये के निकटतम में सुग्मांकित कर किये जाऐंगें। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगाः–

(i) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में ₹4800 का ग्रेड वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम ₹13,500/–तक है, को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान ₹4800 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान ₹7500–12000 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है,को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होनें दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हों, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम ₹3500/–तक माना जायेगा। परन्तु ₹4800 के ग्रेड वेतन में अपुनरीक्षित वेतनमान ₹7500–12500 या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांकः 31 मार्च,2011 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2010–2011 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो । वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी ।

(iii)तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि ₹3500/– प्रतिमाह की परिलब्धियॉ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियॉ ₹3500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियॉ ₹3500/– प्रतिमाह हैं।

(iv)उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है,प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो,अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01–01–1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या–वे–आ–1–2043/दस–93–39(एम)/93,दिनांक 14 अक्टूबर,1993 तथा शासनादेश संख्या–वे–आ–1–624/दस–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 16 अगस्त,1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमशः ₹100/–प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम ₹100/–प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(v)मकान किराया भत्ता,नगर प्रतिकर भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता,परियोजना भत्ता,विशेष भत्ता,शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या–वे–आ–1–774/दस–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 27 सितम्बर,1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vi)ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2010–2011 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो,जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2010–2011 में कोई दण्ड दिया गया हो,उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(vii)इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4– कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2011 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2011 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो,यह सुविधा अनुमन्य होगीं। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां ₹1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि ₹1200 X 30/30•4=1184•21 अर्थात ₹1184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियॉं ₹1200 प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5– अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6– बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–120/दस–1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी,1984 के प्रस्तर–1(7),5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

7– उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:231 (1)/XXVII(7)बोनस/2011 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड,इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तराखण्ड,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
14. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
15. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियॉ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
16. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड।
17. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शम्द चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः 216 / XXVII(7)40(IX) / 2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 14 अक्टूबर,2011

विषयः–राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्याः65 / XXVII(7)40(IX) / 2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 के संलग्नक का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः65 / XXVII(7)40(IX) / 2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 के विषय में शासन स्तर पर विभिन्न स्रोतों से जिज्ञासा की जा रही है कि ए0सी0पी0 के विषय में शासनादेश संख्याः10 / XXVII(7) / 40(IX) / 2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 समूह 'घ' के विषय में संलग्नक के उदाहरण–1 के विषय में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04 अगस्त,2011 के संलग्नक में ए0सी0पी0 के आगणन हेतु किये गये संशोधन के फलस्वरूप ए0सी0पी0 का नकद लाभ दिनांक 01–9–2008 में अनुमन्य होगा या नहीं।

2– प्रदेश के समूह 'घ' के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः877 / XXVII(7) / च0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के द्वारा ₹1300, ₹1400 एवं ₹1650 के ग्रेड पे का तात्कालिक प्रभाव से पे बैण्ड–1 ₹5200– 20200 पे ₹1800 ग्रेड पे में पुनरीक्षित किया गया था और शासनादेश संख्याः07 / XXVII(7) / 27(V) / 2011 दिनांक 06 अप्रैल,2011 के द्वारा उक्त वर्ग के समस्त कार्मिकों को (ए0सी0पी0 प्राप्त तथा नान ए0सी0पी0 प्राप्त कार्मिकों) को तात्कालिक प्रभाव दिनांक 24 मार्च,2011 से अनुमन्य लाभ को दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक (नोशनल) आधार पर करते हुए नकद भुगतान दिनांक 24 मार्च,2011 से किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

3– उक्त प्रस्तर–2 के शासनादेशों की व्यवस्था के दृष्टिगत ही समूह 'घ' के ए0सी0पी0 के विषय में निर्गत शासनादेशों संख्याः65 / XXVII(7) / 40(IX) / 2011 दिनांक 07 अप्रैल,2011 के संलग्नक में संशोधित ग्रेड पे के अनुसार लाभ केवल सेवावधि के प्रयोजन हेतु आगणित करके अनुमन्य करने की व्यवस्था की गई थी, अर्थात चूंकि किसी पद पर मौलिक रूप से कार्यरत पदधारक तथा ए0सी0पी0 के आधार पर कार्यरत पदधारक, दोनों को उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 06–04–2011 के साथ वेतन बैण्ड–1 में ₹5200–20200 में ग्रेड पे ₹1800 का लाभ दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 24 मार्च,2011 वास्तविक रूप से अनुमन्य किया गया है अतः ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु आगणन का आश्य दिनांक 01 सितम्बर,2008 से क्रमशः ₹1400 ₹1800 एवं ₹2000 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले समूह 'घ' के कार्मिकों के ₹1900 ₹2000 एवं ₹2400 के अनुसार काल्पनिक रूप से अनुमन्य किया जायेगा और इसी शासनादेश के अनुसार मौलिक रूप से प्राप्त कर रहे वेतन तथा ए0सी0पी0 के रूप में प्राप्त हो रहे लाभ को दिनांक 24 मार्च,2011 से नकद किया गया है।

4– यदि उक्त वर्ग के कार्मिकों को उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04–08–2011 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01–09–2008 से नकद भुगतान त्रुटिपूर्वक कर दिया गया है तो उस अवधि के भुगतान की धनराशि की वसूली आसन किस्तों में करने की कार्यवाही संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा अविलम्ब की जाएगी॥

भवदीया,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्याः 216 /40(IX)/XXVii(7)/2011तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय ,उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त वित्त नियंत्रक वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

अज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या–1105/xxiv–4/2011–10(75)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

विषय–अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के चर्तुथ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–06(4)/63340/134/2011–12, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के सम्बन्ध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार, शासनादेश संख्याः 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक–1 के कॉलम–2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान क्रमशः ₹ 2550–3200, ₹ 2610–3540 तथा ₹ 2650–4000 के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1–एस0, ₹ 4440–7400 तथा ग्रेड वेतन क्रमशः ₹ 1300/–, ₹ 1400/– एवं रू0 1650/– के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ₹ 1800/– के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(i) शासनादेश संख्याः 283/xxvii(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जायेगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹ 1900/– का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया है उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹ 1900/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹ 1300/–, ₹ 1400/– एवं ₹ 1650/– के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जायेगा, जहां पर ग्रेड पे ₹ 1800/– के पद कम पड़ते हैं (कार्यरत पदों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹ 1300/–, ₹ 1400/– एवं ₹ 1650/– के पद रू0 1800/– के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जायेंगे।

...2

(iii) ₹ 1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹ 1800 ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2– शासनादेश संख्या–877/XXVI(7) च.क्षे./2011,दिनांक 24 मार्च, 2011 के क्रम में समय–समय पर निर्गत स्पष्टीकरण संशोधन भी नियमानुसार लागू होगें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0–111A/XXVII(7)/2011,दिनांक 14.12.2011में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या–1109 xxiv–4/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–662/xxiv–4/2011–10(75)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

विषय– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–06(4)/63340/134/2011–12, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त योजना दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के वेतनमान ₹ 7500–12000 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे ₹ 4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 01–09–2008 से तथा वेतनमान ₹ 8000–13500 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में ग्रेड पे ₹ 5400 तथा उससे ऊपर के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे के पदधारकों के लिए दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगी।

(2) (i) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष, व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगेः–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवाविधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान ग्रेड वेतन में की गई सेवाओं को छोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर संन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा

उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान-फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नाफंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय रतरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं संबन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्याः–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के स्तम्भ–4 एवं 5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेश अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए0सी0पी0 की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायें। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/ समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।

(5) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा–नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगें।

(6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 एवं इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के प्रावधानों से विनियमित होंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब अर्हता के क्षेत्र में

सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक की वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पदों के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2— समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 31.08.2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31.08.2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे:—

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले ₹ 10 में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/ जुलाई को देय होगी।

(2) (i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड

एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतनवृद्धि न्यूनतम 06 माह के उपरान्त पड़ने वाली पहली जनवरी/जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जनवरी/जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जायें, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड ₹ 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन ₹ 5400/-- तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर–2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपनुरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

टिप्पणीः– उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक–1 पर उपलब्ध हैं।

3– पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे है तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/ लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 सितम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगेः7

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नानफक्शनल वेतनमान मिलने पर ए0सी0पी0 की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नाफक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतन्मान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु

दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप संबंधित पद क साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायगा।

4– वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

5– (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिको के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की केस–टू–केस प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर बैठक आयोजित कर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6– ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

7– ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

8– ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्याः 395/XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0 111/XXVII(7)/2011,दिनांक 14.12.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या– 662 (1)/xxiv–4/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 286 XXVII(7)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक 30 दिसम्बर,2011

विषयः–अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 3531 / 5–6–04–294 / 6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी के उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहें है, के स्वंय तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है तथा इसी आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 503 / XXVII(7) / 2010 दिनांक 26 मई,2010 उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहें है तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस राज्य के लिए स्थानांतरित किये गये है कि पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तर्राज्जीय समायोजन हेतु विहित प्रकिया के अनुसार किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

उत्तर प्रदेश राज्य, वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्याःसा0–3–661 / दस–2011 दिनांक 04 अगस्त,2011 के साथ संलग्न चिकित्सा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्याः1892 / 5–6–11–294 / 96 टी0सी0 दिनांक 02 अगस्त,2011 द्वारा चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः3531 / 5–6–04–294 / 6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे है, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्ष द्वारा किये जाने पर सहमति दी गयी है।

2– उत्तर प्रदेश राज्य दी गयी उक्त सहमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहें है, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– राज्य के कोषागारों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तराज्जीय समायोजन के माध्यम से किया जाएगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल),
सचिव,वित्त।

संख्या 286 (1)/XXVII(7) 09(II)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- प्रमुख/अपर मुख्य सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।

4- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

5- सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।

6- सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।

7- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

8- स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।

9- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल/कुमाऊं।

11-रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देरादून।

12- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

13- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

14- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।

15- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14962
Date: 04-08-2016
Documentation Centre

NUEPA DC
D14962